SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 6 वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 6 वर्ष 2025

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय - 1: परिचय			
3.	परिचय	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव	1.2	2
5.	रोजगार सृजन	1.2.1	3
6.	संगठनात्मक ढाँचा	1.3	5
7.	लेखापरीक्षा ढाँचा	1.4	7
8.	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.4.1	7
9.	लेखापरीक्षा मानदंड	1.4.2	7
10.	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4.3	8
11.	स्वीकारोक्ति	1.5	9
अध्याय - 2: योजना की प्रभावशीलता			
12.	योजना और श्रम बजट तैयार करना	2.1	11
13.	आधारभूत सर्वेक्षण	2.1.1	12
14.	ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर अनियमित नियोजन	2.1.2	13
15.	प्रक्षेपित और प्राप्त मानव दिवसों में अंतर	2.1.2.1	14
16.	जिला परिप्रेक्ष्य योजना	2.2	16
17.	निष्कर्ष	2.3	16
18.	अनुसंशाएँ	2.4	17
अध्याय - 3: वित्तीय प्रबंधन			
19.	वित्तपोषण पद्धति	3.1	19
20.	आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त न होना	3.2	22
21.	राज्य सरकार द्वारा ₹ 44.46 करोड़ का वित्तीय बोझ वहन न किया जाना	3.3	24
22.	श्रमिकों के विलंबित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति	3.4	24
23.	बेरोजगारी भत्ता	3.5	26
24.	गैर-अनुमान्य व्यय	3.6	28
25.	निधि का व्यावर्तन	3.7	29

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
26.	निष्कर्ष	3.8	30
27.	अनुसंशाएँ	3.9	30
अध्याय - 4: पंजीकरण और रोजगार सृजन			
28.	पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना	4.1	31
29.	घर-घर सर्वेक्षण	4.1.1	31
30.	जॉब कार्ड जारी एवं अद्यतन करने में कमियाँ	4.1.2	32
31.	रोजगार सृजन	4.2	33
32.	100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की प्राप्ति न होना	4.2.1	34
33.	महिलाओं का प्रतिनिधित्व	4.3	37
34.	दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार	4.4	38
35.	निष्कर्ष	4.5	39
36.	अनुसंशाएँ	4.6	39
अध्याय - 5: कार्यों का निष्पादन			
37.	कार्यों के निष्पादन में कमी	5.1	41
38.	मजदूरी एवं सामग्री अनुपात	5.2	43
39.	परिसंपत्तियों का सृजन	5.3	44
40.	कार्यों का संदिग्ध निष्पादन	5.3.1	44
41.	संदिग्ध अभिलेखीकरण	5.3.2	46
42.	निरर्थक व्यय	5.3.3	46
43.	उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन	5.3.4	49
44.	अभिसरण	5.4	51
45.	मनरेगा अभिसरण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना न किया जाना	5.4.1	51
46.	अभिसरण के अंतर्गत निष्पादित कार्य	5.4.2	52
47.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	5.4.2.1	53
48.	अमृत सरोवर के निर्माण में कमियाँ	5.4.2.2	54
49.	डमस्क गुलाब का संदिग्ध वृक्षारोपण	5.4.2.3	58
50.	कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान न करना	5.5	59
51.	बिलों/वाउचरों का सत्यापन न किया जाना	5.6	60
52.	मनरेगा परियोजनाओं में खनिज उत्खनन नीति का अनुपालन न किया जाना	5.7	60

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
53.	मजदूरी और सामग्री मदों का भुगतान	5.8	61
54.	राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन	5.9	63
55.	निष्कर्ष	5.10	65
56.	अनुसंशाएँ	5.11	66
अध्याय - 6: संरचनात्मक तंत्र और क्षमता निर्माण			
57.	राज्य रोजगार गारंटी परिषद की अनुपयुक्त कार्यप्रणाली	6.1	67
58.	अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन	6.2	68
59.	जनपद स्तरीय तकनीकी समिति का गठन नहीं किया जाना	6.3	70
60.	क्षमता निर्माण	6.4	71
61.	सूचना, शिक्षा और प्रसार योजना तैयार नहीं किया जाना	6.5	72
62.	रोजगार दिवस के आयोजन में कमी	6.6	73
63.	निष्कर्ष	6.7	74
64.	अनुसंशा	6.8	74
अध्याय - 7: शिकायत निवारण, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण			
65.	राज्य एवं जिला गुणवत्ता निरीक्षक	7.1	75
66.	शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व	7.2	76
67.	लोकपाल की नियुक्ति	7.2.1	76
68.	शिकायत पंजिका का रख-रखाव न करना	7.2.2	77
69.	सतर्कता तंत्र का अनुपालन न करना	7.3	78
70.	सामाजिक लेखापरीक्षा	7.4	79
71.	अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	7.4.1	79
72.	सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण में भारी लंबितता	7.4.2	81
73.	सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित राशि की कम वसूली	7.4.3	82
74.	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन	7.4.4	83
75.	अनिवार्य अभिलेख एवं उनका रख-रखाव	7.5	84

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
76.	निष्कर्ष	7.6	85
77.	अनुसंशाएँ	7.7	86
अध्याय - 8: उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव			
78.	सामाजिक सुरक्षा	8.1	88
79.	मनरेगा एवं कोविड-19 महामारी	8.2	88
80.	महिलाओं का सशक्तिकरण	8.3	89
81.	व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन	8.4	89
82.	सतत चुनौतियों पर नियंत्रण	8.5	90
83.	अनुसंशाएँ	8.6	91
परिशिष्टियाँ			

परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.1	चयनित जिलों, विकास खण्डों तथा ग्राम पंचायतों का विवरण	1.4.3	93
2.1	ग्रा पं द्वारा प्रस्तावित और खण्ड विकास योजना में शामिल कार्यों की संख्या	2.1.2	94
3.1	राज्य द्वारा केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब	3.1	96
3.2	राज्य स्तर पर मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति	3.4	98
3.3	चयनित विकास खण्डों में मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति	3.4	99
3.4 (क)	कार्य की माँग हेतु आवेदन जिनमें तिथि दर्ज नहीं की गई थी	3.5	101
3.4 (ख)	हस्ताक्षर दर्ज नहीं	3.5	107
3.4 (ग)	बेरोजगारी भत्ता प्रदान न किए जाने का विवरण	3.5	111
3.4 (घ)	रोजगार की माँग करने वाले मजदूरों का विवरण जिन्हे संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मस्टर रोल में शामिल नहीं किया	3.5	114
4.1	माँग के बावजूद रोजगार नहीं दिया गया	4.2.1	117

परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
4.2	सृजित कुल रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	4.3	121
4.3	राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए रोजगार सृजन	4.4	124
4.3 (क)	नमूना जाँच जिलों में दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार	4.4	124
4.3 (ख)	नमूना जाँच विकास खण्डों में दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार	4.4	125
5.1	चयनित जनपदों में कार्यों की निष्पादन स्थिति	5.1	126
5.2	चयनित विकास खण्ड स्तर पर कार्यों की निष्पादन स्थिति	5.1	127
5.3	चयनित ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निष्पादन स्थिति	5.1	129
5.4	रॉयल्टी की कटौती न किया जाना	5.7	133
5.5	मस्टर रोल में उपस्थिति में विसंगतियों के कारण मजदूरों को कम भुगतान किये जाने का विवरण	5.8	135
5.6	पत्रावली में मूल म रो का न पाया जाना	5.8	137
5.7	संदिग्ध उपस्थिति	5.8	138
5.8	कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए विलंबित भुगतान	5.8	142
5.9	सामग्री के भुगतान में देरी	5.8	146
6.1	चयनित जनपद स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ अभियंता की कमी	6.2	154
6.2	चयनित विकास खण्ड स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ अभियंता की कमी	6.2	155
7.1	चयनित जनपद में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति	7.4.1	156
7.1 (क)	चयनित विकास खण्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति	7.4.1	157

परिशिष्ट संख्या	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
7.1 (ख)	चयनित ग्रा पं में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति	7.4.1	158
7.2	चयनित ग्रा पं में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबित स्थिति	7.4.2	159
शब्दावली			161

प्राक्कथन

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2019-24 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की निष्पादन लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान वर्ष 2019-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए संपादित की गयी।

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

मनरेगा एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में परिवारों को वार्षिक 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। उत्तराखण्ड में, जहाँ 66 *प्रतिशत* से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यह योजना गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन पर्वतीय जनपदों के लिए जो भौगोलिक विषमता एवं आर्थिक विषमताओं से प्रभावित हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या मनरेगा ने उत्तराखण्ड में रोज़गार सृजन, परिसंपत्ति सृजन और सामाजिक सुरक्षा के अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इसके एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के रूप में महत्व तथा इससे संबंधित क्रियान्वयन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन का मुख्य केंद्र नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, पंजीकरण और रोजगार सृजन, परिसंपत्ति सृजन, क्षमता निर्माण और निगरानी तंत्र पर केंद्रित था, जिसमें विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 तथा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन पर ध्यान दिया गया।

हमने क्या पाया ?

अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दौरान राज्य द्वारा उपलब्ध ₹ 3,647.21 करोड़ की धनराशि में से ₹ 3,638.95 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया गया। 27.04 लाख परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया। इसने ₹ 2,340.06 करोड़ के मजदूरी भुगतान के साथ 11.56 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। राज्य ने योजना के अंतर्गत 2019-24 के दौरान जल संचयन, वृक्षारोपण, भूमि विकास, ग्रामीण संपर्कता आदि से संबंधित 3.42 लाख परिसंपत्तियों का सृजन भी किया। राज्य में 10.35 लाख से 11.84 लाख पंजीकृत परिवारों में से, 2019-24 के दौरान 4.72 लाख

से 6.54 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष औसतन प्रति परिवार 21 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

लेखापरीक्षा में राज्य में मनरेगा के वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में कमियाँ पायी गयी। केंद्र एवं राज्य के हिस्सो को राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा रो गा नि) को विलम्ब से अवमुक्त करने के कारण ₹ 2.03 करोड़ की परिहार्य ब्याज देनदारी तथा मजदूरी एवं सामग्री मदों में ₹ 122.40 करोड़ की लंबित देयता हो गयी।

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 अधिदेशित करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत (ग्रा पं) प्रतिवर्ष घर-घर सर्वेक्षण करना अनिवार्य है, ताकि ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो पूर्व में अनदेखे किए गए हों तथा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने की इच्छा रखते हों। लेखापरीक्षा में देखा गया कि चयनित ग्रा पं में से किसी के द्वारा भी 2019-24 की अवधि के दौरान घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया। जॉब कार्ड (जॉ का) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की पात्रता को दर्ज करता है। यह पंजीकृत परिवार को कार्य के लिए आवेदन करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है तथा श्रमिकों को धोखाधड़ी से सुरक्षित करता है। जॉब कार्ड हेतु आवेदन, रोजगार के इच्छुक व्यक्ति द्वारा स्थानीय ग्रा पं को साधारण कागज़ पर किया जा सकता है। प्रस्तर 3.1.5(i) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए योग्य पाया जाता है, तो ग्रा पं आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर परिवार को जॉ का जारी करेगा। नमूना जाँच की गई किसी भी ग्रा पं में पंजीकरण हेतु आवेदन रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। जॉ का में सभी प्रविष्टियाँ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित होनी चाहिए। चयनित लाभार्थियों के जॉ का के विश्लेषण से यह पाया गया कि 200 जॉ का में से 78 जॉ का (39 *प्रतिशत*) बिना फोटोग्राफ के थे तथा 50 जॉ का (25 *प्रतिशत*) में कार्य किए जाने की तिथि से संबंधित अद्यतन जानकारी नहीं थी।

जमीनी स्तर पर परामर्श के बिना श्रम बजट स्वीकृत किए गए और आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप माँग का गलत अनुमान लगाया गया और अभिसरण पहलों में कमी आई, जिससे योजना में कमियाँ स्पष्ट थीं। रोजगार के परिणाम असंतोषजनक थे- मात्र एक से चार *प्रतिशत* परिवारों को 100 दिनों के काम का पूरा हक मिला और औसत वित्तीय लाभ लक्ष्यों से काफी कम थे। कई जॉब कार्ड धारकों को, कार्य हेतु आवेदन करने के उपरांत भी रोजगार से वंचित रखा गया।

मजदूरी वितरण में प्रणालीगत विलम्ब देखा गया, विलम्ब के लिए मुआवजा न के बराबर स्वीकृत किया गया और वैधानिक प्रावधानों के होने के बाद भी बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। प्रमुख पंजिकाओं का रख-रखाव न किए जाने, अनिवार्य सर्वेक्षणों की कमी और परियोजना निष्पादन में कमी-जैसे कि अपूर्ण जल संचयन संरचनाएं और अनुपस्थित वृक्षारोपण घटकों के कारण कार्यान्वयन बाधित हुआ। मस्टर रोल्स (म रो) में संदिग्ध प्रविष्टियाँ थीं और मूल म रो अधिकांशतः कार्य आरम्भ होने के पश्चात अनुपलब्ध थे, जिससे मजदूरी वितरण की सटीकता पर चिंताएं उत्पन्न होती है।

मनरेगा की धारा 23 (6) के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारी (का अ) को एक शिकायत पंजिका का रख-रखाव करना और सात दिनों के भीतर शिकायतों का निस्तारण करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि उप जिला कार्यक्रम समन्वयकों (उप जि का स) के कार्यालयों और चयनित विकास खण्डों में शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे लेखापरीक्षा प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनके निपटान का सत्यापन नहीं कर सका, इस तरह जवाबदेही और शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता से समझौता हुआ।

मनरेगा के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता तंत्र की स्थापना अनिवार्य की गई थी। इनमें शामिल हैं:

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु स अ) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ।
- जिला प्राधिकारी के अधीन जिला स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ।
- ग्राम सभा की स्वीकृति से स्थानीय स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां (स नि स)।

इन निकायों को शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं की पहचान हेतु नियमित क्षेत्रीय दौरे करने, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने तथा कार्यस्थलों पर श्रमिकों से संवाद स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था। राज्य, चयनित जिले और ग्राम स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति के कारण निगरानी में अत्यधिक चूक हुई। निगरानी तंत्र कमजोर था क्योंकि राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा रो गा प) प्रभावी ढंग से कार्य नहीं किया। प्रमुख पद रिक्त थे, तकनीकी समितियाँ गठित नहीं की गयी

थी तथा क्षमता निर्माण संबंधी उपाय नहीं अपनाए गए, जिससे मनरेगा के प्रावधानों के अनुपालन में व्यापक कमी परिलक्षित हुई।

चयनित जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी 79 *प्रतिशत* से 99 *प्रतिशत* के मध्य थी। इस प्रकार, विभाग इच्छित लाभार्थियों के लाभ के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र का उपयोग करने के अवसर से चूक गया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों ने पूरे राज्य के लिए 2019-2024 के दौरान 88,915 लेखापरीक्षा टिप्पणियां कीं। तथापि, मात्र 52,173 (59 *प्रतिशत*) सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

सर्वेक्षण किए गए 200 लाभार्थियों में से 193 लाभार्थियों (97 *प्रतिशत*) ने आजीविका में सुधार को सूचित किया, जिससे ग्रामीण आजीविका को स्थिर करने और वृद्धि करने में योजना की भूमिका पर जोर दिया गया।

इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की गयी जिनसे मनरेगा का सुचारू संचालन बाधित हो रहा था और इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए इनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

- **मजदूरी भुगतान में देरी**: मजदूरी भुगतान में अत्यधिक विलम्ब देखा गया, 160 चयनित कार्यों में 1232 मस्टर रोल (म रो) से उजागर हुआ कि 411 म रो (33 *प्रतिशत*) के लिए भुगतान, जिसमें 2946 मजदूर शामिल थे, चार से 157 दिनों तक विलम्ब था।
- **अपर्याप्त रोजगार सृजन:** ऐसा अधिकांशतः खराब योजना, पर्याप्त कार्य अवसरों की कमी और परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण हुआ।
- **जागरूकता का अभाव:** कई ग्रामीण परिवार, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, मनरेगा के अंतर्गत अपनी पात्रताओं से अनभिज्ञ थे। जागरूकता की इस कमी से योजना का न्यून उपयोग और पात्र लाभार्थियों का अपवर्जन होता है।
- **आवश्यक पंजिकाओं का रख-रखाव न करना**, **अनिवार्य सर्वेक्षण का अभाव**, **परियोजना निष्पादन में कमी।**
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य में सृजित कुल रोजगार (11.56 करोड़ मानव दिवस) में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 6.48 करोड़ मानव दिवस (56 *प्रतिशत*) था। नमूना जाँच किए गए जिलों में, यह 2019-24 के दौरान 53 *प्रतिशत* से 74 *प्रतिशत* के मध्य था। इसके

अतिरिक्त, यह 2019-24 के दौरान अल्मोड़ा जिले के नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में 44 *प्रतिशत* और 60 *प्रतिशत* के मध्य तथा टिहरी गढ़वाल जिले के नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में 62 *प्रतिशत* और 78 *प्रतिशत* के मध्य था, जो सराहनीय है।

मनरेगा की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान किया जाना अत्यावश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना, योजना की प्रभावशीलता में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं।

हम क्या अनुशंसा करते हैं ?

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में, हम अनुशंसा करते हैं कि:

1. ***राज्य सरकार को माँग आकलन और अभिसरण पहलों के लिए सभी ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) में बेसलाइन और वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों को पैनल मे सम्मिलित करना चाहिए। ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के पश्चात वार्षिक योजना और श्रम बजट समय पर तैयार किया जाना चाहिए।***
2. ***समय पर भुगतान और धनराशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु धनराशि हस्तांतरण की निगरानी और समय-सीमा पर चेतावनी देने के लिए स्वचालित प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए। नरेगासॉफ्ट में लाभार्थियों को विलम्ब मुआवजा स्वचालित होना चाहिए।***
3. ***मस्टर रोल (एम आर) निर्गत करने में विसंगतियों का समाधान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि कार्य की माँग को कृत्रिम प्रतिबंधों, जैसे कि उपस्थिति के दिनों को पूर्व-चिह्नित करना या रोजगार को 100 दिनों तक सीमित करना, के बिना पूर्ण किया जाए। मजदूरी भुगतान में विलम्ब को यह सुनिश्चित करके समाधान किया जाना चाहिए कि धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध हो एवं वितरित की जाए। निरीक्षण, अभिलेख जाँच और जियोटैग तस्वीरों के सत्यापन के माध्यम से मनरेगा कार्यों का उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।***
4. ***विभाग को अपने कामकाज में कमी को रोकने के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा रो ग प) और जिला स्तरीय तकनीकी समिति (जि स्त त स) की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे सभी जिलों में राज्य गुणवत्ता निगरानी***

(रा गु नि) और जिला गुणवत्ता निगरानी (जि गु नि) प्रकोष्ठों की नियुक्ति और संचालन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि निर्धारित निरीक्षण प्रतिशत का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

5. ***सभी ग्रा पं में सामाजिक लेखापरीक्षा कम से कम द्विवार्षिक रूप से सम्पादित की जानी चाहिए, जैसा कि अनिवार्य है, और दिशानिर्देशों से विचलन का समाधान किया जाना चाहिए। लंबित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों और वसूली का निस्तारण त्वरित किया जाना चाहिए और वित्तीय दुर्विनियोग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।***

प्रबंधन प्रतिक्रिया

विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणियों/निष्कर्षों को स्वीकार किया और सुनिश्चित किया कि वह जारी किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी जिलों को समेकित दिशानिर्देश जारी करेगा। सचिव ग्रा वि वि ने इस प्रतिवेदन को "योजना को सुदृढ़ करने में सहायक एवं मूल्यवान" वर्णित किया।

अध्याय-1

परिचय

अध्याय - 1

परिचय

1.1 परिचय

भारत सरकार ने सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) अधिनियमित किया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वार्षिक रूप से कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई। नरेगा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करना था जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आजीविका का स्रोत बन सके, साथ ही हाशिये पर स्थित समूहों को सम्मिलित करते हुये पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सकें। अक्टूबर 2009 में, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) रखा गया।

उत्तराखण्ड में, जहाँ 66 *प्रतिशत*[1] से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों (पर्वतीय जिलों में 80 *प्रतिशत* से अधिक) में निवास करती है, कठिन पर्वतीय भू-भाग एवं भौगोलिक रूप से बिखरी आबादी विकास और गरीबी उन्मूलन की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में, परिवर्तन के लिए प्रमुख कारकों में से एक माना गया है।

उत्तराखण्ड के मैदानी जिलों की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,64,523 है, जो राज्य के दुर्गम पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,08,241 की तुलना में उल्लेखनीय आर्थिक असमानता दर्शाती है। जहाँ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जैसे औद्योगिक मैदानी जिले, राज्य के आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहीं, पर्वतीय क्षेत्र भौगोलिक अलगाव और सीमित औद्योगिक विकास से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

[1] उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास और पलायन आयोग की रिपोर्ट, सितंबर 2019।

चार्ट-1.1: पर्वतीय और मैदानी जिलों के बीच प्रति व्यक्ति आय की तुलना

(धनराशि ₹ में)

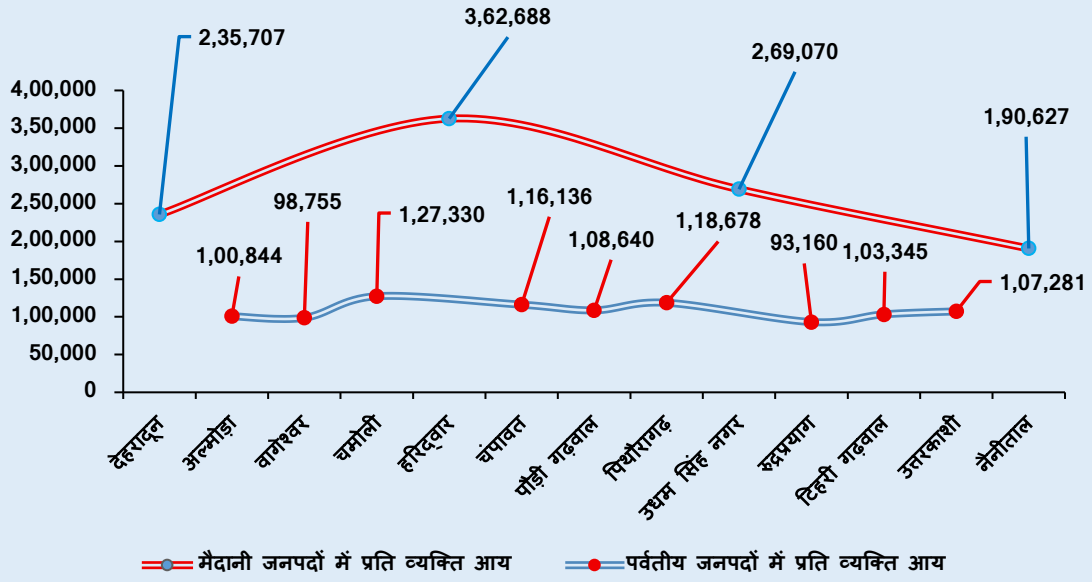

स्रोत: उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24।

मनरेगा का प्रारम्भिक उद्देश्य नियमित रोजगार प्रदान कर, गरीबी में कमी लाकर एवं सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था। यह योजना पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करती है, हाशिए पर रह गए समूहों के लिए कार्य की पहुँच को व्यापक बनाती है तथा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाती है। स्थानीय रोजगार सृजन करके, मनरेगा ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को रोकने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम ने सड़कों, सिंचाई प्रणालियों तथा जल संरक्षण परियोजनाओं सहित आवश्यक ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा दिया, जो इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देता है।

1.2 उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव

अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के दौरान, राज्य ने उपलब्ध ₹ 3,647.21 करोड़ में से ₹ 3,638.95 करोड़ की राशि का उपयोग किया तथा 27.04 लाख परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया। इसने ₹ 2,340.06 करोड़ के मजदूरी भुगतान 11.56 करोड़ मानव दिवसों[2] का सृजन किया। राज्य ने 2019-24 के दौरान जल संचयन, वृक्षारोपण, भूमि विकास, ग्रामीण संपर्क आदि पर योजना के अंतर्गत 3.42 लाख परिसंपत्तियां सृजित की। इस अवधि में योजना से लाभ प्राप्त करने वाले प्रति परिवार पर औसत वित्तीय प्रभाव प्रतिवर्ष ₹ 7,436 और ₹ 9,602 के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के

[2] मानव दिवस: परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार दिनों की संख्या।

दौरान जनपदवार वित्तीय प्रभाव प्रतिवर्ष ₹ 7,156 और ₹ 11,440 के मध्य रहा, जैसा कि नीचे ***मानचित्र संख्या-1.1*** में दिखाया गया है।

मानचित्र संख्या-1.1: 2019-24 के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों पर योजना का जनपदवार औसत प्रतिवर्ष वित्तीय प्रभाव

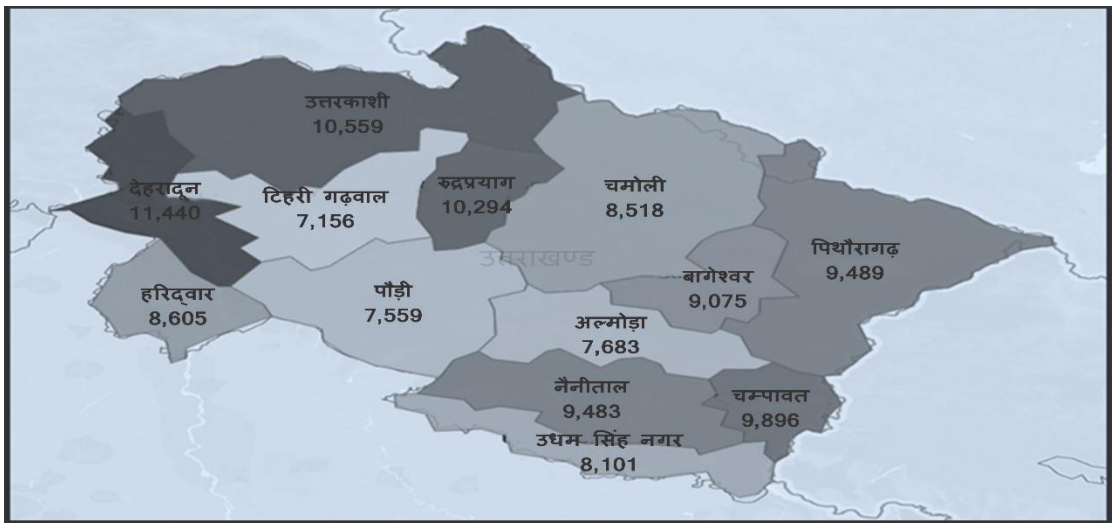

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

उपरोक्त आँकड़े 2019-20 में 100 दिनों के काम के लिए मनरेगा के ₹ 18,200 और 2023-24 में ₹ 23,000 के लक्ष्य से काफी कम हैं, जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अंतर को रेखांकित करते हैं।

1.2.1 रोजगार सृजन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

राज्य में 10.35 लाख से 11.84 लाख पंजीकृत परिवारों में से 4.72 लाख से 6.54 लाख परिवारों को 2019-24 के दौरान प्रति परिवार प्रतिवर्ष औसतन 21 दिनों की औसत से रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य में 2019-24 की अवधि के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक से चार *प्रतिशत* को ही कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया (जैसा कि ***अध्याय-4*** के ***प्रस्तर-4.2.1*** में विस्तृत रूप से वर्णित है)।

(अ) 2019-24 के दौरान एक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत परिवारों की जनपदवार औसत संख्या और कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के साथ प्रदान किए गए परिवारों की संख्या का विवरण नीचे दिए गए **चार्ट-1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट-1.2: जनपदवार पंजीकृत परिवार एवं 100 दिन का रोजगार पाने वाले परिवार (आँकड़े संख्या में)

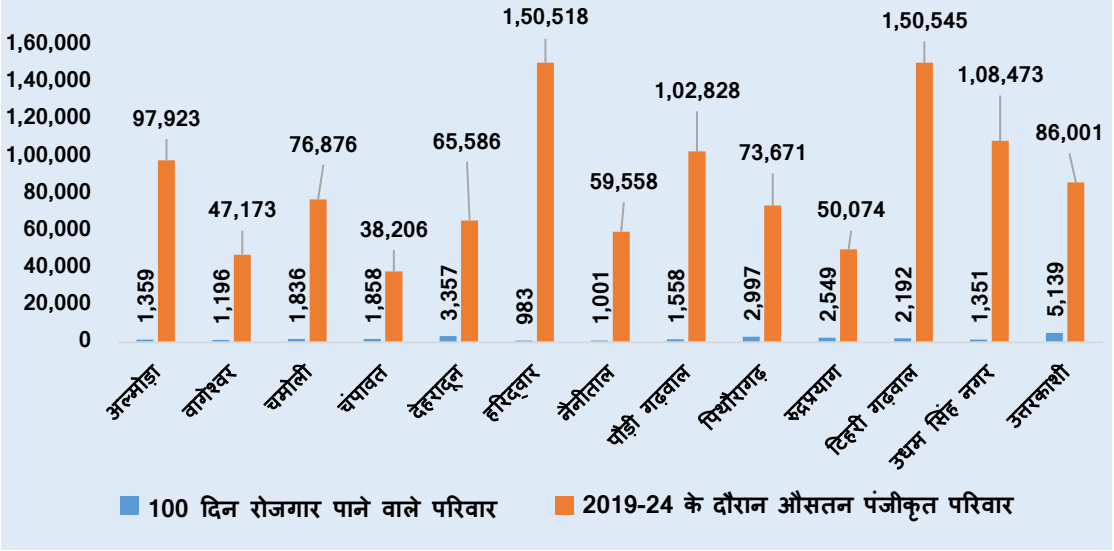

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

जनपदवार चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019-24 के दौरान औसतन एक से छः *प्रतिशत* पंजीकृत परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्राप्त हुआ।

(ब) 2019-24 के दौरान सृजित औसत प्रतिवर्ष मानव दिवस (मा दि) नीचे **चार्ट-1.3** में दिए गए हैं:

चार्ट-1.3: 2019-24 के दौरान प्रति वर्ष उत्पन्न मा दि की औसत संख्या (आँकड़े लाख में)

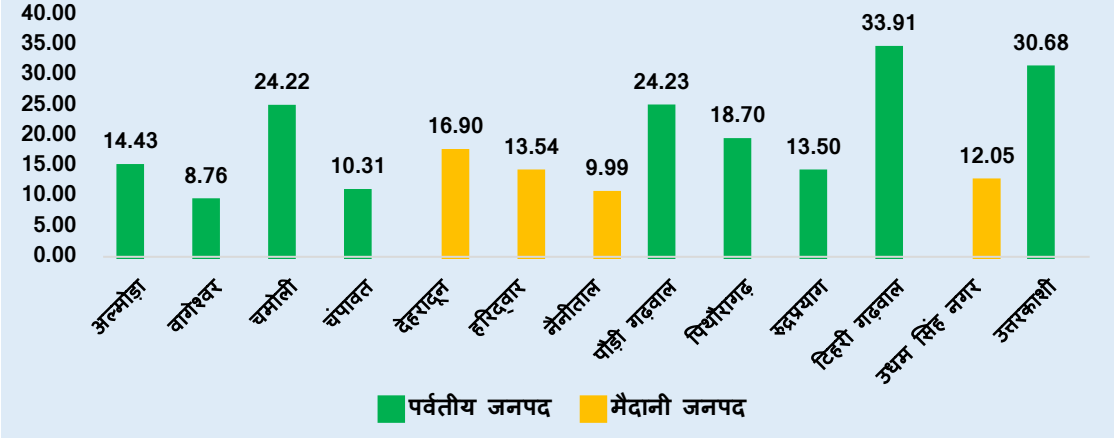

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि मैदानी जिलों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यह योजना पर्वतीय जिलों में लोगों के लिए अधिक आकर्षक रही। यह आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में आजीविका सहायता योजना के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

उत्तराखण्ड में प्रमुख सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। जनपद और विकास खण्ड स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जि का स) और कार्यक्रम अधिकारियों (का अ) को जिम्मेदारी दी गयी। योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिया गया है:

राज्य स्तर पर

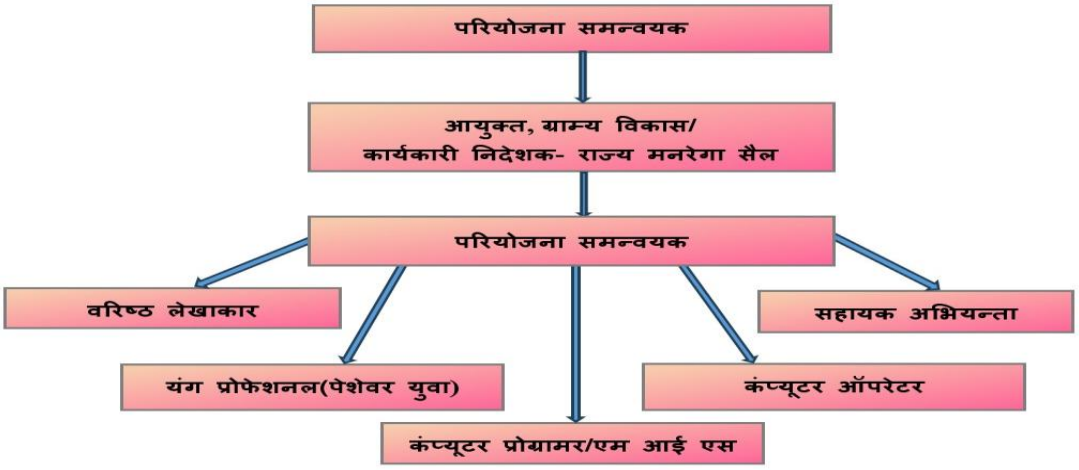

जनपद, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर

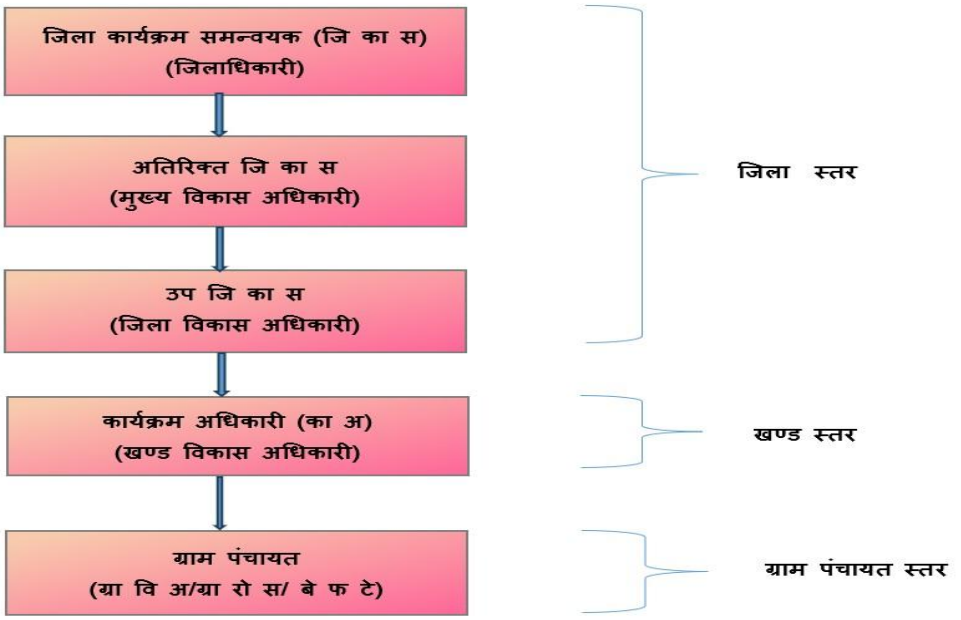

मनरेगा को लागू करने के लिए राज्य, जनपद, विकास खण्डों और ग्राम पंचायत (ग्रा पं) स्तरों पर नामित अधिकारियों की जिम्मेदारी नीचे **तालिका-1.1** में दी गई है:

तालिका-1.1: योजना को लागू करने के लिए नामित अधिकारियों की जिम्मेदारियां

स्तर	नामित अधिकारी	प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
राज्य	आयुक्त, ग्रामीण विकास/कार्यपालक निदेशक	• परिषद से संबंधित सभी निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति। • अंतर-विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।
	परियोजना समन्वयक	• वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और भारत सरकार एवं राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना; तथा • राज्य स्तरीय परिषद के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का समन्वय।
जनपद	जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) के रूप में जिलाधिकारी	• जनपद में योजना के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार।
	उप जिला परियोजना समन्वयक (उ जि प स) के रूप में जिला विकास अधिकारी	• क्षेत्र पंचायत योजनाओं को प्राप्त करना और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन हेतु जिला योजना में शामिल करने के लिए अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के साथ उन्हें समेकित करना; • परियोजनाओं की सूची को समय पर मंजूरी देना; • भुगतान के लिए एफ टी ओ का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करना; और • मनरेगा कार्यों के संबंध में का अ और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण करना; आदि।
	जिला अभियंता	• 20 *प्रतिशत* कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं निगरानी/निरीक्षण।
विकास खण्ड	कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामित खंड विकास अधिकारी	• ग्राम पंचायतों से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों को संवीक्षा के पश्चात् विकास खण्ड योजना में समेकित करना और संवीक्षा एवं समेकन के लिए जिला पंचायत को प्रस्तुत करना; • विकास खण्ड के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य की मांग के साथ विकास खण्ड योजना के अधीन कार्यों से उत्पन्न रोजगार के अवसरों का मिलान करना; • विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण; • सभी श्रमिकों को मजदूरी का शीघ्र और उचित भुगतान सुनिश्चित करना तथा समय पर रोजगार प्रदान नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना; एवं • सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना और आवश्यक बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; आदि।
	उप कार्यक्रम अधिकारी (डी पी ओ)	• विकास खण्ड स्तर पर एम आई एस प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी की सहायता करता है; • एम आई एस पर कार्य आदेश, भुगतान आदेश, मस्टर रोल आदि अपलोड करता है।

स्तर	नामित अधिकारी	प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
ग्रा पं	तकनीकी सहायक/अवर अभियंता ग्रा पं के एक समूह के लिए	• निर्धारित मानक टेम्पलेट्स में कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना; • मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर किए गए सभी कार्यों के लिए साप्ताहिक आधार पर माप लेना; और • माप पुस्तकों का रख-रखाव, आदि।
	ग्राम रोजगार सहायक	• आवधिक रोजगार दिवस आयोजित करके जागरूकता फैलाना; • पंजीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, जॉब कार्ड का वितरण, जॉब के आवेदनों के लिए दिनांकित रसीदों का प्रावधान, आवेदकों को काम का आवंटन; • ग्राम सभा की बैठकों और सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करना; • कार्यस्थल पर निर्धारित मस्टर रोल में स्वयं या साथी के माध्यम से प्रतिदिन मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना; और • भुगतान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भरे हुए मस्टर रोल आदि को समय पर प्रस्तुत करना।

1.4 लेखापरीक्षा ढाँचा

1.4.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों को, प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करते हुए, अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था।
- रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित की गई तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा हेतु पर्याप्त रोजगार का सृजन किया गया था जैसे कि परिकल्पना की गई थी।
- टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण एवं रख-रखाव किया गया और अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों का अनुपालन किया गया।
- उच्च पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणालियां मौजूद थीं और परिकल्पित रूप से कार्य कर रही थीं।

1.4.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, परिचालन दिशानिर्देश 2013, उसमें संशोधन और अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम;
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा वि म), भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र;
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश, परिपत्र और निर्देश, दिशानिर्देश आदि;
- उत्तराखण्ड वित्तीय नियम एवं सामान्य वित्तीय नियम; एवं
- योजना का भौतिक निरीक्षण/सर्वेक्षण।

1.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

मनरेगा की निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2019 से मार्च 2024[3] तक की अवधि को आच्छादित करते हुये, जुलाई 2024 तथा अक्टूबर 2024 के मध्य राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, दो जिला कार्यक्रम समन्वयकों[4], चार कार्यक्रम अधिकारियों[5] (प्रत्येक चयनित जिले से दो) और 16 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित विकास खण्ड से चार ग्रा पं) के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से की गयी थी ***(परिशिष्ट-1.1)***। जिलों/विकास खण्डों का चयन आई डी ई ए सॉफ्टवेयर में स्ट्रेटिफाइड रेंडम सेंपलिंग मेथड का उपयोग करके 2019-24 के दौरान किए गए व्यय के आधार पर किया गया था और ग्राम पंचायतों के चयन के लिए, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड (पी पी एस डब्ल्यू ओ आर) का उपयोग करके व्यय के आधार पर किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यादृच्छिक नमूने के आधार पर विस्तृत जाँच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दस कार्यों का चयन किया गया था क्योंकि चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा कम संख्या में कार्य निष्पादित किए गए थे। विभाग के संबंधित प्रतिनिधियों/ अधिकारियों और लेखापरीक्षा दल के सदस्यों की मौजूदगी में संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली के माध्यम से 200 लाभार्थियों (प्रत्येक जाँची गई ग्राम पंचायत में 12-15) का लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था।

---

[3] 2019-2024 की अवधि के लिए रोजगार सृजन, कार्य की स्थिति, विलम्ब क्षतिपूर्ति और मजदूरी-सामग्री अनुपात से संबंधित आँकड़ों को 15 नवंबर 2024 तक माना गया था।

[4] अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल।

[5] अल्मोड़ा जिले से हवालबाग और ताकुला और टिहरी गढ़वाल जिले से भिलंगना और नरेंद्र नगर।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर 02 जुलाई 2024 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा वि वि) और राज्य में योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित प्रवेश गोष्ठी में चर्चा की गई।

सचिव, ग्रा वि वि और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर 30 जनवरी 2025 को आयोजित बहिर्गमन गोष्ठी में चर्चा की गई।

1.5 स्वीकारोक्ति

हम ग्रामीण विकास विभाग और राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ के अधिकारियों/कर्मचारियों, चयनित उप जि का स, का अ और ग्रा पं द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किए गए समग्र सहयोग और सहायता की सराहना करते हैं।

अध्याय-2
योजना की प्रभावशीलता

अध्याय-2

योजना की प्रभावशीलता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सफल कार्यान्वयन के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफलता का एक प्रमुख संकेतक समय पर रोजगार सृजन, और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कार्यों का डिजाइन और चयन इस प्रकार किया जाय कि उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियाँ निर्मित हों। तय समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए पूर्व नियोजन आवश्यक है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत (ग्रा पं) को एक विकास योजना और संभावित कार्यों/परियोजनाओं की एक सूची तैयार करनी थी, ताकि कार्य की माँग होने पर उन्हें शुरू किया जा सके। योजना में श्रम माँग का आकलन, आकलित माँग को पूरा करने के लिए कार्य, कार्य की अनुमानित लागत और सृजित किए जाने वाले मानव दिवस (मा दि) सम्मिलित किए जाने थे। नियोजन प्रक्रिया में चरणों के लिए नियत तिथियों को दर्शाने वाला एक सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

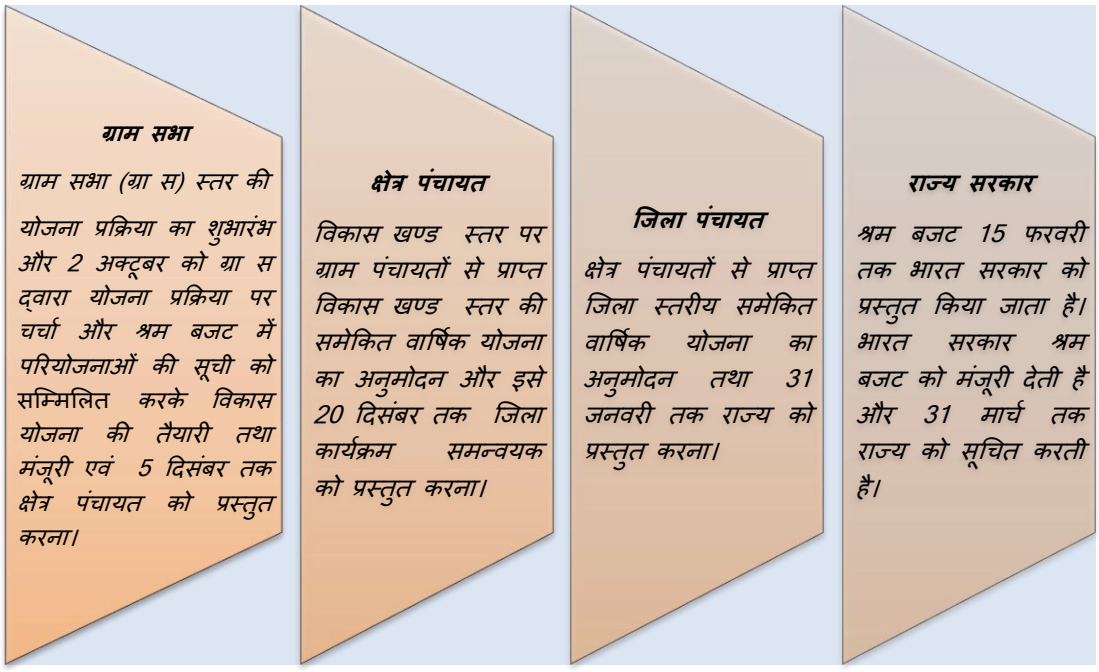

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न स्तरों पर प्रमुख अधिकारियों द्वारा नियोजन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

2.1 योजना और श्रम बजट तैयार करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 6.1.3 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) को जिले में प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की सूची के

नियोजन से अनुमोदन तक उर्ध्वगामी दृष्टिकोण के सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

श्रम बजट (श्र ब) तैयार करने से पूर्व, विभिन्न गतिविधियों को पहले निम्नानुसार पूरा किया जाना चाहिए:

- कार्य की माँग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करना;
- विकास योजना तथा परियोजनाओं की सूची तैयार करना;
- सभी क्षेत्रों में जिलों की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान करने के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना; एवं
- श्रम बजट तैयार करने में समय-सीमा का पालन करना, इत्यादि।

तथापि, श्रम बजट तैयार करते समय विभिन्न कमियां/अनियमितताएं पायी गई थीं जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.1.1 आधारभूत सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 6.2 (i) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड धारकों का अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण किया जाना था, ताकि ग्राम पंचायत में रोजगार की माँग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके। रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ संस्थाओं को अलग-अलग सूचीबद्ध किया जाना था। आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रायोगिक कार्य 2012-13 में किए जाने थे ताकि सभी ग्राम पंचायतों के लिए सर्वेक्षण 2013-14 में पूर्ण किया जा सके। घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर बेस वर्ष श्र ब/काम की माँग का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए ताकि आजीविकाओं के स्थानीय स्वरूप में परिवर्तन और उत्पादन कार्यकलापों में कार्य के अवसरों को ध्यान में रखा जा सके। आधारभूत मूल्याँकन ग्राम पंचायत और जिले की विकास योजना[1] का एक अनिवार्य घटक होगा।

लेखापरीक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत में कार्य की माँग की मात्रा और समय के मूल्याँकन के लिए ढाँचे और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए राज्य में न तो विशेषज्ञ संस्थान को पैनल में सम्मिलित किया गया था और न ही आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अभाव में ग्राम पंचायतें लाभार्थियों से काम की वास्तविक माँग या उनके रोजगार अनुरोधों के समय को सही ढंग से निर्धारित करने में असमर्थ

[1] विकास योजना मनरेगा के लिए एक वार्षिक योजना है जिसे ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है।

थीं। परिणामस्वरूप, जमीनी स्तर पर एक यथार्थवादी विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी जैसा कि ***प्रस्तर-2.1.2.1*** में उल्लिखित किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संज्ञान लिया और आश्वासन दिया कि इन बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए सभी जिलों को समेकित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2.1.2 ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर अनियमित नियोजन

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के प्रस्तर 6.6 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से एक संकल्प के साथ अपनी वार्षिक योजना और श्रम बजट (वा यो तथा श्र ब) कार्यक्रम अधिकारी (का अ) को प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्र पंचायत को ग्रा पं द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्य को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं है यदि वह अधिनियम और बनाए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; अन्यथा उसे संशोधन के लिए ग्रा पं को प्रस्ताव वापस करना होगा। इसके अतिरिक्त, सतत आजीविका प्राप्त करने के लिए, दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6.4 में प्रावधान है कि एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई), कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सी ए डी एवं डब्ल्यू एम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) आदि जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। परियोजनाओं की प्राथमिकता का क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठकों में निर्धारित किया जाएगा और इसे वार्षिक योजना में दर्शाया जाएगा।

लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा[2] की बैठकें 311 दिनों (औसत विलंब: 72 दिन) तक की देरी के साथ आयोजित की गई। आगे, चयनित ग्रा पं में से किसी भी ग्रा पं ने विकास खण्ड-स्तरीय वा यो एवं श्र ब में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की तिथियों को दर्ज नहीं किया गया। अतः लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि ग्रा पं की वार्षिक योजना प्राधिकारी को समय से प्रेषित की गयी थी या नहीं।
- विकास खण्ड स्तर पर परियोजनाओं को मनमाने ढंग से वार्षिक योजना से जोड़ा या हटाया गया। चयनित ग्रा पं के प्रस्तावों के विश्लेषण से विकास खण्ड स्तर पर प्रस्तावित कार्यों और वार्षिक योजना में सम्मिलित कार्यों की संख्या के बीच विसंगतियां पाई गई। वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित ग्रा पं ने 1,409 कार्यों का

[2] ग्राम पंचायत बुंगा, धौलारा और जीतप के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

प्रस्ताव रखा था, जबकि विकास खण्ड स्तर पर 1,278 कार्यों को सम्मिलित किया गया था ***(परिशिष्ट-2.1)***। ये परिवर्तन ग्रा पं की भागीदारी के बिना किए गए थे, जो मनरेगा प्रावधानों का उल्लंघन हैं।

- राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के लिए राज्य के श्रम बजट (श्र ब) फरवरी-मार्च में भारत सरकार (भा स) को प्रस्तुत किए गए थे, तदोपरांत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च में अनुमोदित किए गए थे। हालाँकि, यह देखा गया कि इन श्र ब को उर्ध्वगामी दृष्टिकोण का पालन किए बिना तैयार किया गया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि चयनित जिलों के जि का स ने 2019-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष जनवरी-फरवरी में अपने श्र ब प्रस्तुत किए जबकि विकास खण्डों के वा यो और श्र ब उसी अवधि के दौरान जनवरी और अक्टूबर के मध्य जिले में प्रस्तुत किए गए थे। यह अनुक्रम इंगित करता है कि विकास खण्ड स्तर के वा यो और श्र ब प्रस्तुत करने से पहले ही भारत सरकार द्वारा श्र ब को अंतिम रूप दिया गया था, जिससे जमीनी स्तर पर इनपुट के आधार पर श्र ब तैयार करने का उद्देश्य विफल हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सचिव, ग्रा वि वि ने इस बात का आश्वासन दिया गया कि श्रम बजट की तैयारी में उर्ध्वगामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया जाएगा।

2.1.2.1 प्रक्षेपित और प्राप्त मानव दिवसों में अंतर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों के श्र ब उर्ध्वगामी दृष्टिकोण में तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि जिलों के श्र ब में प्रस्तावित मानव दिवस (मा दि) जो राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को प्रेषित किए गए थे और जिले के विकास खण्डों द्वारा उनके श्र ब में मनरेगा प्रस्तावित मा दि के मध्य बहुत अधिक अंतर था जैसा कि नीचे **तालिका- 2.1** में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका-2.1: चयनित जिलों और विकास खण्डों द्वारा मानव दिवसों का अनुमान

वर्ष	अल्मोड़ा		टिहरी गढ़वाल	
	विकास खण्डों के श्र ब के अनुसार	जिले के श्र ब के अनुसार	विकास खण्डों के श्र ब के अनुसार	जिले के श्र ब के अनुसार
				(संख्या लाख में)
2019-20	36.06	13.52	आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं	31.06
2020-21	53.07	12.00	आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं	25.89
2021-22	20.24	20.24	189.40	28.83
2022-23	16.00	16.00	182.72	27.80
2023-24	18.98	21.60	164.47	32.25

स्रोत: चयनित जिलों और विकास खण्डों का श्रम बजट।

इसी प्रकार, 2019-24 के दौरान अल्मोड़ा जिले की तुलना में टिहरी गढ़वाल जिले के लेखापरीक्षित ब्लॉकों में अनुमानित मा दि की उपलब्धि काफी खराब थी, जिसमें विकास खण्ड भिलंगना में 65 *प्रतिशत* से 86 *प्रतिशत* और विकास खण्ड नरेंद्र नगर में 72 *प्रतिशत* से 85 *प्रतिशत* तक की कमी थी। इसके विपरीत, अल्मोड़ा जिले में विकास खण्ड हवालबाग में दो *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* और विकास खण्ड ताकुला में 29 *प्रतिशत* से 83 *प्रतिशत* की कमी देखी गई, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका-2.2** में बताया गया है:

तालिका-2.2: चयनित विकास खण्डों में मा दि का अनुमान और उपलब्धि

वर्ष	विकास खण्ड हवालबाग			विकास खण्ड ताकुला		
	श्र ब में अनुमानित मा दि की संख्या	सृजित मा दि की संख्या	(+) आधिक्य/ (-) कमी *(प्रतिशत)*	श्र ब में अनुमानित मा दि की संख्या	सृजित मा दि की संख्या	(+) आधिक्य / (-) कमी *(प्रतिशत)*
						(आँकड़े लाख में)
2019-20	6.52	1.37	(-) 5.15 (79)	5.27	0.88	(-) 4.39 (83)
2020-21	12.95	2.61	(-) 10.34 (80)	3.95	1.44	(-) 2.51 (64)
2021-22	1.89	1.85	(-) 0.04 (02)	1.44	1.02	(-) 0.42 (29)
2022-23	1.40	1.52	(+) 0.12 (09)	1.79	0.90	(-) 0.89 (50)
2023-24	1.83	1.20	(-) 0.63 (34)	1.62	0.71	(-) 0.91 (56)
योग	***24.59***	***8.55***	***(-) 16.04 (65)***	***14.07***	***4.95***	***(-) 9.12 (65)***
वर्ष	**विकास खण्ड भिलंगना**			**विकास खण्ड नरेंद्र नगर**		
	श्र ब में अनुमानित मा दि की संख्या	सृजित मा दि की संख्या	(+) आधिक्य/ (-) कमी *(प्रतिशत)*	श्र ब में अनुमानित मा दि की संख्या	सृजित मा दि की संख्या	(+) आधिक्य/ (-) कमी *(प्रतिशत)*
						(आँकड़े लाख में)
2019-20	19.25	5.12	(-) 14.13 (73)	9.63	2.30	(-) 7.33 (76)
2020-21	23.92	8.33	(-) 15.59 (65)	13.62	3.76	(-) 9.86 (72)
2021-22	28.39	5.76	(-) 22.63 (80)	15.64	2.49	(-) 13.15 (84)
2022-23	32.94	4.62	(-) 28.32 (86)	15.29	2.31	(-) 12.98 (85)
2023-24	23.36	4.82	(-) 18.54 (79)	13.24	2.13	(-) 11.11 (84)
योग	***127.86***	***28.65***	***(-) 99.21 (78)***	***67.42***	***12.99***	***(-) 54.43 (81)***

स्रोत: विभागीय आँकड़े/नरेगासॉफ्ट आँकड़े।

तथ्य यह है कि मा दि के अनुमान घर-घर या आधारभूत सर्वेक्षणों के विश्वसनीय आँकडों पर आधारित नहीं थे, इस प्रकार, ये प्रक्रिया में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हैं जो अनुमानों की वैधता और प्रभावशीलता को कम करते हैं।

इंगित किए जाने पर, जाँच किए गए जिलों के उप जिला परियोजना समन्वयकों (उप जि का स) ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि विकास खण्ड स्तर वा यो और श्र ब की प्राप्ति में विलम्ब के कारण जिले के श्र ब जिला स्तर पर तैयार किए गए थे। इसके अतिरिक्त, चयनित विकास खण्डों के का अ ने कहा कि योजना के अंतर्गत रोजगार उन ग्रा पं को दिया गया था जिन्होंने इसका अनुरोध किया था। हालाँकि, यह औचित्य अपर्याप्त है, क्योंकि ग्रा पं तथा विकास खण्ड स्तर पर आधारभूत सर्वेक्षण किए बिना मानव-दिवसों के अनुमान लगाए गए थे।

2.2 जिला परिप्रेक्ष्य योजना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 15.3.1 तथा 15.3.1.1 में प्रावधान किया गया है कि अभिसरण के कार्यान्वयन के लिए जि का स द्वारा एक जिला परिप्रेक्ष्य योजना (जि प यो) तैयार की जानी चाहिए जो जिलों में सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान करती है। यह योजना विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए एक बहु-वर्षीय योजना है तथा इसे ग्रा पं की विकास योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कार्यों की माँग होने पर योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची बनाए रखना भी अपेक्षित है।

चयनित जनपदों के उप जि का स के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जि प यो को यथा अधिदेश तैयार नहीं किया गया था, जिसका जिलों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जि प यो के अभाव में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं एवं अंतरालों की पहचान नहीं हो सकी, जिससे अभिसरण पहल के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप, ग्रा पं के लिए अभिनिर्धारित कार्यों की सूची में अभिसरण संबंधी कोई कार्य सम्मिलित नहीं किया गया था। यह चूक न केवल समन्वित विकास के उद्देश्य को कमजोर करती है, बल्कि यह संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग और जिले के भीतर समग्र विकास के अवसरों के चूकने का जोखिम भी पैदा करती है, जैसा कि ***अध्याय-5*** के ***प्रस्तर-5.4.2*** में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि ने कहा कि इस संबंध में एक समेकित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2.3 निष्कर्ष

अधिनियम में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जमीनी स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को दी जाने वाली प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन में विस्तृत नियोजन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था। जि प यो के अभाव ने विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं और कमियों की पहचान को रोका, जिससे अभिसरण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

2.4 अनुशंसाएँ

1. *उर्ध्वगामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के पश्चात वार्षिक योजना और श्रम बजट समय पर तैयार किया जाना चाहिए;*
   - *कार्यों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए समय पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करें।*
   - *देरी को रोकने के लिए ग्रा पं, क्षेत्र पंचायत और जिला योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक स्पष्ट समय-रेखा स्थापित करें।*
2. *राज्य सरकार को कार्य की माँग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आधारभूत सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों को पैनल में सम्मिलित करना चाहिए।*
3. *श्रम बजट में रोजगार की माँग का सही आकलन सुनिश्चित करते हुये जमीनी स्तर पर माँग को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना, इसमें यह भी सम्मिलित हों:*
   - *माँग के आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण।*
   - *जॉब कार्ड धारकों की सूचना को गतिशील रूप से अद्यतन करना।*

अध्याय-3

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रबंधन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक केंद्र पोषित माँग आधारित रोजगार कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य लागत हिस्सेदारी के आधार पर लागू किया गया है। श्रम बजट (श्र ब) में अनुमानित श्रम माँग[1] के आधार पर केंद्रान्श अथवा निधि निर्गत होती है। श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति, बेरोजगारी भत्ते एवं राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्ययों को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3.1 वित्तपोषण पद्धति

योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश (के अं) समान्यतः दो ट्रेंच में अवमुक्त किया जाता है। के अं की प्रथम ट्रेंच की धनराशि का आवंटन वार्षिक श्र ब के अनुसार, प्रथम छः माह की आवश्यकताओं के अनुपात में किया जाता है, जो कि कुल वार्षिक आवश्यकता का अधिकतम 50 *प्रतिशत* तक सीमित होता है जबकि द्वितीय ट्रेंच की राशि का आवंटन, अव्ययित राशि एवं स्वीकृत श्र ब के अनुरूप वास्तविक प्रगति के आधार पर अवमुक्त किया जाता है। योजना के विभिन्न मदों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य के मध्य अंश का अनुपात नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.1: वित्तपोषण पद्धति

मद विवरण	केंद्रीय अंश	राज्य का अंश
अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी	100 *प्रतिशत*	शून्य
कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी एवं सामग्री लागत	75 *प्रतिशत*	25 *प्रतिशत*
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100 *प्रतिशत*
प्रशासनिक व्यय	सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का 100 *प्रतिशत*, केंद्रीय परिषद के प्रशासनिक व्यय और अन्य व्यय जैसा कि केंद्रीय परिषद द्वारा तय किया जाये।	राज्य परिषद का 100 *प्रतिशत* व्यय

स्रोत: मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013।

[1] भारत सरकार और राज्य सरकार की सहमति।

योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह **चार्ट-3.1** में दिया गया है:

चार्ट-3.1: मनरेगा योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह

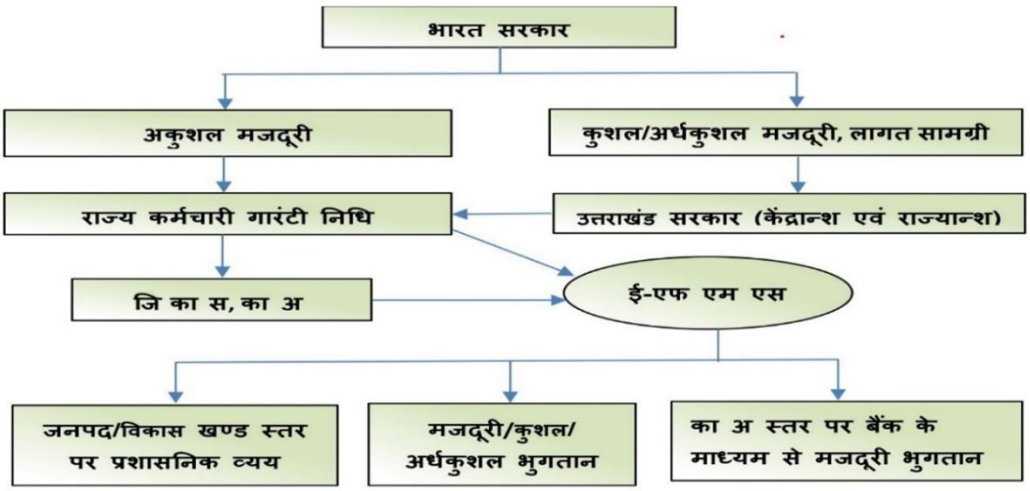

अकुशल मजदूरी से संबंधित निधि भारत सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा रो गा नि) के नोडल बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा कुशल, अर्द्ध-कुशल और सामग्री लागत के व्यय का 75 *प्रतिशत* उत्तराखण्ड सरकार (उ स) को अवमुक्त किया जाता है। उ स अपना अंश सम्मिलित करने के पश्चात निधि रा रो गा नि को अवमुक्त करती है।

2019-24 के दौरान अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय नीचे **तालिका-3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2: अवमुक्त धनराशि तथा व्यय

(क) मजदूरी मद के अंतर्गत

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	भारत सरकार को प्रेषित ब्याज	अंतिम शेष
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (5-6-7)
							(₹ लाख में)
2019-20	30.29	32,165.62	2.59	32,198.50	32,165.62	31.98	0.90
2020-21	3.48[2]	71,423.51	2.28	71,429.27	70,328.72	0.82	1,099.73[3]
2021-22	1099.73	51,063.67	7.28	52,170.68	52,159.94	7.28	3.46
2022-23	3.46	43,781.47	3.68	43,788.61	43,328.53	2.89	457.19[4]
2023-24	457.19	35,571.62	3.32	36,032.13	36,023.50	0.00	8.63
योग		***2,34,005.89***	***19.15***		***2,34,006.31***	***42.97***	

स्रोत: बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

[2] वर्ष 2019-20 के अंतिम शेष एवं 2020-21 के प्रारम्भिक शेष में अंतर के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

[3] भा स द्वारा 31 मार्च 2021 को ₹ 1,089.99 लाख अवमुक्त किए गए।

[4] भा स द्वारा 24 मार्च 2023 को ₹ 1,369.87 लाख अवमुक्त किए गए।

(ख) सामग्री और प्रशासनिक मदों के अंतर्गत

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्गत धनराशि		ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय			भा स को प्रेषितब्याज	कुल व्यय	अंतिम शेष
						सामग्री		प्रशासनिक व्यय			
		भा स का अंश	राज्य का अंश			भा स अंश	राज्य का अंश				
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)
											(₹ लाख में)
2019-20	92.12	14,895.10	3,830.81	48.88	18,866.91	11,965.67	3,988.82	2,789.93	-	18,744.42	122.49
2020-21	122.49	17,309.49	6,904.06	42.44	24,378.48	15,717.95	5,239.32	3,230.18	-	24,187.45	191.03
2021-22	191.03	96,67.15	3,222.38	58.13	13,138.69	91,81.11	3,060.37	849.50	19.89	13,110.87	27.82
2022-23	27.82	40,317.88	12,642.16	105.14	53,093.00	32,177.44	10,725.81	4,583.98	69.19	47,556.42	5,536.58[5]
2023-24	5,536.58	16,667.39	4,800.40	61.78	27,066.15	17,530.52	5,843.51	3,004.40	-	26,378.43	568.02*
योग		***98,857.01***	***31,399.81***	***316.37***		***86,572.69***	***28,857.83***	***14,457.99***	***89.08***	***1,29,977.59***	

स्रोत: बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

**** ₹ 119.70 लाख अन्य एकल नोडल खाते में अंतरित किए गए।***

राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

वर्ष 2019-20 और 28 अगस्त 2020 के मध्य सामग्री और प्रशासनिक मदों के संबंध में केंद्रान्श जारी करते समय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के अंदर राज्यान्श के साथ निधि कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु रा रो गा नि को हस्तांतरित करनी होगी। इस अवधि के बाद अंतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार विलंबित अवधि के लिए 12 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। भा स द्वारा नवंबर 2020 में इस शर्त में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार केंद्र से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों की अधिकतम अवधि के अंदर राज्य द्वारा केंद्रान्श एवं राज्यान्श को, संबंधित राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार स्तर से रा रो गा नि को धनराशि के समय पर प्रेषित करने के संबंध में अहम खामियां पाई गईं। आर्थिक दंड से बचने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर धनराशि का अंतरण किए जाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य दोनों के अंश को अवमुक्त करने में 85 दिनों तक का और राज्य के हिस्से को अवमुक्त करने में 111 दिनों तक का विलम्ब किया गया। ***(परिशिष्ट-3.1)***। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार वर्ष 2019-20 और 2020-21 (28 अगस्त 2020 तक) के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि एवं राज्य के अंश को देरी से अवमुक्त करने के लिए कुल ₹ 203.43 लाख की राशि के

[5] भारत सरकार ने 25 मार्च 2023 को ₹ 3,508.49 लाख अवमुक्त किए और राज्य द्वारा संबंधित राज्यान्श ₹ 885.24 लाख 31 मार्च 2023 को अवमुक्त किए गए।

ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी थी। हालांकि, किसी भी अभिलेख से यह ज्ञात नहीं हो पाया कि राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा इस समस्या के समाधान अथवा माँग उठाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी।

आगे, भारत सरकार के साथ-साथ राज्य के अंश को अवमुक्त करने में विलंब के कारण कुशल/अर्द्ध कुशल श्रमिकों के मजदूरी और सामग्री भुगतान में विलंब के प्रकरण थे, जैसा कि ***अध्याय-5*** के ***प्रस्तर-5.8*** में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा पुष्टि की गयी कि वर्ष 2023-24 से धनराशि समय पर अवमुक्त की जा रही है। यह कथन लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप है तथा उसको बल प्रदान करता है।

3.2 आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त न होना

अधिनियम, की धारा 3 (3) के अनुसार, कार्य किए जाने के 15 दिनों के अंदर श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए।

भा स ने 2019-24 के दौरान अकुशल श्रमिकों द्वारा सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 2,373.56 करोड़ के सापेक्ष धनराशि ₹ 2,340.07 करोड़ अवमुक्त की गई थी (जैसा नीचे **तालिका-3.3** से देखा जा सकता है) जबकि 01 अप्रैल 2019 को ₹ 55.60 करोड़ की देनदारी विद्यमान थी।

तालिका-3.3: सृजित मानव दिवस (मा दि) तथा मजदूरी मद के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि

वर्ष	सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	सृजित मानव दिवस के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि (सृजित मानव दिवस *मजदूरी दर[6])	मजदूरी भुगतान हेतु भा स द्वारा अवमुक्त धनराशि
			(₹ करोड़ में)
2019-20	2.06	374.92	321.66
2020-21	3.04	611.04	714.24
2021-22	2.43	495.72	510.64
2022-23	2.06	438.78	437.81
2023-24	1.97	453.10	355.72
कुल	***11.56***	***2,373.56***	***2,340.07***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

विभाग के अनुसार, मजदूरी मद में पर्याप्त धनराशि अवमुक्त न होने के कारण, राज्य स्तर पर 31 मार्च 2024 को धनराशि ₹ 79.48 करोड़ की बकाया देनदारी थीं।

[6] वर्षवार मजदूरी दर: 2019-20: ₹ 182 प्रति दिन, 2020-21: ₹ 201 प्रति दिन, 2021-22: ₹ 204 प्रति दिन, 2022-23: ₹ 213 प्रति दिन और 2023-24: ₹ 230 प्रति दिन।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक अकुशल श्रमिकों की वास्तविक बकाया देयता ₹ 89.09 करोड़ [₹ 55.60 करोड़ + ₹ 33.49 करोड़ (₹ 2,373.56 करोड़ -₹ 2,340.07 करोड़)] होनी चाहिए थी, जबकि विभाग के अनुसार यह देयता ₹ 79.48 करोड़ थी, जो वित्तीय प्रबंधन में त्रुटि का सूचक है।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर 31 मार्च 2024 तक अर्द्ध-कुशल/कुशल मजदूरी, सामग्री एवं करों के संबंध में ₹ 122.40 करोड़ की राशि भी बकाया थी, जैसा कि नीचे **तालिका-3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4: 31 मार्च 2024 तक बकाया देनदारी

वर्ष	अर्द्ध-कुशल/कुशल मजदूरी	सामग्री	कर	योग
				(₹ लाख में)
2019-20	10.65	22.50	0.01	33.16
2020-21	12.22	29.83	0.06	42.11
2021-22	182.13	107.10	0.39	289.62
2022-23	109.58	385.50	1.74	496.82
2023-24	1,465.83	9,764.88	148.04	11,378.75
कुल	***1,780.41***	***10,309.81***	***150.24***	***12,240.46***

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ₹122.40 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया जिसमें अर्द्ध-कुशल/कुशल श्रमिकों को देय मजदूरी के रूप में ₹ 17.80 करोड़ शामिल थे।

आवश्यक धनराशि का कम अवमुक्त किया जाना न केवल विभाग की सक्रियता की कमी को उजागर करता है, बल्कि योजना की समग्र प्रभावशीलता को कम करने का जोखिम भी उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप योजना में उनकी रुचि कम हो सकती है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सचिव, ग्रा वि वि ने बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त निधि निर्गत किए जाने के कारण देनदारियां सृजित हुईं।

3.3 राज्य सरकार द्वारा ₹ 44.46 करोड़ का वित्तीय बोझ वहन न किया जाना

मनरेगा की धारा 3 (4) के अनुसार, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत परिवार के वयस्क सदस्यों को गारंटी अवधि से अधिक, अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 100 दिनों का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार की अनुमति दी (फरवरी 2021), जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान कुल 20,361 परिवारों को 100 दिनों से अधिक के लिए 23.37 लाख मानव दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया, जिस हेतु राज्य द्वारा यह व्यय अपने संसाधनों से वहन किया जाना था, इसके विपरीत भारत सरकार की निधि से ₹ 44.46 करोड़[7] का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, उ स द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार के लिए धनराशि प्रदान करने के अपने वित्तीय दायित्व का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप भारत सरकार के धन का अनुचित उपयोग हुआ। इस चूक ने दर्शाया कि दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बेहतर वित्तीय योजना और जवाबदेही की आवश्यकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा अवगत कराया कि 100 दिनों से अधिक के रोजगार के भुगतान के लिए उ स द्वारा ₹ 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी, जिसमें ₹ 2.51 करोड़ का उपयोग किया गया था। यद्यपि, प्रकरण की जाँच की जाएगी और आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी।

3.4 श्रमिकों के विलंबित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति

अधिनियम की अनुसूची II के प्रस्तर 29 में मस्टर रोल (म रो) के बंद होने के 16 वें दिन से अधिक देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन अभुगतानित मजदूरी के 0.05 *प्रतिशत* की दर से क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भा स द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर के प्रस्तर 9.8.1 के अनुसार, नरेगासॉफ्ट में भुगतान किये जाने वाली क्षतिपूर्ति की गणना[8] करने का प्रावधान है। परिपत्र के प्रस्तर 9.8.2 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी

---

[7] मानव दिवसों की संख्या (23.37 लाख) x मजदूरी दर (₹ 201 प्रति दिन) = ₹ 46.97 करोड़ - ₹ 2.51 करोड़ (राज्य द्वारा अपने स्वयं की निधि से भुगतान) = ₹ 44.46 करोड़।

[8] ध्यान में रखते हुए: (अ) श्रमिक के खाते में मजदूरी के भुगतान के लिए एफ टी ओ अपलोड करने की तिथि (ब) म रो के बंद होने की तिथि (स) इस प्रकार के विलंब की अवधि (द) कुल देय मजदूरी (य) क्षतिपूर्ति की दर।

(का अ) विलंबित क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर, यह तय करेगा कि नरेगासॉफ्ट द्वारा आगणित क्षतिपूर्ति देय है अथवा नहीं। अस्वीकृति के प्रकरण में, का अ नरेगासॉफ्ट पर अस्वीकृति के लिए विस्तृत कारण अंकित करेगा एवं भविष्य में सत्यापन हेतु अभिलेखों का रख-रखाव करेगा।

नरेगासॉफ्ट आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि अत्यधिक संख्या में विलंबित क्षतिपूर्ति दिन होने के उपरांत भी, मात्र इनके न्यूनतम *प्रतिशत* को भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है, जो एक प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है।

- राज्य स्तर पर, 2019-24 के दौरान कुल 4,19,479 दिनों का विलंबित भुगतान संज्ञान में आया, जिनमें मात्र 34,906 क्षतिपूर्ति दिनों (आठ *प्रतिशत*) के भुगतान हेतु स्वीकृति दी गयी, जबकि 91,880 दिनों को, प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा क्षतिपूर्ति हेतु योग्य न होने के आधार अस्वीकृत पर दिया गया ***(परिशिष्ट-3.2)***। शेष (2,92,693 दिन) क्षतिपूर्ति दिन सत्यापन हेतु लंबित थे जैसा कि **चार्ट-3.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.2: वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य स्तर पर विलंबित क्षतिपूर्ति दिन

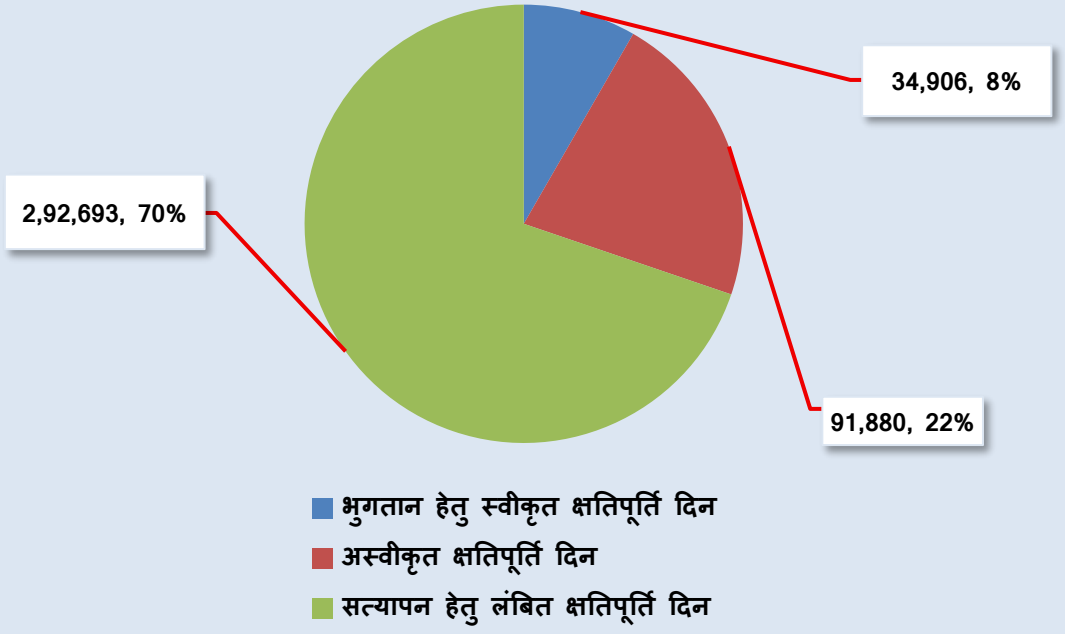

- 2019-24 की अवधि के लिए चयनित विकास खण्डों के नरेगासॉफ्ट आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि कुल 16,530 दिनों की मजदूरी भुगतान में देरी हुयी, परन्तु मात्र 70 क्षतिपूर्ति दिनों की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अथवा क्षतिपूर्ति हेतु योग्य न होने के कारण

3,304 दिनों को अस्वीकृत कर दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹ 0.18 लाख की विलंबित क्षतिपूर्ति में से ₹ 0.15 लाख का सत्यापन किया जाना लंबित था ***(परिशिष्ट-3.3)***।

चयनित कार्यों में शामिल श्रमिकों को भुगतान का विश्लेषण:

लेखापरीक्षा द्वारा मजदूरी भुगतान में हुये उल्लेखनीय विलंब के प्रकरण पाये गये, जिन्हे नमूना जाँच ग्रा पं के चयनित कार्यों के म रो के विश्लेषण द्वारा उजागर किया गया, जिसमें श्रमिक समय पर क्षतिपूर्ति पाने के कानूनी अधिकार से वंचित रहे। चयनित 160 कार्यों के 1,232 म रो की जाँच से यह संज्ञान में आया कि 411 (33 *प्रतिशत)* म रो में निहित 2,946 श्रमिकों के भुगतान में 4 से 157 दिनों के विलम्ब के साथ औसतन 31 दिनों का विलंब हुआ, परिणामस्वरूप, कुल 12,697 दिनों का विलंब तथा विलम्ब क्षतिपूर्ति ₹ 1.02 लाख की हकदारी बनी।

लाभार्थी सर्वेक्षण में भी इन निष्कर्षों की पुष्टि हुयी। 200 लाभार्थियों में से 122 (61 *प्रतिशत*) लाभार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण होने की तिथि से 15 दिनों की निर्धारित सीमा के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं प्राप्त होना बताया गया। इसने न केवल उन श्रमिकों के लिए वित्तीय कठिनाई उत्पन्न की, जो अपनी आजीविका के लिए इस मजदूरी पर निर्भर हैं, अपितु जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मनरेगा के मूल उद्देश्य को भी कमजोर किया। इस प्रकार, इन मुद्दों को हल करने में विफलता ने मनरेगा के उद्देश्य को निष्फल किया तथा समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर इसके प्रभाव का ह्रास किया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि भा स द्वारा धनराशि विलंब से/कम जारी किए जाने के कारण कुछ प्रकरणों में श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया गया था।

3.5 बेरोजगारी भत्ता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.2 के अनुसार कार्य हेतु आवेदन पत्र में एक प्रतिपन्ना रसीद संलग्न होनी चाहिए जिस पर तिथि अंकित की जा सके, और आवेदन जमा करने के तुरंत बाद दिनांकित रसीद[9] जारी की जानी चाहिए।

[9] कार्य हेतु आवेदनों को अस्वीकार करने और दिनांकित रसीदें प्रदान करने से इंकार करना मनरेगा की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन माना गया है।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.5 के अनुसार यदि कोई आवेदक अपना आवेदन जमा करने या रोजगार माँग की तिथि, जो भी बाद में हो, के 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं करता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते[10] हेतु हकदार होंगे।

आगे, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 10.3.6 में भी अधिदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव तथा विकास खण्ड स्तर पर का अ एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में रोजगार पंजिका का रख-रखाव किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में इन दिशानिर्देशों का उल्लेखनीय गैर-अनुपालन पाया गया। किसी भी चयनित ग्रा पं में कार्य की माँग हेतु पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया, जिससे वास्तविक प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष माँग किए गए कार्य की तुलना न हो पाने के कारण, बेरोजगारी भत्ते की गणना करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, नरेगासॉफ्ट के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य में कोई बेरोजगारी भत्ता वितरित नहीं किया गया।

चयनित ग्रा पं से चयनित कार्यों की पत्रावलियों की समीक्षा में पाया गया कि:

- जाँच की गई किसी भी ग्रा पं द्वारा आवेदकों को दिनांकित रसीदें प्रदान नहीं की गईं। 200 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में भी पुष्टि हुयी कि किसी को भी दिनांकित रसीदें नहीं मिली थीं।
- नमूना जाँच किये गये कार्यों की पत्रावलियों में उपलब्ध रोजगार की माँग हेतु भरे गये किसी भी आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा जिस तिथि से रोजगार की माँग की गयी थी, से संबंधित कॉलम में तिथि अंकित नहीं की गयी थी।
- सभी प्रकरणों में कार्य की माँग के लिए आवेदन सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें एक ही आवेदन पत्र पर 156 लोगों तक को सूचीबद्ध किया गया था।
- एक आवेदन पत्र में आवेदकों के नाम एक ही लिखावट में लिखे गए थे जो इंगित करता है कि आवेदन पत्र कार्य को सौंपे जाने के समय भरा गया होगा।
- चयनित कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए गए 386 आवेदन पत्रों के विश्लेषण में पाया गया कि 120 आवेदन पत्र (33 *प्रतिशत*) जिस तिथि में जमा किए गए, उस तिथि को दर्ज नहीं किया गया था, जिससे लेखापरीक्षा को इन प्रकरणों में रोजगार प्रदान करने में किसी भी देरी को ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया ***(परिशिष्ट-3.4 क)***।

[10] यह भत्ता प्रथम 30 दिनों हेतु मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होना चाहिए एवं वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होना चाहिए।

- 71 आवेदन पत्रों में आवेदकों के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे ***(परिशिष्ट-3.4 ख)***।
- आवेदन पत्र जिनमें आवेदन तिथि अंकित थी, की जाँच से ऐसे उदाहरण सामने आए जहां कार्य के इच्छुक व्यक्तियों को उनके आवेदन तिथि के 15 दिनों से अधिक समय पश्चात रोजगार प्रदान किया गया था, जिससे वे बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र थे, यद्यपि, जो उन्हे प्रदान नहीं किया गया (***परिशिष्ट 3.4 ग)***।
- अग्रेतर विश्लेषण में पाया गया कि 203 मजदूरों द्वारा रोजगार की माँग की गयी थी, परन्तु संबंधित का अ द्वारा तैयार किए गए म रो में उनके नाम शामिल नहीं थे। इस प्रकार, उन्हें रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते के अवसर से भी वंचित रखा गया ***(परिशिष्ट 3.4 घ)***।

इसे लाभार्थी सर्वेक्षण द्वारा भी प्रमाणित किया गया, जिसमें 200 लाभार्थियों में से 129 द्वारा बताया गया कि उन्हें कार्य हेतु तभी सूचित किया गया था जब कार्य संपादित किया जाना था। इस प्रकार, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कार्य हेतु आवेदन रोजगार प्रदान किए जाने के समय भरे गए थे, जिससे मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में उल्लिखित राज्य द्वारा वित्त पोषित बेरोजगारी भत्ते से बचा गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा दिनांकित रसीद प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करने तथा पात्र लाभार्थियों को, यदि बेरोजगारी भत्ते देय हो, उन्हे प्रदान किये जाने हेतु आश्वासित किया।

3.6 गैर-अनुमान्य व्यय

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 12.5.2 के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों में वृद्धि करने और महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल व्यय का 6 *प्रतिशत* तक प्रशासनिक व्यय[11] के रूप में प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 12.5.6 में प्रावधान है कि यह व्यय विशिष्ट मदों[12] पर नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि प्रशासनिक निधि का उपयोग राज्य और चयनित विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न अस्वीकार्य मदों में भुगतान हेतु किया गया, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

---

[11] धनराशि प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा व संचार (आई ई सी) गतिविधियों, एम आई एस, गुणवत्ता प्रबंधन इत्यादि जैसे अनुमन्य गतिविधियों पर व्यय किया जाना चाहिए।

[12] (i) वाहनों की खरीद व पुराने वाहनों की मरम्मत; (ii) सिविल कार्य; (iii) सरकार/पंचायती राज संस्थाओं/किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पहले से ही नियुक्त किए गए कार्मिकों का वेतन/पारिश्रमिक; और (iv) कार्यों के लिए सामग्री की खरीद।

- सचिवालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून के ग्रामीण विकास अनुभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी हेतु किराये पर लिये गये वाहन के लिए ₹ 21.17 लाख का भुगतान किया गया था, यद्यपि संबंधित अधिकारी वाहन उपयोग हेतु पात्र नहीं था।
- विकास खण्ड, नरेन्द्र नगर में कार्यालय वाहन की मरम्मत हेतु ₹ 0.25 लाख व्यय किया गया था।

इस प्रकार, प्रशासनिक निधि से धनराशि ₹ 21.42 लाख का व्यय उन मदों पर किया गया जो कि अनुमन्य नहीं था।

अपने उत्तर में, विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन विशेष रूप से अनुभाग अधिकारी को सौंपे जाने के बजाय ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय कर्मचारियों को पूल के आधार पर प्रदान किया गया था। कार्यालय वाहन की मरम्मत से संबंधित प्रकरण को विकास खण्ड द्वारा स्वीकार किया गया। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपात्र अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराना नियमानुसार नहीं था।

3.7 निधि का व्यावर्तन

भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के प्रस्तर 10.1.6.1 के अनुसार, प्रशासनिक निधि का 0.5 *प्रतिशत* तक राज्य के सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु रक्षित किया जाएगा। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (सा ले ई) के लिए धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से सा ले ई के स्वतंत्र बैंक खाते में जारी की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि नवंबर 2022 में सा ले ई को एजेंसी के कार्मिकों के मानदेय और अन्य संसाधनों के भुगतान के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने हेतु मनरेगा निधि के श्रम मद से ऋण के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई थी, जो भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत थी। इसके अतिरिक्त, सा ले ई द्वारा वर्तमान तक यह धनराशि राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून को वापिस नहीं की गई थी।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने यू एस ए ए टी ए को पर्याप्त धनराशि अवमुक्त नहीं की, जिससे धनराशि को समायोजित करना कठिन हो गया।

3.8 निष्कर्ष

ऐसे प्रकरण पाये गए जिनमें राज्य सरकार द्वारा रा रो ग नि को निधियां जारी करने में विलम्ब किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपनी देनदारी भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी। इसके अतिरिक्त, अकुशल कामगारों को मजदूरी का विलंब से भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना, गैर-अनुमन्य मदों पर व्यय एवं मजदूरी मद से संबंधित धनराशि के अन्यत्र उपयोग के प्रकरण भी देखे गए।

3.9 अनुशंसाएँ

1. ***भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित निधि अंतरण की समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। निधि अंतरण के लिए आसन्न समय सीमा को चिह्नित करने के लिए कोषागार और एस ई जी एफ सिस्टम के अंदर स्वचालित चेतावनी विकसित की जानी चाहिए।***

2. ***विलंब क्षतिपूर्ति की गणना, सत्यापन एवं निर्गत करने के लिए नरेगासॉफ्ट में स्वचालित प्रक्रियाओं को बिना हस्तचालित हस्तक्षेप के लागू किया जाना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारियों को नरेगासॉफ्ट के प्रभावी ढंग से उपयोग करने एवं विलंब क्षतिपूर्ति अनुमोदन/अस्वीकृति संबंधी अभिलेखों के उचित रख-रखाव हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।***

3. ***धनराशि के गैर-अनुमन्य अथवा व्यावर्तन उपयोग के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। देयता भुगतान, निधि का उपयोग एवं खातों के मिलान की आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का उपयोग मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार हो एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।***

अध्याय-4
पंजीकरण और रोजगार सृजन

अध्याय - 4

पंजीकरण और रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सभी ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध है और पंजीकृत परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए पात्र बनने हेतु, पंजीकरण के लिए आवेदन एक सादे कागज पर स्थानीय ग्राम पंचायत (ग्रा पं) को दिया जा सकता है, जिसमें उन वयस्क सदस्यों के नाम दिए जा सकते हैं जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं अथवा कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक अनुरोध कर सकता है। ग्रा पं इस आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ऐसे प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा पंजीकरण और रोजगार सृजन में विभिन्न कमियाँ पायी गयीं जिन्हें आगामी प्रस्तरों में रेखांकित किया गया है:

4.1 पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना

जॉब कार्ड (जॉ का) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की हकदारी को अभिलिखित करता है। यह कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और श्रमिकों को धोखाधड़ी से बचाता है। जॉब कार्ड जारी करने की मुख्य प्रक्रिया नीचे **चार्ट-4.1** में दी गई है:

चार्ट-4.1: जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया

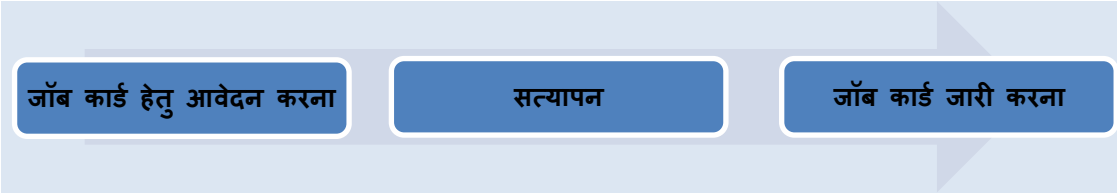

स्रोत: परिचालन दिशानिर्देश 2013।

4.1.1 घर-घर सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.1 (ii) के अनुसार प्रत्येक ग्रा पं को वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण करना चाहिए जिसमें उन पात्र परिवारों की पहचान की जाये जिनकी अनदेखी की गई हो और जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहते हों। यह महत्वपूर्ण है कि यह सर्वेक्षण वर्ष के ऐसे समय में आयोजित किया जाये जब निवासी रोजगार हेतु अथवा अन्य कारणों से अन्य क्षेत्रों में न गये हों। यह कार्यक्रम अधिकारी

(का अ) का कर्तव्य था कि वह इस सर्वेक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि उसके प्रभार में सभी ग्रा पं ने यह सर्वेक्षण किया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्रा पं में 2019-24 की अवधि के दौरान कोई भी घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया। नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों के का अ द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया था।

पंजीकरण तथा जॉ का जारी करने में पायी गयी कमियों और मुद्दों पर चर्चा आगामी ***प्रस्तर-4.1.2*** में की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान सचिव, ग्रा वि वि द्वारा आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को हल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.2 जॉब कार्ड जारी एवं अद्यतन करने में कमियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जॉ का के जारी करने एवं अद्यतनीकरण में विभिन्न कमियाँ पायी गयी, जिनका विवरण नीचे **तालिका-4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.1: जॉ का के जारी एवं अद्यतन करने में कमियाँ

क्र. सं.	परिचालन दिशानिर्देश/परिपत्र के प्रावधान	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.2 (i) में उल्लेखित है कि अकुशल रोजगार के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले परिवार जॉब कार्ड जारी करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जॉ का के लिए आवेदन स्थानीय ग्रा पं को सादे कागज पर दिया जा सकता है। प्रस्तर 3.1.5 (i) में यह उल्लेखित है कि यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्रा पं आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के अंदर परिवार को एक जॉ का जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 10.3.5 में यह उल्लेखित है कि ग्रा पं स्तर पर जॉ का आवेदन पंजिका का रख-रखाव किया जायेगा।	किसी भी नमूना जाँच ग्रा पं में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि जॉ का के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी वास्तव में पंजीकृत हुये या पात्र परिवारों को 15 दिनों के भीतर जॉ का जारी किए गये, जैसा कि मनरेगा के अंतर्गत अपेक्षित था।
2.	परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.5 (xii) में उल्लेखित है कि जॉ का में अंकित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए। रोजगार और मजदूरी से संबंधित प्रविष्टियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में, घटना की तिथि से सात दिनों के	चयनित लाभार्थियों के जॉ का के विश्लेषण में कई विसंगतियां उजागर हुई। 200 जॉ का में से 78 जॉ का (39 *प्रतिशत*) बिना फोटोग्राफ के पाये गए, तथा 50 जॉ का (25 *प्रतिशत*) में काम किए जाने की तिथि के बारे में कोई अद्यतन जानकारी अंकित नहीं थी।

क्र. सं.	परिचालन दिशानिर्देश/परिपत्र के प्रावधान	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	पश्चात न हो। जॉ का में प्रविष्टियां न होना या प्रविष्टियों में देरी को अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन और दंडनीय माना जाएगा।	इसके अतिरिक्त, 133 जॉ का (67 *प्रतिशत*) में ऐसी प्रविष्टियां थीं जो या तो प्रमाणित नहीं थीं अथवा केवल आंशिक रूप से प्रमाणित थीं। इसके अतिरिक्त, 2019 से 2024 की अवधि के लिए किसी भी नमूना जाँच किए गए जॉ का में भुगतान की तिथि दर्ज नहीं की गई थी।

सचिव, ग्रा वि वि द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2 रोजगार सृजन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 1.1 के अनुसार इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.2 (i) में प्रावधान किया गया कि पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉ का में दर्ज है, अकुशल कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन से संबंधित आँकड़े नीचे **तालिका-4.2** में दिए गए हैं:

तालिका-4.2: 2019-24 के दौरान राज्य में रोजगार सृजन की स्थिति

वर्ष	रोजगार सृजन	
	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
		(आँकड़े लाख में)
2019-20	5.04	6.61
2020-21	6.54	9.09
2021-22	5.73	7.92
2022-23	5.01	6.81
2023-24	4.72	6.38
कुल	***27.04***	***36.81***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध रोजगार सृजन से संबंधित सूचना के विश्लेषण में पाया गया कि 2020-21 से 2023-24 की अवधि में राज्य में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 30 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय गिरावट आयी। 2020-21 के दौरान रोजगार

सृजन में वृद्धि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हो सकती है, जिसने सरकार द्वारा पोषित रोजगार योजनाओं पर निर्भरता बढ़ा दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा श्रम बजट अनुमोदन, जिसमें वार्षिक मानव-दिवस लक्ष्य को रेखांकित किया गया था, के पश्चात राज्य द्वारा जिलों को माह-वार लक्ष्य आवंटित किए गए थे। हालाँकि, कम रोजगार सृजन का कारण कार्य निष्पादन हेतु अपर्याप्त निधियों को बताया गया।

विभाग यह सुझाव देते हुए कि योजनाओं को सीमित बजट के अनुरूप पूरा करने के लिए समायोजित किया गया था, 3.43 लाख कार्य (स्वीकृत 12.64 लाख का 28 *प्रतिशत*) शुरू करने में विफल रहा (***अध्याय-5*** का ***प्रस्तर-5.1 संदर्भित***)। लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 200 प्रत्यार्थियों में से 129 को उस समय सूचित किया गया था जब कार्य किया जाना सुनिश्चित हो गया था।

4.2.1 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में 10.35 लाख से 11.84 लाख पंजीकृत परिवारों में से 4.72 लाख से 6.54 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें पंजीकृत परिवारों के आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष औसतन 21 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। हालाँकि, वास्तव में रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या के आधार पर की गयी गणना में यह आँकड़ा बढ़कर 42 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष हो गया।

इसके अतिरिक्त, 2019-24 की अवधि के दौरान राज्य में कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक से चार *प्रतिशत* को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया था। विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-4.3** में दिया गया:

तालिका-4.3: 2019-24 के दौरान रोजगार पाने वाले परिवारों का विवरण

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
					(आँकड़े लाख में)
पंजीकृत परिवारों की संख्या	10.93	11.80	11.84	10.45	10.35
परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	5.04	6.54	5.73	5.01	4.72
रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	***46***	***55***	***48***	***48***	***46***
सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या	206.10	303.60	243.18	206.47	196.92
प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन	**19**	**26**	**21**	**20**	**19**
कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या	0.22	0.48	0.31	0.21	0.15
कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	**2**	**4**	**3**	**2**	**1**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

चयनित जिलों में 2019-24 के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक *प्रतिशत* से तीन *प्रतिशत* परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। यही स्थिति चयनित विकास खण्डों में भी देखी गयी, जहाँ 2019-24 की अवधि के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक *प्रतिशत* से तीन *प्रतिशत* परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि योजना का प्राथमिक उद्देश्य अर्थात एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना राज्य द्वारा हासिल नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर, परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उन्ही परिवारों को उपलब्ध कराया गया जिनके द्वारा अनुरोध किया गया था।

निम्नलिखित प्रकरण अध्ययनों के आलोक में उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

(अ) चयनित कार्यों के मस्टर रोल (म रो) के विश्लेषण में उपस्थिति दर्ज करने में विसंगतियां पायी गयी, जहाँ सम्पूर्ण माँग अवधि के लिए म रो निर्गत न करने के कारण 86 प्रकरण ***(परिशिष्ट-4.1)*** प्रभावित हुये। म रो जारी किए जाने के दौरान, तिथियों पर पूर्व से ही "x" अंकित होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, जॉ का धारक 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार, ऐसी प्रथाओं के कारण श्रमिक योजना के अधीन मिलने वाले विधि सम्मत रोजगार से वंचित रहे, जो स्पष्ट करता है कि नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

अध्ययन प्रकरण 1:

म रो संख्या: 2813 (जारी: 28.11.2020, कार्य विवरण: ग्रा पं, *दंदेली में संपर्क मार्ग का निर्माण (कार्य कोड: 3513007075/आर सी/2008050564);* अवधि: 28.11.2020 से 11.12.2020 तक, उद्देशित लाभार्थी: 10 व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु। कुल 14 दिनों की माँग के बावजूद, चार जॉ का धारकों के लिए कुछ तिथियों को[1] "x" के साथ पूर्व-चिह्नित किया गया था, जिसने न्यूनतम 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने से रोका।

[1] बलमा देवी (यू टी-13-007-075-001/139) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन); पूनम देवी (यू टी -13-007-075-001/142) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन), गीता देवी (यू टी -13-007-075-001/154) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: 10 दिन (कमी: चार दिन); लक्ष्मी देवी (यू टी -13-007-075-001/136) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन);

अध्ययन प्रकरण 2:

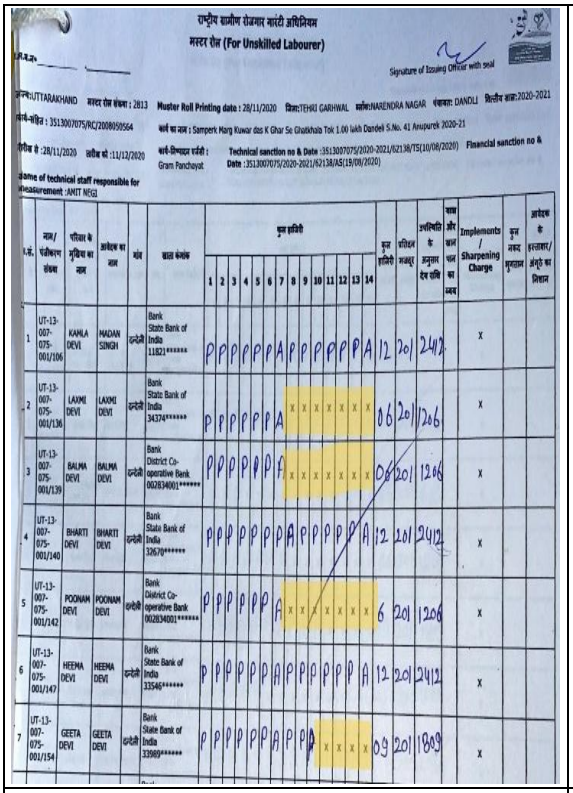

म रो संख्या: 5136 (जारी: 27.02.2023, कार्य विवरण: *ग्रा पं, मटेना में सम्पर्क मार्ग निर्माण (कार्य कोड: 3507009080/एल डी/2008135341);* अवधि: 28.02.2023 से 15.03.2023 तक। इच्छित लाभार्थी: 10 व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु। 14 दिनों के लिए कार्य की माँग के बावजूद, दो जॉ का धारकों[2] के लिए कुछ तिथियों के लिए "x" के साथ पूर्व-चिह्नित किया गया था, जिसने न्यूनतम 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने से रोका।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मस्टर रोल (For Unskilled Labourer)

चित्र-4.1: म रो: 2813

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मस्टर रोल (For Unskilled Labourer)

चित्र-4.2: म रो: 5136

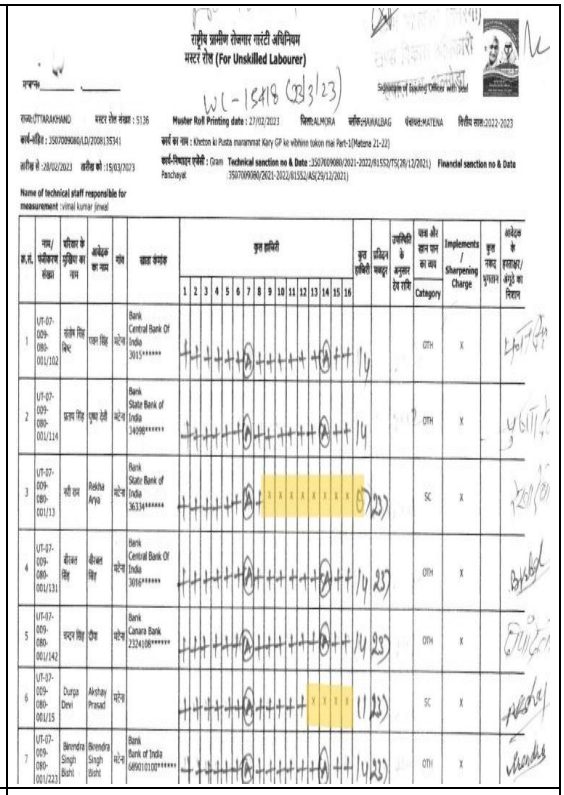

(ब) कार्यों की माँग हेतु प्रस्तुत आवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि कुल 203 श्रमिकों द्वारा रोजगार की माँग की गयी थी, लेकिन संबंधित का अ द्वारा तैयार किए गए मस्टर रोल में उक्त श्रमिकों के नाम शामिल नहीं किए गए। इस तरह, वो रोजगार से वंचित रहे जैसा कि ***अध्याय-3*** के ***प्रस्तर-3.5*** में चर्चा की गयी है।

इन प्रथाओं के कारण जॉ का धारकों द्वारा रोजगार हेतु अनुरोध किए जाने के उपरान्त भी रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया। यह मनरेगा के सिद्धांतों का उल्लंघन है

---

[2] रेखा आर्य (जॉ का नंबर: यू टी-07-009-080-001/13) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: 78 दिन, म रो जारी किया गया: आठ दिन (कमी: छः दिन); अक्षय प्रसाद (जॉ का सं यू टी -07-009-080-001/15) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: 11 दिन (कमी: तीन दिन)।

और ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त आजीविका सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को नजर अंदाज करता है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिये, ताकि मनरेगा के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित हो एवं लक्षित लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान सचिव, ग्रा वि वि ने कहा कि यह योजना माँग आधारित है, परंतु कार्य की माँग करने वालों के लिए उपलब्ध रोजगार दिनों की संख्या को अधिकतम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, म रो जारी करने से पूर्व दिनांकों पर "x" अंकित करने के प्रकरण की जाँच की जायेगी।

4.3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.4 (x) में उल्लेखित है कि कम से कम एक तिहाई श्रम रोजगार, महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में सृजित कुल रोजगार (11.56 करोड़ मानव दिवस) में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 6.48 करोड़ मानव दिवस (56 *प्रतिशत)* था, जैसा कि नीचे **चार्ट-4.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.2: 2019-24 के दौरान उत्पन्न कुल रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

(करोड़ में)

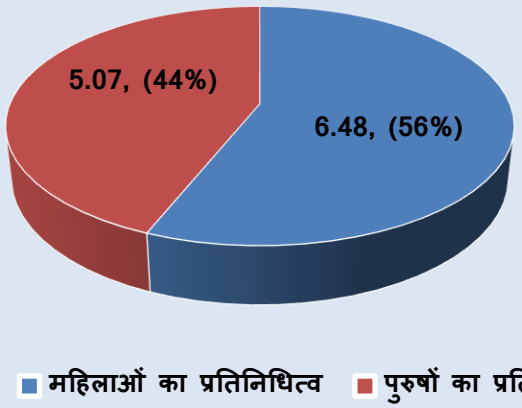

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

नमूना जाँच जिलों में 2019-24 के दौरान यह 53 *प्रतिशत* से 74 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान अल्मोड़ा जिले के जाँच किए गए विकास खण्डों में यह 44 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* के बीच एवं जिला टिहरी गढ़वाल के जाँच किए गए विकास खण्डों में 62 *प्रतिशत* से 78 *प्रतिशत* के बीच था जो सराहनीय है ***(परिशिष्ट-4.2)।***

4.4 दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 9.3.9 के अनुसार सभी दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी गांवों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। समन्वयक (कमजोर समूह) द्वारा विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसे कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। समन्वयक द्वारा मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जि प स को प्रस्तुत की जाएगी।

नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि:

- नरेगासॉफ्ट के अनुसार, राज्य में 2019-24 के दौरान 5,230 और 3,434 के मध्य दिव्यांगजन पंजीकृत थे, जिनमें से मात्र 32 *प्रतिशत* से 42 *प्रतिशत* को ही रोजगार प्रदान किया गया ***(परिशिष्ट-4.3)***।
- चयनित जिलों में 16 *प्रतिशत से 48* प्रतिशत के बीच पंजीकृत दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ***(परिशिष्ट 4.3 क)***।
- चयनित विकास खण्डों में उपलब्ध कराए गए रोजगार की प्रतिशतता 5 *प्रतिशत* से 58 *प्रतिशत* के बीच थी ***(परिशिष्ट 4.3 ख)***।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा दिव्यांग एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया। 2019-24 के दौरान रोजगार के लिए अनुरोध करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों का आँकड़ा न तो नरेगासॉफ्ट में दर्ज कियाग गया था और न ही राज्य एवं चयनित जिला, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी भौतिक दस्तावेज़ द्वारा समर्थित था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इस अवधि के दौरान काम माँगने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिशतता का पता नहीं लगा सकी। इसके अतिरिक्त, समन्वयक द्वारा दिव्यांग और अन्य कमजोर व्यक्तियों के चिन्हीकरण की प्रगति की समीक्षा किए जाने हेतु विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के साथ कोई मासिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, एक विशेष अभियान के अभाव में, अभिलेखों के रख-रखाव में कमी तथा आवश्यक बैठकों का आयोजन करने में विफलता ने लक्षित समूहों के लिए प्रभावी

रोजगार उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न की। परिणामस्वरूप, मनरेगा अधिदेश को पूरा करने में विभाग के प्रयास में कमी रही, जिससे लक्षित लाभार्थी प्रभावित हुए।

सचिव, ग्रा वि वि के द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी, 2025) के दौरान बताया गया कि इस संबंध में विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4.5 निष्कर्ष

वर्ष 2019-24 के दौरान किसी भी नमूना जाँच की गयी ग्रा पं में घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान मात्र 46 *प्रतिशत* से 55 *प्रतिशत* पंजीकृत परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार औसतन 21 दिनों का रोजगार मिला। माँग के बावजूद, परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार नहीं मिल सका; हालाँकि, रोजगार पाने वाले श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सराहनीय था।

4.6 अनुशंसाएँ

1. ***यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी ग्रा पं पंजीकरण के लिए पात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु अनिवार्य रूप से वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण करे। कार्यक्रम अधिकारी (का अ) सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार और निगरानी करे एवं उच्च अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।***
2. ***आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं जॉ का को समय पर जारी करने हेतु सभी ग्रा पं में जॉ का आवेदन पंजिका का रख-रखाव किया जाये। प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण एवं रोजगार और मजदूरी के विवरण को समय पर दर्ज करने सहित, जॉ का के उचित रख-रखाव और अद्यतन पर ग्रा पं अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जायें। जॉ का रिकार्डों की आवधिक समीक्षा के लिए एक निरीक्षण तंत्र स्थापित हो।***
3. ***मस्टर रोल (म रो) जारी करने में आने वाली विसंगतियों को दूर किया जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपस्थिति के दिनों को पूर्व-चिह्नित करना या रोजगार को 100 दिनों तक सीमित करने जैसे कृत्रिम प्रतिबंधों को दूर करते हुये कार्य माँग के अनुसार उपलब्ध हो।***

अध्याय-5
कार्यों का निष्पादन

अध्याय - 5

कार्यों का निष्पादन

ग्रामीण लोगों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है। इस योजना का केंद्र बिन्दु कार्यों पर है जैसे जल संरक्षण, सूखारोधी, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य, पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, ग्रामीण संपर्क मार्गों एवं भूमि विकास आदि। टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन मनरेगा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अधिनियम के अनुसार, सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार को योजना के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में कार्यों के निष्पादन में अनेक कमियां पाई गई, जैसे कि कार्य के निष्पादन में कमी, अस्वीकृत कार्यों का निष्पादन, कार्य का संदिग्ध निष्पादन, अपव्ययता, रॉयल्टी की कटौती न होना, बिलों/वाउचरों का सत्यापन न होना, अकुशल, कुशल/अर्धकुशल श्रमिकों के वेतन भुगतान तथा सामग्री भुगतान में अनियमितताएं आदि। जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है

5.1 कार्यों के निष्पादन में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 7.17 में प्रावधान है कि अपूर्ण कार्यों के समाधान हेतु एक रणनीति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 7.17.4 में प्रावधान है कि उन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (का का ए) को नए कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहाँ कार्य प्रस्तावित वर्ष के बाद, एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े हैं।

कार्यों की समग्र स्थिति नरेगासॉफ्ट से ली गई है। 2019-24 के दौरान राज्य में स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण और शुरू न हुए कार्यों की स्थिति नीचे **चार्ट-5.1** में दी गई है

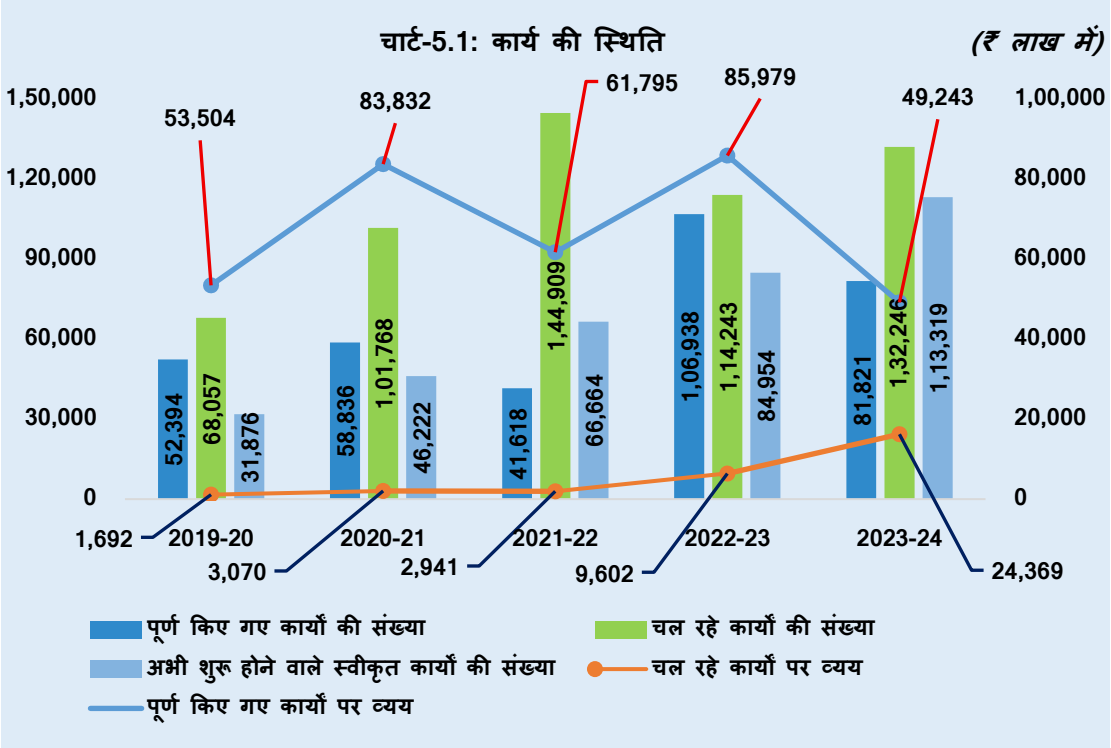

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि:

- 2019-24 के बीच निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल 12,45,865 कार्यों में से केवल 3,41,607 (27 *प्रतिशत*) कार्य पूर्ण हुए और ₹ 416.74 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी 5,61,223 (45 *प्रतिशत*) कार्य गतिमान थे।
- विभाग योजना बनाने के पश्चात भी 3,43,035 कार्य (28 *प्रतिशत*) शुरू करने में विफल रहा। यह देखा गया कि 2019-24 के दौरान शुरू न किए गए कार्यों की कुल संख्या पूर्ण हुए कार्यों से अधिक थी। यह पुनः, इस तथ्य का संकेत था कि कार्यों को आवंटित बजट के अनुरूप ही प्रदर्शित किया जा रहा था, जैसा कि ***अध्याय-4*** के ***प्रस्तर 4.2*** में चर्चा की गयी है।

इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान स्वीकृत 1,76,323 कार्यों में से केवल 41,028 कार्य (23 *प्रतिशत*) ही पूर्ण हुए और चयनित जिलों में 79,672 कार्य (45 *प्रतिशत*) गतिमान थे। जि प स, योजना बनाने के बाद भी 55,623 कार्य (32 *प्रतिशत*) शुरू करने में विफल रहे (वर्षवार स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण किये गए कार्यों का विवरण ***परिशिष्ट-5.1*** में दिया गया है)। नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में, केवल 22 *प्रतिशत* (37,308 कार्यों में से 8,285 कार्य) पूर्ण हुए, जबकि 43 *प्रतिशत* (16,103 कार्य) गतिमान थे, इसके अतिरिक्त, 12,920 कार्य (35 *प्रतिशत*) 2019-24 के दौरान बिल्कुल भी शुरू नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट-5.2)***।

नमूना जाँच की गई ग्रा पं में, 2019-24 के दौरान 930 कार्यों के निष्पादन के लिए वर्क कोड तैयार किए गए थे, जिनमें से केवल 380 कार्य (41 *प्रतिशत*) पूर्ण हुए और 70 कार्य (7 *प्रतिशत*) गतिमान थे, इसके अतिरिक्त, 480 कार्य (52 *प्रतिशत*) ग्रा पं द्वारा शुरू नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट 5.3)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि ने कहा कि कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

5.2 मजदूरी एवं सामग्री अनुपात

मनरेगा की अनुसूची-I के प्रस्तर 20 में प्रावधान है कि ग्रा पं और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए, कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी।

एम आई एस डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 2019-24 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किए गए किसी भी जनपद में सामग्री घटक पर व्यय 40 *प्रतिशत* की सीमा-रेखा से अधिक नहीं था, जो सराहनीय था जैसा कि नीचे **चार्ट-5.2 (क)** एवं **(ख)** में दिया गया है:

चार्ट-5.2 (क): अल्मोड़ा में मजदूरी सामग्री अनुपात

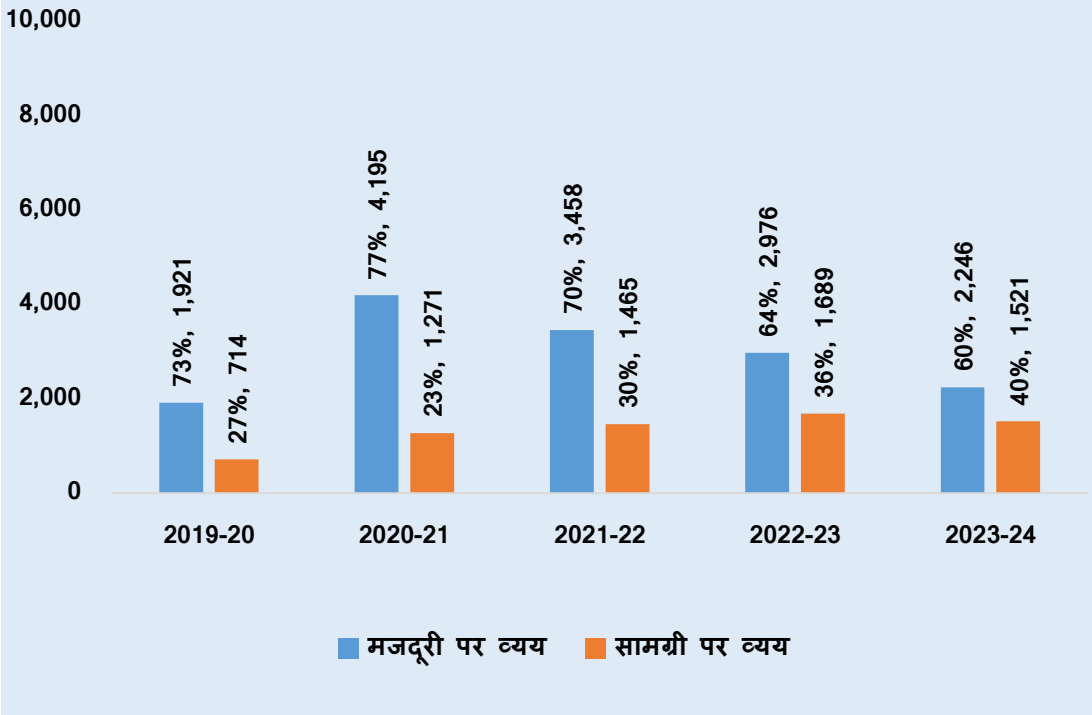

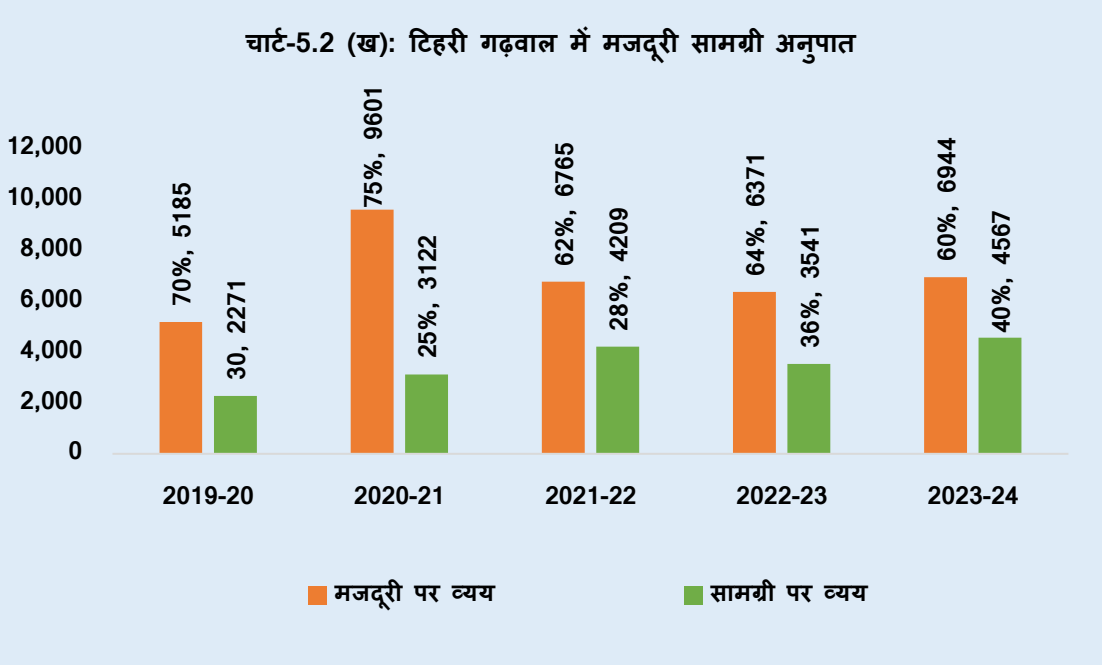

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

5.3 परिसंपत्तियों का सृजन

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, चयनित ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत निष्पादित 160 कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। जबकि, अधिकांश कार्य संतोषजनक स्थिति में पाए गए, फिर भी लेखापरीक्षा के दौरान कुछ कमियां पायी गई, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

5.3.1 कार्यों का संदिग्ध निष्पादन

क. विकास खण्ड नरेंद्र नगर की ग्रा पं फर्त में पशुबाड़ा (वर्क कोड: 3513007020/एल डी/2008147528) का निर्माण कार्य को ₹ 0.77 लाख स्वीकृत (2021-22) किया गया था। ₹ 0.65 लाख के व्यय के बाद यह कार्य 30.03.2023 को पूर्ण हुआ।

कार्य के प्रथम चरण (कार्य शुरू होने से पहले) की जियो टैग की गई तस्वीर से पता चला कि कार्य पहले से ही मौजूद था, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भौतिक निरीक्षण (06.08.2024) के दौरान, पहले से मौजूद कार्य की निर्मित संरचना में कोई परिवर्तन नहीं था। इसलिए, पहले से मौजूद संपत्ति पर ₹ 0.65 लाख का व्यय संदेहास्पद था।

चित्र-5.1: जियो-टैगिंग (29.10.2022) के अनुसार कार्य शुरू होने से पहले परिसंपत्ति की स्थिति।

चित्र-5.2: भौतिक निरीक्षण (06.08.2024) के समय कार्य की स्थिति।

ख. विकास खण्ड भिलंगना के ग्रा पं मेहरगांव में घेरबाड़/भूमि सुधार/बागवानी/ नर्सरी (वर्क कोड: 3513002103/LD/2008158106) का निर्माण कार्य ₹ 7.99 लाख (2022-23) स्वीकृत किया गया था एवं एम आई एस के अनुसार जुलाई 2024 तक ₹ 3.24 लाख व्यय किया जा चुका था। कार्य स्वीकृत होने के दो साल पश्चात भी अपूर्ण था।

स्वीकृत आकलन के अनुसार, नर्सरी कार्य हेतु 500 पौधे रोपित किये जाने थे तथा इन पौधों के लिए पिंजरे स्थापित किए जाने थे।

चित्र-5.3: ग्रा पं महर घेरवाड़ में भूमि सुधार/ बागवानी/ नर्सरी कार्य (24.07.2024)।

उपरोक्त कार्य के भौतिक निरीक्षण (24.07.2024) के दौरान लेखापरीक्षा को केवल कुछ बिखरे खोदे हुए गड्ढे पाये गए। भूमि विकास कार्य जैसे समतलीकरण, जल निकासी या परियोजनाओं से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कोई साक्ष्य नहीं थे। केवल कुछ ही पौधे रोपित किए गए थे। ज़मीनी स्तर पर वास्तविक कार्य स्वीकृत परियोजना के अनुरूप नहीं था। परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक नर्सरी अनुपस्थित थी तथा नरेगासॉफ्ट के अनुसार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर ₹ 3.24 लाख का व्यय होने के बाद भी भूमि की तैयारी अत्यंत नगण्य पाई गई थी। इस प्रकार, भौतिक साक्ष्यों की कमी दर्शाती है कि परियोजना निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि इन प्रकरणों के साथ-साथ अन्य विकास खण्डों जो लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं थे, में भी इसी तरह के मुद्दों की जाँच की जाएगी और उत्तरदायी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

5.3.2 संदिग्ध अभिलेखीकरण

विकास खण्ड ताकुला के ग्रा पं बुंगा में अमृत वाटिका/शिलाफलकम/पौधरोपण का कार्य (वर्क कोड: 3507007024/DP/2008135774) ₹ 1.00 लाख 2023-24 में अनुमोदित किया गया था।

ग्रा पं बुंगा (10.10.2024) में भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कार्यस्थल पर पहले से ही एक "शिलाफलकम" स्थापित था, जो संकेत देता है कि कार्य पूर्ण हो चुका था। यद्यपि, नरेगासॉफ्ट में कार्य की स्थिति का सत्यापन करने पर पाया गया कि कार्य को स्वीकृत कार्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, परंतु व्यय शून्य दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, भौतिक अभिलेख जैसे कार्य आदेश, प्रयुक्त मस्टर रोल, सामग्री खरीद से संबंधित बिल, माप पुस्तिका (मा पु) आदि न तो ग्रा पं स्तर पर और न ही विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध थे। मनरेगा निधि से किसी भी व्यय का न होना वित्त पोषण के स्रोत और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन पर सवाल उठाता है। किसी वित्तीय अभिलेख के बिना परियोजना का पूर्ण होना, या तो असूचित व्यय अथवा पहले से पूर्ण हो चुकी परियोजना का पुन: चयन करने की ओर इशारा करता है।

चित्र-5.4: ग्रा पं बुंगा में अमृत वाटिका/ पौधारोपण कार्य (10.10.2024)।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

5.3.3 निरर्थक व्यय

क. विकास खण्ड नरेंद्र नगर की ग्रा पं थन्युल में चहल निर्माण/जल संरक्षण (वर्क कोड: 3513007085/डब्ल्यू सी/2008082236) का निर्माण कार्य ₹ 0.99 लाख 2020-21 में

स्वीकृत किया गया था। यह कार्य ₹ 0.85 लाख के व्यय के पश्चात 31.03.2021 को पूर्ण हुआ। कार्य के भौतिक निरीक्षण (07.08.2024) के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

चित्र-5.5: ग्राम पंचायत थन्युल में चहल निर्माण/ जल संरक्षण कार्य (07.08.2024)।

- तालाब के अंदर घास और अन्य वनस्पतियाँ उगी हुई थी, जो यह दर्शाता है कि इसका रख-रखाव नहीं किया गया था या जल संरक्षण के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था।
- स्थल पर कोई इनलेट चैनल नहीं पाया गया, जो तालाब में पानी पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण था।
- इसके अतिरिक्त, परियोजना के स्वीकृत आकलन में कंटोर फ़रोज के निर्माण के लिए ₹ 21,205 का प्रावधान शामिल था, जो मृदा अपरदन को रोकने और जल संरक्षण में सहायता के लिए आवश्यक हैं, कंटोर फ़रोज के अभाव में यह संशय उत्पन्न होता है कि जल संरक्षण के उद्देश्य हेतु आवंटित निधि का समुचित उपयोग नहीं किया गया।

दिनांक 19.07.2022 अपलोड की गई जियोटैग्ड तस्वीर (कार्य पूरा होने के पश्चात) के विश्लेषण से इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई।

चित्र-5.6: कार्य पूर्ण होने के बाद जियोटैग्ड फोटोग्राफ (19.07.2022)।

इन तस्वीरों में उजागर हुआ कि इनलेट चैनल की अनुपस्थिति, कंटोर फ़रोज का अभाव तथा कार्यक्षेत्र पर घास पहले से ही उगी हुई थी। ये टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण डिज़ाइन विशेषताओं की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं और भौतिक निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को प्रमाणित करते हैं।

कुल ₹ 0.85 लाख का व्यय, जिसका उपयोग प्रभावी जल संरक्षण के लिए किया जाना था, निष्फल प्रतीत हुआ।

ख. विकास खण्ड नरेंद्र नगर की ग्रा पं दंदेली में वर्षा जल संचयन टैंक (कार्य कोड: 3513007075/डब्ल्यू सी/2008118202) का निर्माण कार्य ₹ 0.49 लाख 2022-23 में स्वीकृत किया गया। यह कार्य ₹ 0.41 लाख व्यय के पश्चात 15.12.2022 को पूर्ण हुआ।

स्वीकृत कार्य में दंदेली गाँव के प्राथमिक विद्यालय में वर्षा जल संचयन टैंक का निर्माण कार्य शामिल था। भौतिक निरीक्षण (07.08.2024) के दौरान, यह पाया गया कि टैंक के निर्माण में प्रभावी वर्षा जल संग्रहण और भंडारण के लिए आवश्यक उल्लेखनीय विशेषताएं शामिल नहीं थीं, जैसे कि टैंक में जल प्रवाह के लिए आवश्यक इनलेट प्रणाली का अभाव था, जो वर्षा जल को कुशलतापूर्वक एकत्रित करने और इसे टैंक में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, टैंक में एक पर्याप्त अतिप्रवाह प्रबंधन प्रणाली नहीं थी, जो संरचना की दीर्घायु और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस तरह की परियोजना के लिए उचित योजना और तकनीकी विशिष्टताओं के पालन की कमी को दर्शाता है।

चित्र-5.7: ग्राम पंचायत दांडली में वर्षा जल संचयन टैंक।

यह दर्शाता है कि टैंक वर्षा जल संचयन प्रणाली के रूप में कार्यात्मक नहीं था और परिणामस्वरूप, यह अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।

ग. नरेंद्र नगर की ग्रा पं दंदेली में वनीकरण (वर्क कोड: 3513007075/डी पी/2008060472) का कार्य ₹ 0.99 लाख 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। यह कार्य ₹ 0.93 लाख के व्यय करने के पश्चात 22.01.2021 को पूर्ण हुआ।

इस परियोजना का उद्देश्य गांव में आंवला, बांस और कचनार जैसी विभिन्न प्रजातियों के 500 पौधे लगाकर वनीकरण को बढ़ावा देना था।

चित्र-5.8: ग्राम पंचायत दंडेली में वनीकरण कार्य (07.08.2024)

भौतिक सत्यापन (07.08.2024) के दौरान, कार्यस्थल पर कोई भी जीवित पौधा नहीं पाया गया, जो या तो वृक्षारोपण और रख-रखाव में विफलता या जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की पूर्ण कमी को दर्शाता है। परियोजना के विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए लगाया गया साइनबोर्ड भी गायब था, जो पुनः पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

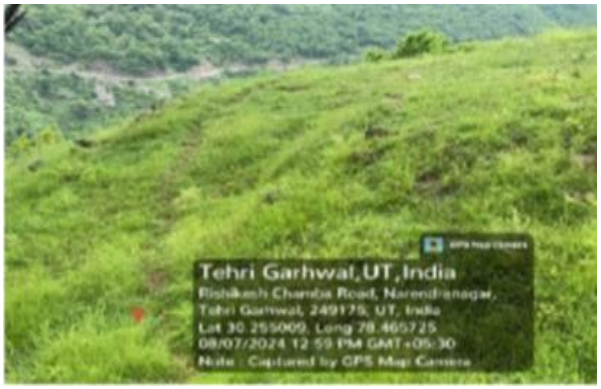

चित्र-5.9: कार्य पूर्ण होने के बाद की जियोटैग्ड फोटोग्राफ (08.07.2021)।

दिनांक 08.07.2021 को कार्य पूर्ण होने के बाद अपलोड की गई जियोटैग्ड फोटोग्राफ (परियोजना के पूर्ण घोषित होने के बाद) में कार्यस्थल पर वृक्षारोपण या पौधों के कोई संकेत नहीं मिले। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया, जो लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करता है तथा सूचित कार्य की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

इस प्रकार, ₹ 0.93 लाख के व्यय होने के बावजूद स्थिर परिसंपत्ति या दृश्य परिणाम नहीं मिलते हैं, जिससे व्यय अनुत्पादक हो गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि इन प्रकरणों के साथ ही लेखापरीक्षा नमूने का हिस्सा न रहे अन्य विकास खण्डों में भी समान मुद्दों की जाँच की जाएगी और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

5.3.4 उपयोगी परिसंपतियों का सृजन

क. विकास खण्ड भिलंगना की ग्रा पं अखोड़ी में पुलिया (पुल) (वर्क कोड: 3513002004/आर सी/2008048474) का निर्माण कार्य ₹ 3.00 लाख वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। यह कार्य ₹ 2.23 लाख व्यय करने के पश्चात पूर्ण हो गया था।

चित्र-5.10: ग्रा पं अखोड़ी में पुलिया का निर्माण (26.07.2024)।

भौतिक निरीक्षण (26.07.2024) के यह दौरान पाया गया कि पुल का निर्माण स्थानीय समुदाय के लिए विशेषकर वर्षा

ऋतु में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। पुल के निर्माण से ग्रामीणों की आवाजाही में सुधार हुआ है, जिसने उन्हे नाले में जलभराव की स्थिति में भी सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से आवागमन की सुविधा प्रदान की। मनरेगा के अंतर्गत इस कार्य के पूरा होने से न केवल आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हुई, बल्कि स्थानीय कार्यबल को निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित करके उन्हें सशक्त बनाया गया, जिससे उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई और क्षेत्र में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ।

चित्र-5.11: ग्रा पं जीतप में सिंचाई चैनल एवं टैंक का निर्माण (10.10.2024)।

ख. विकास खण्ड ताकुला की ग्रा पं जीतप में सिंचाई नहर एवं टैंक (वर्क कोड: 3507007042/आई सी/2008063520) के निर्माण कार्य हेतु ₹ 0.98 लाख वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किए गए थे। कार्य को ₹ 0.96 लाख व्यय करने के पश्चात 12.07.2022 को पूर्ण किया गया।

भौतिक निरीक्षण (10.10.2024) के दौरान, यह पाया गया कि सिंचाई नहर और टैंक दोनों अच्छी तरह से निर्मित और कार्यात्मक थे, जिसमें सिंचाई नहर सक्रिय रूप से आस-पास के कृषि क्षेत्रों में पानी प्रवाहित कर रही थी। इस सिंचाई अवसंरचना ने स्थानीय किसानों को बहुत लाभ पहुँचाया है, फसल उत्पादन में वृद्धि और खेती के लिए अधिक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस कार्य से फसल की पैदावार में भी सुधार हुआ तथा जल उपलब्धता से जुड़ी अनिश्चितता में भी उल्लेखनीय कमी आई।

चित्र-5.12: सिंचाई टैंक की उपयोगिता दर्शाता हुआ (10.10.2024)।

सिंचाई की प्रमुख स्थानीय आवश्यकता को पूर्ण कर, इस कार्य ने जमीनी स्तर पर मनरेगा के सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक लाभों को प्रदर्शित किया।

ग. विकास खण्ड हवालबाग की ग्रा पं टटीक में सीसी मार्ग निर्माण (वर्क कोड: 3507009121/आरसी/2008084759) का निर्माण कार्य ₹ 1.97 लाख 2022-23 में स्वीकृत किया गया था। एम आई एस के अनुसार, कार्य भौतिक रूप से पूर्ण था, परंतु भुगतान लंबित था।

चित्र-5.13: ग्राप में सी टटीक में सी.सी मार्ग का निर्माण (28.09.2024)।

भौतिक निरीक्षण (28.09.2024) के दौरान यह पाया गया कि निर्मित मार्ग अच्छी तरह से बना हुआ था। इस मार्ग ने महत्वपूर्ण रूप से निवासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी दी है, जिससे स्कूल, बाजार आदि जैसी आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई। इस परियोजना ने मनरेगा के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किये। यह प्रकरण ग्रामीण विकास के लिए एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में मनरेगा के महत्व को रेखांकित करता है।

5.4 अभिसरण

मनरेगा के मुख्य उद्देश्य नामतः स्थिर परिसंपत्तियों का सृजन एवं ग्रामीण परिवारों की आजीविका की सुरक्षा पंचायत एवं अन्य रेखीय विभागों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के संसाधनों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रभावी रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस अभिसरण में केवल वित्तीय संसाधनों का उपयोग ही नहीं, बल्कि रेखीय विभागों के कर्मचारियों के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान का समुचित लाभ उठाना भी सम्मिलित है।

5.4.1 मनरेगा अभिसरण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना न किया जाना

संसाधनों के उपयोग में वृद्धि और जमीनी स्तर पर अधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए मनरेगा अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा देती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मनरेगा के संचालन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि जिला, विकास खण्ड तथा ग्रामों को अभिसरण पहल की प्रभावी योजना, समन्वय और प्रबंधन के लिए संगठित संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की जाए। दिशानिर्देश के प्रस्तर 15.3.1.3 के अनुसार, जिला स्तर पर जिला संसाधन समूह (जि सं स) का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) द्वारा की जाएगी

तथा इसमें विभिन्न रेखीय विभागों के विशेषज्ञों एवं तकनीकी अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा। इस समूह को अभिसरण परियोजनाओं की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य सौपा गया है। इसके अतिरिक्त, विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर विकास खण्ड संसाधन समूह (वि सं स) तथा ग्राम संसाधन समूह (ग्रा सं स) का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत अभिसरण हेतु संस्थागत मंच के रूप में कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जिलों में आवश्यक जि सं स का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में वि सं स का गठन भी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन विकास खण्डों के अंतर्गत आने वाली नमूना जाँच की गयी ग्रा पं में भी कोई भी ग्रा सं स गठित नहीं की गई थी।

इन स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति जिला प्राधिकारियों द्वारा योजना निर्माण एवं समन्वय में कमी को दर्शाता है। यह कमी इस बात का संकेत है कि जिला प्राधिकारियों द्वारा अभिसरण संरचनाओं के गठन को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा सकी या फिर उन्हें संचालन दिशानिर्देशों की जानकारी का अभाव था।

5.4.2 अभिसरण के अंतर्गत निष्पादित कार्य

अन्य विभागों के साथ अभिसरण के अंतर्गत निष्पादित कुल मनरेगा कार्यों से संबंधित जानकारी चयनित जिलों के नमूना जाँच किए गए उप जिला परियोजना समन्वयकों (उप जि प स) तथा चयनित विकास खण्डों के कार्यक्रम अधिकारियों (का अ) द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेखीकरण की कमी और सूचित आवश्यकताओं का पालन न करना योजना के अभिसरण और कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में चिंता पैदा करता है। इन महत्वपूर्ण आँकड़ों के बिना, लेखापरीक्षा के लिए अभिसरण पहल की प्रभावशीलता और समग्र विकास लक्ष्यों के साथ उनके संरेखण का आकलन करना संभव नहीं था। हालाँकि, चयनित जिला और विकास खण्ड स्तर पर अभिसरण के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की कुछ अलग-अलग केस फाइलें उपलब्ध थीं। इन प्रकरणों की जाँच में निम्नलिखित विसंगतियाँ उजागर हुईं, जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई हैं।

5.4.2.1 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

मनरेगा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं के) का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा वि मं) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (म एवं बा वि मं) के मध्य एक महत्वपूर्ण अभिसरण प्रयास है। जैसा कि वार्षिक मास्टर परिपत्र में उल्लिखित है कि इस अभिसरण का उद्देश्य देश भर में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना करना, बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना है। संयुक्त अभिसरण दिशानिर्देश 17 फरवरी 2016 को जारी किए गए थे।

अभिसरण योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खण्ड में 26 आं के और ताकुला विकास खण्ड में 14 आं के की निर्माण योजना 2019-20 में, मनरेगा (₹ 5 लाख प्रति आं के) और रेखीय विभागों (₹ 2.5 लाख प्रति आं के) के मध्य वित्तीय व्यवस्था साझा करते हुए, बनायी गयी थी। रेखीय विभाग द्वारा अपने हिस्से की धनराशि संबंधित विकास खण्डों को प्रदान की गयी।

अभिलेखों की जाँच से कई अनुपालन और कार्यान्वयन संबंधी कमियों का पता चला जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः

- प्रति आं के ₹ 7.5 लाख का अनुमोदित आकलन पूर्ण रूप से मनरेगा की दरों की अनुसूची के आधार पर तैयार नहीं किया गया था, बल्कि इसमें ठेकेदार के लाभ एवं श्रम उपकार की धनराशि हटाये बिना दिल्ली दरों की अनुसूची (2018) की मदें भी सम्मिलित की गयी थी। इससे प्रति आं के ₹ 0.89 लाख का अधिक आकलन हुआ। परिणामस्वरूप, हवालबाग (22 आं के) और ताकुला (पाँच आं के) विकास खण्डों में पूर्ण 27 आं के पर ₹ 24.03 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- रेखीय विभाग द्वारा 2019-20 और 2020-21 में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी, अभी तक हवालबाग में मात्र 22 आं के का निर्माण पूर्ण हुआ था तथा चार अभी भी अधूरे थे। ताकुला में नौ आं के अधूरे थे और पाँच पूर्ण हो चुके थे। परिणामस्वरूप, ताकुला विकास खण्ड द्वारा शेष नौ अधूरे आं के के लिए ₹ 22.5 लाख रेखीय विभाग को वापस कर दिए गए।

ये मुद्दे मनरेगा-आई सी डी एस अभिसरण दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन की ओर इंगित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताएं, अतिप्राक्कलन और परियोजना में विलंब हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की जाँच की जाएगी, और उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

5.4.2.2 अमृत सरोवर के निर्माण में कमियाँ

"आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया, भारत सरकार द्वारा *"मिशन अमृत सरोवर"* का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करते हुए प्रत्येक जिलें में न्यूनतम 75 जलाशयों का निर्माण अथवा पुनर्जीवन सुनिश्चित करना है। इन अमृत सरोवरों का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता सुनिश्चित करना है। परियोजना के प्रभावी निष्पादन हेतु दिनांक 23 मई 2022 को तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए गए। जिनमें प्रमुख रूप से जलग्रहण क्षेत्र की सीमांकन एवं उपचार तथा गाद जाल, प्रवाह नालियां आदि जैसे संरचनात्मक तत्वों की व्यवस्था करने के निर्देश सम्मिलित थे।

हवालबाग विकास खण्ड के मटेना ग्रा पं में *"अमृत सरोवर"* (वर्क कोड: 3507009080/डब्ल्यू सी /2008114539) के निर्माण कार्य को मनरेगा अभिसरण (₹ पाँच लाख "कोसी पुनर्जीवन अभियान" तथा ₹ 16.26 लाख मनरेगा के माध्यम से) के अन्तर्गत ₹ 21.26 लाख की स्वीकृति मई 2022 में प्रदान की गई। कार्य के आगणन के अनुसार, ₹ 9.06 लाख मजदूरी भुगतान हेतु अनुमोदित था, जबकि सामग्री मद पर व्यय हेतु ₹ 12.20 लाख अनुमोदित थे।

- हालाँकि, परियोजना में कथित तौर पर ₹ 15.55 लाख व्यय किए गए, दो बिल (क्रमांक 198 दिनांक 05.09.2022 तथा क्रमांक 199 दिनांक 02.12.2022) संदिग्ध प्रतीत हुए। दोनों बिलों के बीच लगभग तीन माह का अंतराल होने के बावजूद, एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी इन बिलों के क्रमांक क्रमागत थे, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि संभवतः दोनों बिल एक ही दिन में तैयार किए गए होंगे अथवा बिलों में दर्शायी गई सामग्री वास्तव में क्रय नहीं की गई होगी।

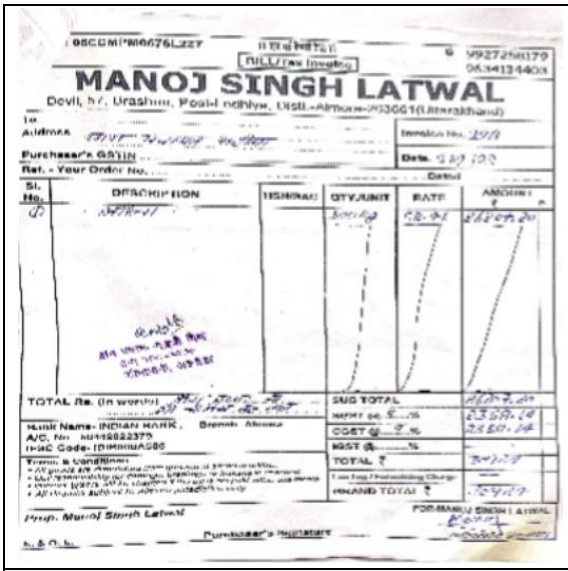

चित्र-5.14 बिल संख्या 198 दिनांक: 05.09.2022।

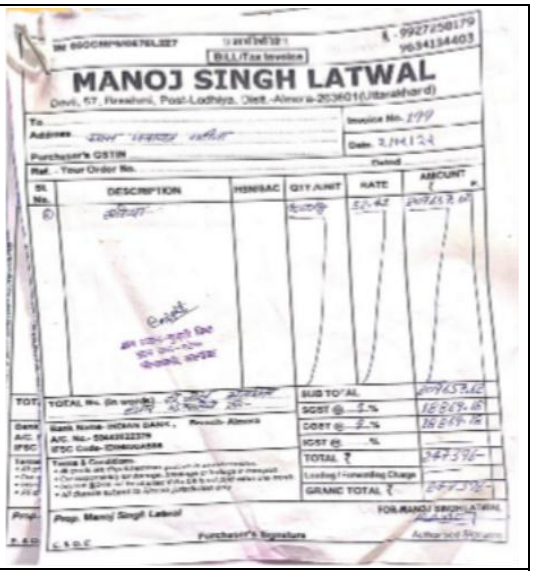

चित्र-5.15: बिल संख्या 199 दिनांक: 02.12.2022।

- इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि बिल संख्या 200 दिनांक 12.11.2022 को जारी किया गया, जो बिल संख्या 199 (दिनांक 02.12.2022) से पूर्व का था। यद्यपि दोनों बिल एक ही आपूर्तिकर्ता से थे। बिलों का यह अनियमित क्रम मानक बिलिंग प्रथाओं के विपरीत है, जिसके अनुसार बिल क्रमांक कालानुक्रमिक क्रम में होना चाहिए। ये अनियमितताएं अभिलेखों में हेराफेरी करके व्यय को बढ़ाने या धन का दुरुपयोग करने के प्रयास की ओर इंगित करती हैं।

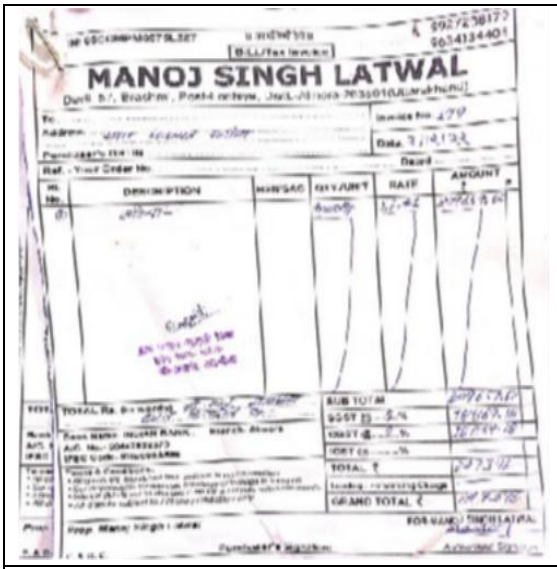

चित्र-5.16: बिल संख्या 199 दिनांक: 02.12.2022।

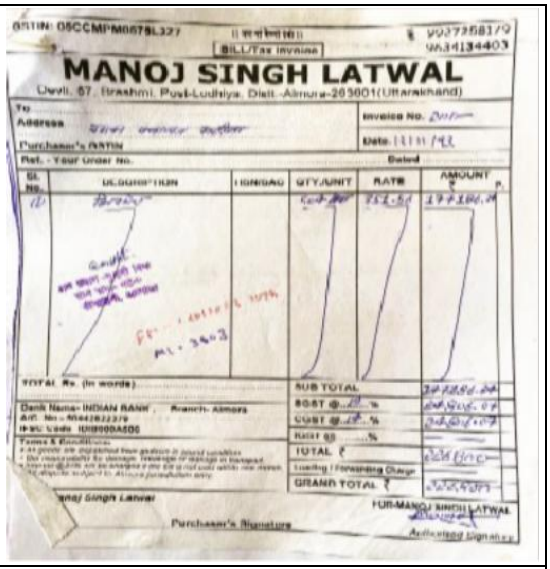

चित्र-5.17 बिल संख्या 200 दिनांक: 12.11.2022।

- कोसी पुनर्जीवन अभियान के अंतर्गत, सामग्री पर ₹ 4.97 लाख का व्यय किया गया, जिसमें 897 कुंतल रेत एवं बजरी सम्मिलित थी। इसी प्रकार, मनरेगा घटक के अंतर्गत सामग्री पर ₹ 5.22 लाख का व्यय किया गया, जिसमें 1608 कुंतल रेत एवं बजरी सम्मिलित थी। तथापि, रॉयल्टी की राशि ₹ 17,535 (₹ सात प्रति

क्विंटल की दर से आगणित) तथा ₹ 4,384 (जिला खनिज फाउंडेशन हेतु कुल रॉयल्टी का 25 *प्रतिशत*) की कटौती नहीं की गई। यह उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 842/ VII-1/2016 का उल्लंघन था, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रपत्र-'जे' प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- संपूर्ण सामग्री की खरीद 2022-23 में की गई थी। तथापि ₹ 0.17 लाख की टी डी एस (जी एस टी) एवं ₹ 0.17 लाख की टी डी एस (आयकर) की कटौती नहीं की गई, जो क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 51 तथा आयकर अधिनियम की धारा 194(C) का उल्लंघन है।

सरोवर के भौतिक निरीक्षण (28.09.2024) मे तकनीकी अनुपालन एवं योजना में गंभीर त्रुटियाँ पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप 15.55 लाख के व्यय के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। देखे गए मुख्य बिंदु थे:

❖ **तकनीकी दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना**

- परियोजना के आगणन में कैचमेंट क्षेत्र का सीमांकन, रनऑफ की गणना, इनलेट चैनल, सिल्ट ट्रैप तथा स्थिर चिनाई संरचनाओं जैसे आवश्यक प्रावधानों को न तो सम्मिलित किया गया और न ही निर्माण कार्य के दौरान इनका निष्पादन किया गया।

चित्र-5.18: ग्राम पंचायत मटेना में अमृत सरोवर का निर्माण जिसमें इनलेट चैनल और सिल्ट ट्रैप का अभाव दिख रहा है (28.09.2024)।

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन न करने से सरोवर की कार्यक्षमता और दक्षता प्रभावित हो सकती है।

❖ **अप्रभावी जल प्रबंधन**

- समुचित कैचमेंट सीमांकन एवं इनलेट चैनलों के अभाव के कारण जल का अनियंत्रित प्रवाह हो सकता है, जिससे मृदा अपरदन, गहरी नालियों का निर्माण तथा जल धारण क्षमता में कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

चित्र-5.19: सरोवर में गाद का दृश्य (28.09.2024)।

- सिल्ट ट्रैप्स के अभाव में सरोवर में गाद का भराव इसकी जल भंडारण क्षमता को कम कर सकता है तथा अनुरक्षण लागत में वृद्धि कर सकता है।

❖ **संरचनात्मक कमियाँ**

- तटबंध के किनारों पर बर्म्स न होने से अपरदन के अधिक होने से सरोवर पर खतरा हो सकता है एवं उसकी स्थायित्व क्षमता से समझौता हो सकता है।
- स्थिर चिनाई इनलेट, आउटलेट एवं स्लूस के निर्माण में की गई चूक से जल का अनियंत्रित निकास, तटबंध के टूटने का जोखिम तथा वर्षा ऋतु में कार्यक्षमता में कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

❖ **खराब योजना एवं स्थल चयन**

- सरोवर का निर्माण ऐसे स्थान पर किया गया था जहाँ समीपवर्ती कोई भी कृषियोग्य भूमि उपलब्ध नहीं थी, जिससे यह सिंचाई हेतु भी अनुपयुक्त था।
- समुचित सड़क संपर्क के अभाव में इस स्थल की पर्यटन अथवा सामुदायिक उपयोग की संभावनाओं को सीमित किया।

❖ **अन्य टिप्पणियाँ**

- सरोवर के भीतर उगी वनस्पति इसके अप्रभावी जल प्रबंधन को उजागर करती है।
- सीमित जल भंडारण क्षमता इस परियोजना के खराब निष्पादन को इंगित करती है।

ये बिन्दु अपर्याप्त नियोजन, खराब स्थल चयन और तकनीकी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन को दर्शाते है, जिसके परिणामस्वरूप यह परियोजना बड़े पैमाने पर अनुपयोगी सिद्ध हुई। यह प्रकरण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में सतत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मानदंडों और प्रभावी नियोजन के महत्व को रेखांकित करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की पूरी तरह से जाँच की जाएगी और उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

5.4.2.3 डमस्क गुलाब का संदिग्ध वृक्षारोपण

ताकुला विकास खण्ड की ग्रा पं इसलना में डमस्क गुलाब की खेती (वर्क कोड: 3507007034/डीपी/2008057933) का कार्य ₹ 1.89 लाख 2019-20 में स्वीकृत किया गया था। यह कार्य ₹ 0.96 लाख व्यय के पश्चात 06.07.2020 को पूर्ण हुआ।

इस परियोजना का उद्देश्य गुलाब की खेती को बढ़ावा देना था, जिसमें विभागीय हिस्सेदारी ₹ 0.54 लाख (पौधों की आपूर्ति हेतु सुगंध पौध केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गयी) और अकुशल श्रमिकों के लिए ₹ 1.27 लाख और सामग्री के लिए ₹ 0.06 लाख का आवंटन मनरेगा से किया गया, जिसमें गड्ढे खोदना, रोपण, रख-रखाव आदि कार्य सम्मिलित थे। तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 2019 में प्राप्त हुई।

चित्र-5.20: ग्रा पं ईसलना में डमस्क गुलाब की खेती का कार्य (09.10.2024)।

चित्र-5.21: कार्य पूर्ण होने के बाद की जियोटैग्ड तस्वीर। (23.11.2021)।

भौतिक निरीक्षण (09.10.2024) के दौरान, परियोजना की योजना से महत्वपूर्ण विचलन देखे गए, जैसे कि:

• कार्यस्थल पर कोई भी डमस्क गुलाब का पौधा जीवित नहीं पाया गया, और न ही रोपण के लिए कथित तौर पर खोदे गए 2,700 गड्ढों के कोई साक्ष्य मिले।

• 23.11.2021 की अपलोड की गई जियोटैग फोटो (कार्य पूर्ण होने के बाद) के विश्लेषण में पाया गया कि किसी भी खोदे गए गड्ढे और डमस्क गुलाब के रोपण के कोई साक्ष्य भी नही थे।

• वित्तीय अभिलेखों में भी विसंगतियाँ सामने आई। माप पुस्तिका (एम बी) के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रम के लिए ₹ 1.06 लाख का व्यय दिखाया गया था। हालाँकि, मस्टर रोल के साथ सत्यापन से पता चला कि श्रमिकों को मज़दूरी के भुगतान पर केवल ₹ 0.96 लाख का व्यय किया गया था, ₹ 0.10 लाख की विसंगति अभिलेखीकरण और रिपोर्टिंग में कमियों को उजागर करती है।

उपरोक्त अवलोकन अनुमोदित परियोजना योजना के गैर-अनुपालन का संकेत देती है, जिससे सूचित किए गए कार्य की प्रमाणिकता और परियोजना उद्देश्यों के पालन के बारे में संदेह उत्पन्न होता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि प्रकरण की पूर्ण जाँच की जाएगी और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

5.5 कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान न करना

परिचालन दिशानिर्देश का प्रस्तर 7.12 सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह अधिदेशित करता है कि कार्यस्थल पर पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध हो, जिसमें कालातीत दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए एवं पर्याप्त पेयजल की आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें कुछ प्रकरणों में दूरस्थ के स्रोतों से पानी लाने के लिए ट्रॉलियों का उपयोग करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के साथ छः वर्ष से कम आयु के पाँच या अधिक बच्चे हों, तो शिशुगृह का प्रावधान अनिवार्य है। प्रस्तर 7.12.5 के अनुसार, ऐसी सुविधाओं पर होने वाले समस्त व्यय को कार्य पर भारित करने के स्थान पर प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।

हांलाकि, चयनित कार्यस्थलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन अनिवार्य सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। कार्यस्थल पर सुविधाओं की उपलब्धता पर कोई व्यय नहीं किया गया, जो इन आधारभूत प्रावधानों की उपेक्षा को दर्शाता है। 200 प्रतिभागियों पर किये गये लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने इस कमी को उजागर किया।

- 100 *प्रतिशत* उत्तरदाताओं ने अपने-अपने स्थलों पर शेड सुविधाओं और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव की पुष्टि की, यद्यपि 95 *प्रतिशत* द्वारा पर्याप्त पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता होना बताया गया।

दिशानिर्देशों के अनुपालन मे विफलता न केवल परिचालन संबंधी अधिदेशों का उल्लंघन है, अपितु श्रमिकों की स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा को भी खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक चिकित्सा और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक प्रणालीगत

उपेक्षा को दर्शाता है जो कार्यस्थलों पर सुरक्षा एवं लोकहित सुनिश्चित करने के उद्देश्य को कमजोर करता है।

5.6 बिलों/वाउचरों का सत्यापन न किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के नियम 7.11.5 में यह प्रावधान है कि यदि कोई कार्य प्रगति पर हो, तो उक्त कार्य में श्रम कर रहे श्रमिकों में से साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर, कम से कम पाँच श्रमिक, सप्ताह में न्यूनतम एक बार अपने कार्यस्थल के सभी बिलों/वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणीकरण करेंगे।

चयनित ग्रा पं के अभिलेखों की जाँच से बिलों एवं वाउचरों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमी उजागर हुई। इस कमी ने वित्तीय निगरानी के तंत्र में एक गंभीर कमी को उजागर किया, जिससे पारदर्शिता, ज़िम्मेदारी और स्थापित नियमों का पालन कमजोर पड़ सकता है। इस प्रकार,यह आवश्यक था कि वित्तीय अभिलेखों का समुचित परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाता, ताकि जमीनी स्तर पर वित्तीय लेन-देन की सत्यता एवं अखंडता बनी रहे, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

5.7 मनरेगा परियोजनाओं में खनिज उत्खनन नीति का अनुपालन न किया जाना

उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) उत्खनन नीति, 2016 की धारा 23 (2) के अनुसार, सरकारी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले स्थानीय खनिज जैसे बोल्डर, पत्थर एवं बजरी के उत्खनन एवं उपयोग का निरीक्षण तथा मूल्याँकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य है। आवश्यक अनुमतियाँ जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्रा पं द्वारा मनरेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उक्त नीति का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्थानीय खनिजों का उपयोग किया गया। यद्यपि माप पुस्तिकाओं में इन खनिजों की रॉयल्टी का उल्लेख किया गया था एवं धनराशि को राजकीय राजकोष में हस्तांतरण हेतु विकास खण्ड अधिकारी द्वारा प्रबंधित एक समर्पित बैंक खाते में जमा किया गया था, यह देखा गया कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 29 प्रकरणों ***(परिशिष्ट-5.4)*** में कुल ₹ 6.38 लाख की रॉयल्टी की कटौती करने मे विफल रहा। यह त्रुटि निर्धारित दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन तथा पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाती है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व

हानि हुई। इस प्रकार, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने हेतु अनुपालन उपायों के कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है।

चयनित विकास खण्डों के उत्तर प्राप्त होने शेष हैं।

5.8 मजदूरी और सामग्री मदों का भुगतान

(अ) नरेगा-2005 की अनुसूची-I के प्रस्तर 16 में अधिदेशित है कि भुगतान मस्टर रोल (म रो) बंद होने के तीन दिनों के भीतर किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर लिए गए माप के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा समय पर काम पूरा करने हेतु पर्याप्त तकनीकी कर्मियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालाँकि, विभिन्न विसंगतियाँ पायी गईं:

i. **मजदूरी का भुगतान न किया जाना:** सात ग्रा पं के 12 कार्यों में 224 दिनों तक काम करने वाले 29 श्रमिकों को कार्य किए जाने के उपरान्त भी कुल ₹ 46,237 की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ***(परिशिष्ट-5.5)***।

ii. **मस्टर रोल गायब पाया जाना:** 879 दिनों की उपस्थिति के लिए 83 श्रमिकों को ₹ 1.73 लाख का भुगतान किया गया; हालाँकि, वास्तविक उपस्थिति को सत्यापित करने हेतु मस्टर रोल (म रो) अभिलेखों से गायब पाये गए ***(परिशिष्ट-5.6)***।

iii. **डुप्लीकेट मस्टर रोल:** समान श्रमिकों एवं अवधि हेतु अलग-अलग उपस्थिति दर्ज करने हेतु मस्टर रोल का अनेक बार उपयोग किया गया:

- **म रो संख्या 9877 (ग्रा पं अखोड़ी):** एक प्रति में तीन श्रमिकों की 22 दिनों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि दूसरी प्रति में सात श्रमिकों की 72 दिनों की उपस्थिति दर्ज की गई। भुगतान दूसरी प्रति के आधार पर किया गया।
- **म रो संख्या 5755 (ग्रा पं बनचुरी):** एक प्रति में एक श्रमिक की 9 दिनों की उपस्थिति दिखाई गई; दूसरी प्रति में 13 दिनों की उपस्थिति दिखाई गई एवं 13 दिनों का भुगतान किया गया।
- **म रो संख्या 5754 (ग्रा पं बनचुरी):** एक प्रति में 10 श्रमिकों की 80 दिनों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि दूसरी प्रति में 130 दिनों की उपस्थिति दिखाई गई एवं 130 दिनों का भुगतान किया गया। ये दोहराव संभावित हेरफेर, अनुपयुक्त सत्यापन और संभावित अधिक भुगतान का संकेत देते हैं, जिससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण नीचे दिए गए **चित्र-5.22** में दिखाया गया है:

मस्टर रोल संख्या 5,754 का दो बार उपयोग

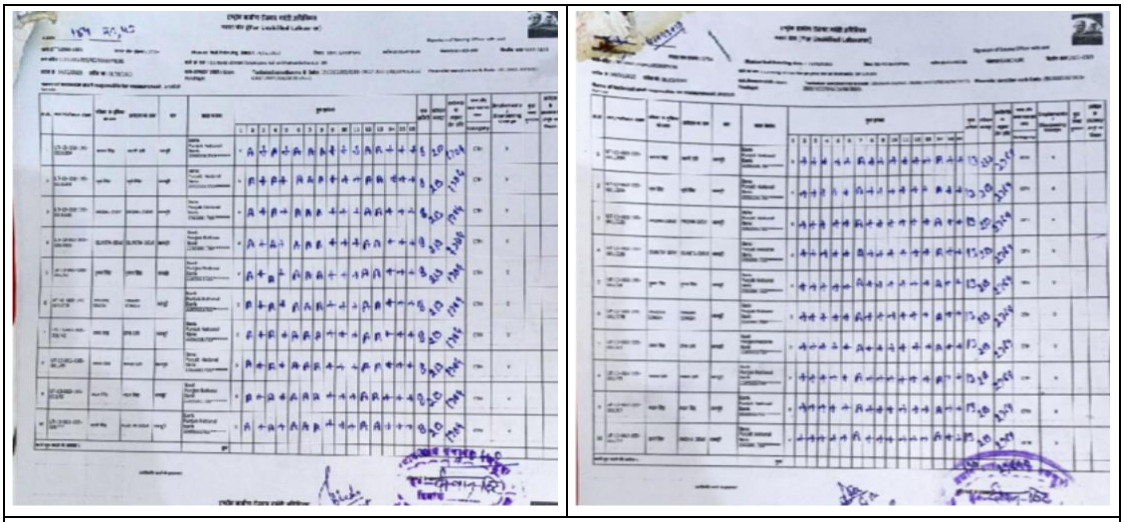

चित्र-5.22: मस्टर रोल संख्या 5,754 का उपयोग भिलंगना विकास खण्ड के ग्रा पं बनचुरी में सीसी मार्ग के निर्माण में किया गया (वर्क कोड: 3013002196/आर सी/2008079196)

iv. **पूर्व दिनांकित उपस्थिति दर्ज अभिलेख:** छः ग्रा पं के 21 कार्यों में, 66 मस्टर रोल कार्य प्रारंभ होने के बाद जारी किए गए। फिर भी 2,609 दिनों की उपस्थिति, जिसकी कुल धनराशि 5.45 लाख थी, मस्टर रोल जारी होने से पहले की तिथियों में दर्ज की गई। उक्त पूर्व तिथियों की प्रविष्टियों को उचित ठहराने संबंधित कोई प्रमाण नहीं पाया गया, जिससे उनकी वैधता संदिग्ध प्रतीत होती है ***(परिशिष्ट-5.7)***।

v. **विलंबित भुगतान:**

- 147 कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी 33 से 569 दिनों तक विलंबित हुई, औसतन 176 दिनों का विलंब हुआ ***(परिशिष्ट-5.8)***।
- 162 प्रकरणों में सामग्री के भुगतान में 10 से 536 दिनों तक विलंब हुआ, औसतन 202 दिनों का विलंब हुआ। 160 प्रकरणों में, बिल की तिथि के उपरान्त एक से 525 दिनों (औसतन 145 दिनों) के मध्य विलंब से निधि हस्तांतरण आदेश (नि ह आ) जारी किए गए ***(परिशिष्ट-5.9)***।

उपरोक्त अनियमितताएँ अनुपालन, अनुश्रवण और वित्तीय प्रबंधन में गंभीर कमियों को उजागर करती हैं, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं धन के दुर्विनियोग का जोखिम बढ़ता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने संबंधित जिलों के मु वि अ/जि वि अ को इन प्रकरणों की जाँच के साथ-साथ अन्य विकास खण्डों जो लेखापरीक्षा

नमूने का हिस्सा नहीं थे, में भी उक्त प्रकार के प्रकरणों की जाँच करने तथा उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

5.9 राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन

मनरेगा के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 21 मई 2021 को कार्य स्थल पर उपस्थिती दर्ज करने हेतु प्रावधान प्रारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मोबाइल अनुश्रवण प्रणाली (एन एम एम एस) एप के माध्यम से एक दिन में दो मुहर और जियोटैग वाली फोटोग्राफ के साथ 20 या अधिक श्रमिकों के लिए मस्टर रोल जारी किए जाते है। इसके बाद भारत सरकार की अधिसूचना संख्या के अनुसार, फाइल जे-11060/2/2021-आर.ई-VI (374151) दिनांक 23.12.2022 के अनुसार, कार्यस्थलों का रा मो नि प्र ऐप, जहाँ 20 या अधिक श्रमिकों के लिए मस्टर रोल जारी किए जाते हैं, को भारत सरकार द्वारा 16 मई 2022 से मैनुअल उपस्थिति को समाप्त करके अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यस्थलों के लिए एन एम एम एस ऐप उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना को छोड़कर) 01 जनवरी 2023 से लागू किया गया है।

राज्य में एन एम एम एस कार्यान्वयन की स्थिति नीचे **तालिका-5.1** में दी गई है:

तालिका-5.1 एन एम एम एस कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष	कुल ग्रा पं	पात्र (ग्रा पं जिसमे >=20 श्रमिकों के साथ कम से कम एक कार्यस्थल है) ग्रा पं	एन एम एम एस के लिए पात्र ग्राम पंचायतें लेकिन उपकरणों का पंजीकृत न होना	रा मो नि प्र तथा पंजीकृत उपकरण के लिए पात्र ग्राम पंचायतें	पंजीकृत उपकरणों से युक्त ग्राम पंचायतें परंतु एन एम एम एस का आरंभ न किया जाना (प्रतिशतता)
2021-22	7,823	4,949	192	4,757	4,297 *(87)*
2022-23	7,803	6,403	207	6,196	2,736 *(43)*
2023-24	7,798	7,339	241	7,098	244 *(03)*

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य ने ग्रा.पं. को एन एम एम एस के अंतर्गत लाने के लिए अच्छा काम किया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन एम एम एस ऐप के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थितियां, उपस्थिति की तारीख से 15 दिनों के बाद नरेगासॉफ्ट में दिखाई नहीं दे रही थी। लेखापरीक्षा में एन

एम एम एस ऐप के माध्यम से की गई उपस्थिति में विसंगतियां पाई गईं, जिन पर नीचे चर्चा की गई

- नरेंद्र नगर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पाली द्वारा 04 अगस्त 2024 को मस्टर रोल संख्या 1,146 और 03 अगस्त 2024 को मस्टर रोल संख्या 1,145 की सुबह की उपस्थिति के लिए, उसी तस्वीर का उपयोग किया गया था।

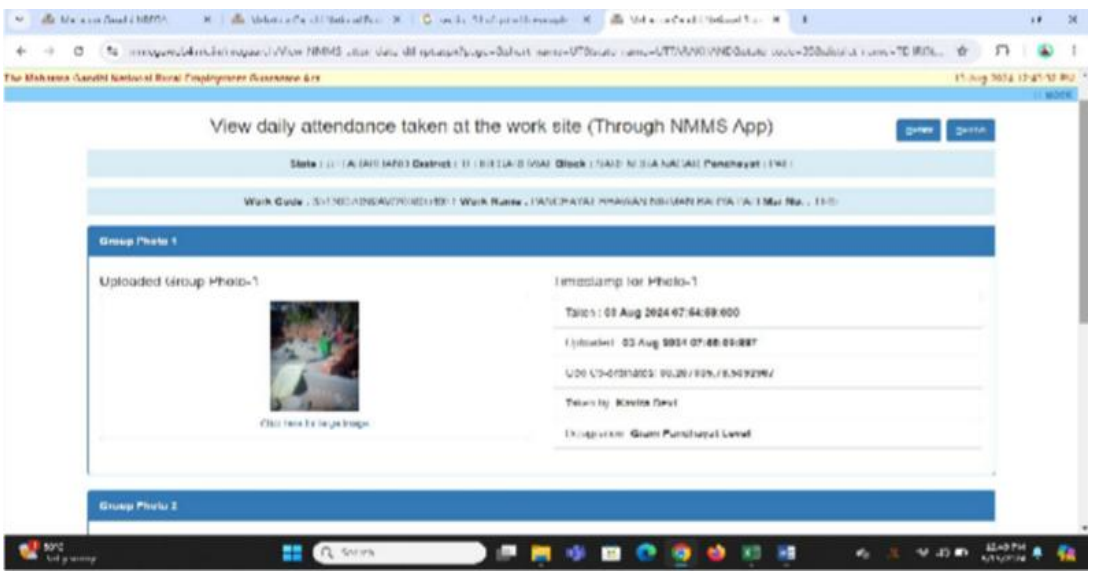

चित्र-5.23: 03 अगस्त 2024 को मस्टर रोल संख्या 1,145 मे अपलोड की गयी वही तस्वीर दिखती हुई।

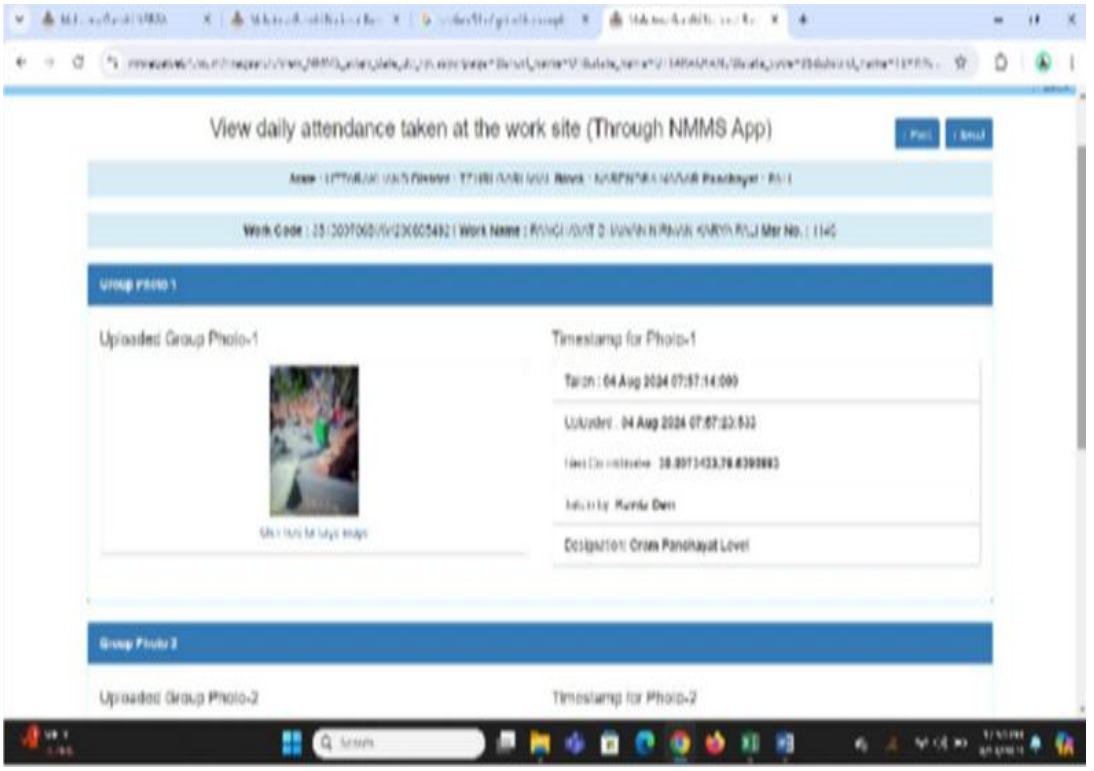

चित्र-5.24: मस्टर रोल संख्या 1,146 मे 04 अगस्त 2024 को अपलोड की गयी वही तस्वीर दिखाती हुई।

- ❖ भिलंगना विकास खण्ड की ग्राम पंचायत अखोड़ी द्वारा 16 जुलाई 2024 को मस्टर रोल संख्या 1,389 के लिए मात्र सुबह के सत्र की तस्वीर अपलोड की गई थी जिसमें केवल उँगली दिखाई गई थी, शाम के लिए कोई तस्वीर अपलोड नहीं की गई थी।

चित्र-5.25: ग्रा. पं अखोड़ी मे 16 जुलाई 2024 के मस्टर रोल संख्या 1,389 के लिए केवल सुबह की तस्वीरें अपलोड की।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) मे, सचिव, ग्रा वि वि ने सूचित किया कि सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

5.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने मनरेगा के कार्यों की योजना, निष्पादन और निगरानी में खामियों को उजागर किया, जिन्होंने इसके उद्देश्यों को प्रभावित किया। मुख्य समस्याओं मे वित्तीय अनियमितताएं सम्मिलित हैं, जैसे कि बिलिंग, मस्टर रोल में असंगतियाँ और भुगतान में विलंब, जो कमजोर वित्तीय प्रबंधन और संभावित धन दुरुपयोग की संभावना को दर्शाती हैं। तकनीकी दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने के कारण दक्षता की कमी, असंतोषजनक परिणाम और अप्रयुक्त परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ, जिसने परियोजना के डिजाइन एवं कार्यान्वयन की कमियों को उजागर किया। अनुश्रवण तंत्र जिसमें राष्ट्रीय मोबाइल अनुश्रवण प्रणाली (एन एम एम एस) सम्मिलित है, में कमियों के परिणामस्वरूप पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारी में कमजोरियाँ देखी गयी। श्रमिक कल्याण के प्रति उपेक्षा, जिसमें आवश्यक कार्यस्थल सुविधाएँ उपलब्ध न कराना सम्मिलित है, मनरेगा श्रमिकों की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता की कमी को प्रकट करती है।

5.11 अनुशंसाएँ

1. *उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहाँ अपूर्ण कार्यों की महत्वपूर्ण प्रतिशतता है। जिला पंचायत समितियों (जि पं स) की दक्षता को सुधारने की आवश्यकता है ताकि स्वीकृत कार्यों को समय पर प्रारंभ और पूर्ण किया जा सके। नियोजित कार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभ और संपन्न करने के लिए ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) को बेहतर तरीके से सुसज्जित और अनुश्रवित किया जाना चाहिए।*
2. *अतिरिक्त व्यय को रोकने के लिए यह अनुशंसित है कि निर्माण आगणन का सावधानीपूर्वक समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि वे मनरेगा की दरों की अनुसूची के अनुरूप हों। परियोजना लागतों की तुलना क्षेत्र के समान कार्यों से करने हेतु एक बेंचमार्किंग प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, ताकि आगणन में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।*
3. *मजदूरी के भुगतान में विलंब को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर धनराशि उपलब्ध हो और वितरित की जाए। विलंब को न्यूनतम करने हेतु मजदूरी वितरण के लिए स्वचालित प्रणाली लागू की जानी चाहिए।*
4. *सभी मनरेगा कार्यों, जिसमें वृक्षारोपण गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं, का कठोर सत्यापन किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें स्थल निरीक्षण, कार्य के अभिलेखों की क्रॉस-चेकिंग और जियो-टैग की गई फोटो का प्रमाणीकरण भी शामिल होना चाहिए ताकि गतिविधियों के पूर्ण होने की पुष्टि हो सके।*

अध्याय-6
संरचनात्मक तंत्र और क्षमता निर्माण

अध्याय - 6

संरचनात्मक तंत्र और क्षमता निर्माण

कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव संसाधनों का प्रावधान मनरेगा की सफलता की कुंजी है। पंचायती राज संस्थाएं (पं रा सं), विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। इन स्थानीय शासी निकायों को कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निष्पादन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मानव संसाधन इन जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम कार्य करने में सक्षम बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रम की गतिविधियाँ सुचारू रूप से की जाती रहे और वांछित लाभ ग्रामीण आबादी तक पहुँचते रहे। यदि पं रा सं में प्रयाप्त कर्मचारी रहेंगे, तभी वह स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूर्ण कर सकते हैं, समय पर कार्य प्रदान कर सकते हैं और मनरेगा की समग्र सफलता में योगदान कर सकते हैं।

6.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की अनुपयुक्त कार्यप्रणाली

मनरेगा अधिनियम की धारा 12 राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा रो गा प) का गठन निर्धारित है। रा रो गा प को योजना और इसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी प्रकरणों में राज्य सरकार को सलाह देना, अनुश्रवण और शिकायत निवारण की समीक्षा करना था। रा रो गा प राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार थी जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना था। इसके अतिरिक्त, रा रो गा प को योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठक आयोजित करनी अपेक्षित थी।

उत्तराखण्ड में रा रो गा प का गठन अगस्त 2007 में ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 17 आधिकारिक सदस्यों और 14 गैर-आधिकारिक सदस्यों के साथ किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड मनरेगा, 2006 के प्रस्तर 18 (1) के अनुसार, रा रो गा प के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मनोनीत गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, 2019-24 के दौरान, रा रो गा प 29 जनवरी 2019 और 22 जनवरी 2020 (लगभग एक वर्ष) तथा 23 जनवरी 2021 और 17 जनवरी 2023 (लगभग दो वर्ष) के मध्य अस्तित्व में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण रा रो गा प 17 जनवरी 2024 से संचालित नहीं थी। परिणामस्वरूप, रा रो गा प की 2019-24 के दौरान आपेक्षित 20 तिमाही बैठकों

के सापेक्ष मात्र चार बैठकें हुई। 2019-24 के दौरान राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन पर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट रा रो गा प द्वारा किसी भी वर्ष तैयार नहीं की गई थी। इस प्रकार, शीर्ष स्तर पर ही योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता किया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि रा रो गा प की बैठकें निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयोजित की जाएंगी, जो पहले कोविड-19 और अन्य बाध्यकारी कारणों से नहीं की गई थीं।

6.2 अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन

मनरेगा अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) और कार्यक्रम अधिकारी (का अ) को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक कार्मिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का अधिदेश है। राज्य स्तर पर व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर भी तैनात किया जा सकता है। पदाधिकारियों की भर्ती के लिए नीति राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी।

उत्तराखण्ड सरकार ने शासनादेश संख्या 118/XI/08/56(38)2005-टीसी दिनांक 01 जुलाई 2009 के माध्यम से राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तरों पर अस्थायी और नम्य पदों का सृजन किया गया।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों में 2,195 स्वीकृत पदों में से मात्र 1,242 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता **तालिका-6.1** में दी गई है:

तालिका-6.1: विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी

स्तर	इकाइयों की संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	(+) आधिक्य/ (-) कमी (प्रतिशतता)
राज्य		कार्यकारी निदेशक	1	1	-
		कार्यक्रम समन्वयक	1	1	-
		अधिशासी अभियंता	1	0	(-) 1 (100)
		सांख्यिकीय/अनुसंधान अधिकारी	1	0	(-) 1 (100)
		सहायक अभियंता	2	0	(-) 2 (100)
		कनिष्ठ अभियंता (क अभि)	2	0	(-) 2 (100)
		वरिष्ठ लेखाकार	1	1	-
		कंप्यूटर प्रोग्रामर	1	1	-
		कंप्यूटर सहायक	1	2	(+) 1 (100)

स्तर	इकाइयों की संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	(+) आधिक्य/ (-) कमी (प्रतिशतता)
		कनिष्ठ सहायक	1	0	(-) 1 (100)
		अनुसेवक	2	3	(+) 1 (50)
जिला	**13**	जिला कार्यक्रम समन्वयक	जिलाधिकारी पदेन		
		अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	मुख्य विकास अधिकारी पदेन		
		उप जिला कार्यक्रम समन्वयक	जिला विकास अधिकारी पदेन		
		लेखाकार	जिला स्तर पर उपलब्ध लेखाकार		
		कंप्यूटर प्रोग्रामर	13	8	(-) 5 (38)
		कंप्यूटर सहायक	13	9	(-) 4 (31)
विकास खण्ड	**95**	कार्यक्रम समन्वयक	खंड विकास अधिकारी इस कार्य का निर्वहन करते हैं।		
		विकास खण्ड अभियंता	आर ई एस/लघु सिंचाई के सहायक अभियंता इस कार्य का निर्वहन करते हैं।		
		उप कार्यक्रम अधिकारी	95	78	(-) 17 (18)
		सहायक लेखाकार	विकास खण्ड के लेखाकार इस कार्य का निर्वहन करते हैं		
		कंप्यूटर सहायक	95	87	(-) 8 (8)
ग्रा पं	**7,799**	सचिव ग्राम पंचायत	ग्राम विकास अधिकारी इस कार्य का निर्वहन करते हैं		
		कनिष्ठ अभियंता	552	309	(-) 243 (44)
		ग्राम रोजगार सहायक	1,413	742	(-) 671 (48)
कुल			***2,195***	***1242***	

उपरोक्त तालिका राज्य, जिला, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तरों के प्रमुख पदों पर कर्मचारियों की अत्यधिक कमी को उजागर करती है।

राज्य को पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक चार ग्राम पंचायतों के लिए और मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक छः ग्राम पंचायतों के लिए एक *ग्राम रोजगार सहायक* (ग्रा रो स) नियुक्त करना अपेक्षित है। ग्रा रो स पंजीकरण क्रिया की निगरानी, जॉब कार्ड के वितरण, ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के मध्य सूचना के सुचारु एवं ससमय प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 557 न्याय पंचायतों में से प्रत्येक के लिए एक क अभि और मैदानी क्षेत्रों की शेष 113 न्याय पंचायतों में प्रत्येक दो न्याय पंचायतों में एक क अभि तैनात कर सकता है।

चयनित जिलों में कर्मचारियों की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की जाँच से ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक कर्मचारियों की अत्यधिक कमी का पता चला। चयनित जिलों में, 2,195 ग्राम पंचायतों में आवश्यक 545 में से मात्र 178 की नियुक्ति के साथ ग्रा रो स के 67 *प्रतिशत* पद रिक्त थे। क अभि के लिए भी यही स्थिति थी, जहाँ आवश्यक 165 में से मात्र 74 पद भरे जाने के साथ 55 *प्रतिशत* पद रिक्त थे ***(परिशिष्ट-6.1)***।

उक्त के अतिरिक्त, चयनित विकास खण्ड स्तर पर आवश्यक कर्मचारियों की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ***(परिशिष्ट-6.2)***। क अभि की कमी 27 *प्रतिशत* से 70 *प्रतिशत* के

मध्य थी जिससे प्रत्येक क अभि औसतन 23 से 42 ग्राम पंचायतों के लिए जिम्मेदार था। इसी प्रकार,[1] ग्रा रो स के लिए कमी 45 *प्रतिशत* से 83 *प्रतिशत* तक थी, जिससे प्रत्येक ग्रा रो स आठ ग्रा पं और 25 ग्रा पं के बीच प्रबंधन करता था जैसा कि नीचे **चार्ट-6.1** में दर्शाया गया है। ग्रा रो स और क अभि की सबसे अधिक कमी हवालबाग विकास खण्ड में थी, जहाँ कमी क्रमशः 83 *प्रतिशत और* 70 *प्रतिशत* थी।

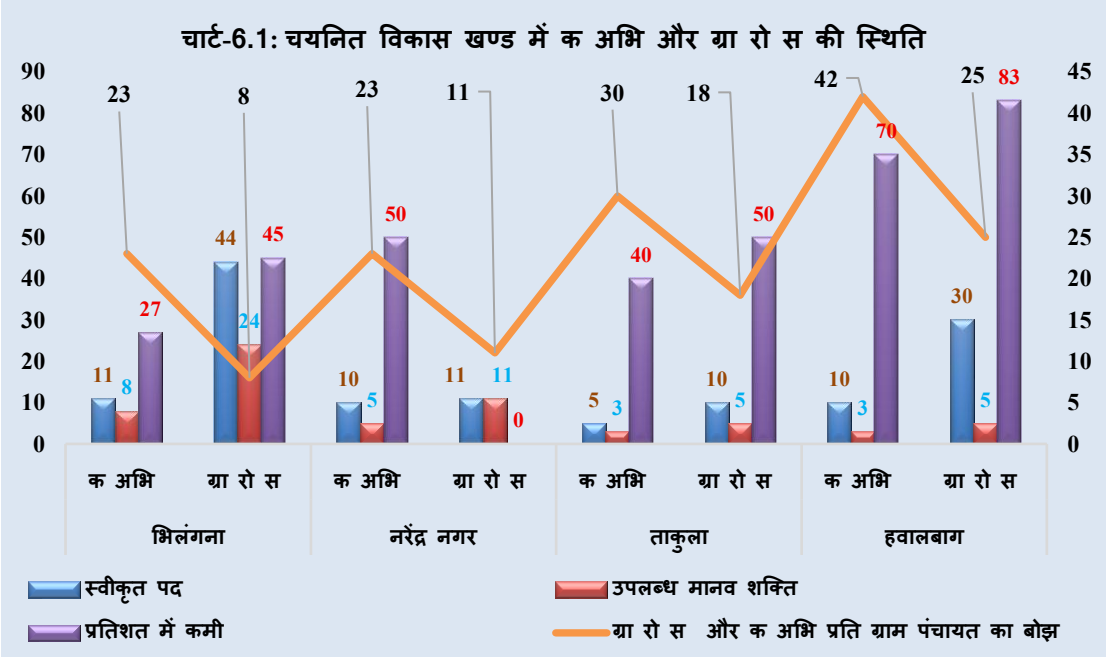

कर्मचारियों की यह कमी मनरेगा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है और कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूर्ण होने में बाधा डाल सकती है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ भौगोलिक चुनौतियां कर्मचारियों की कमी के प्रभाव में वृद्धि करती है। कर्मचारियों की यह कमी मौजूदा कर्मचारियों पर काम के बोझ में भी वृद्धि कर सकती है, जिससे और अधिक अक्षमताएं पैदा हो सकती हैं।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त निधि अवमुक्त किए जाने के कारण, कम कर्मचारियों को तैनात किया गया था।

6.3 जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन नहीं किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 4.4.3 में अधिनियम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति (जि स्त त स) के गठन का प्रावधान है।

[1] नरेन्द्र नगर विकास खण्ड को छोड़कर जहाँ ग्रा रो स के स्वीकृत पद भरे थे।

इस समिति में संबंधित तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना अपेक्षित है। जि स्त त स परियोजना की सूची की जाँच करने, मनरेगा के अंतर्गत सामान्य कार्यों के लिए दरों की जिला-विशिष्ट अनुसूची तैयार करने, दरों का निर्धारण करने, गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने और सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, समिति को मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदंड स्थापित करने का भी कार्य सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित जिलों में से किसी में भी मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जि स्त त स की स्थापना नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायत और विकास खण्ड विकास योजनाओं का मूल्यांकन तकनीकी पहलुओं या जिला स्तरीय विकास प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, जि स्त त स के अभाव में, योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की तकनीकी सुदृढ़ता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जैसा कि ***अध्याय-5*** के ***प्रस्तरों-5.3.4, 5.4.2.1*** एवं ***5.4.2.2*** में चर्चा की गई है।

इंगित किए जाने पर, नमूना जाँच किए गए जनपदों के उप जिला परियोजना समन्वयकों (उप जि प स) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि ने आश्वासन दिया कि समिति का गठन किया जाएगा।

6.4 क्षमता निर्माण

मनरेगा के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मानव क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इन क्षमताओं को आवश्यक कौशल और योग्यताओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त, इन मानव संसाधनों को एक मजबूत संस्थागत ढाँचे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो निर्णय-समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करे, परिणामों की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा प्रदान करे और मनरेगा के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करे।

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 5.2.2 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य मनरेगा के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका निभाने वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें

सक्रिय करने हेतु मनरेगा मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग (मा सं वि और क्ष नि प्र) की स्थापना करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तर पर मा सं वि और क्ष नि प्र को स्थापित नहीं किया गया था, जैसा कि अनिवार्य था। इसके स्थान पर, उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (उ ग्रा वि और पं रा सं), रुद्रपुर द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे। उ ग्रा वि और पं रा सं, रुद्रपुर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, 2019-24 के दौरान मनरेगा से संबंधित कुल 24 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 764 कर्मियों ने भाग लिया। इनमें से 22 सत्र उत्तराखण्ड सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी (यू एस ए ए टी ए) के प्रशिक्षण कर्मचारियों को समर्पित थे, जबकि केवल दो सत्रों में विशेष रूप से योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार मनरेगा क्षेत्र के पदाधिकारियों को लक्षित किया गया था, जिसमें कुल 36 उपस्थिति थी।

उक्त के अतिरिक्त, 2019-20 और 2023-24 के मध्य, टिहरी गढ़वाल जिले में भिलंगना विकास खण्ड के मात्र तीन कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया, जबकि नरेंद्र नगर विकास खण्ड के किसी भी कार्मिक ने प्रतिभाग नहीं किया। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खण्ड से सात और ताकुला विकास खण्ड से आठ कार्मिकों ने इसी अवधि के दौरान प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभाग किया।

अपर्याप्त और अपूर्ण प्रशिक्षण के कारण, योजना की लेखापरीक्षा के दौरान कार्यान्वयन में अनेक कमियां पाई गई। इनमें श्रम बजट तैयार करने में विलंब, अनुमोदित कार्यों के निष्पादन में विलंब, जॉब कार्डों को अद्यतन करना तथा अन्य परिचालन संबंधी कमियां सम्मिलित हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट के विभिन्न प्रस्तरों में चर्चा की गई है। प्रभावी क्षमता निर्माण की यह कमी मनरेगा कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जैसा कि योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कल्पना की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव ग्रा वि वि ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है।

6.5 सूचना, शिक्षा और प्रसार योजना तैयार नहीं किया जाना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 5.4.2 में निर्धारित किया गया है कि सभी राज्यों को पंजीकृत कामगारों और अन्य संभावित लाभार्थियों को लक्षित करते हुए

योजना के लिए सूचना, शिक्षा और प्रसार (सू शि और प्र) योजना अवश्य विकसित करनी चाहिए। सू शि और प्र योजना में राज्य, जिला, विकास खण्ड और स्थानीय स्तरों पर गतिविधियों का विवरण होना चाहिए।

हालांकि, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2019 से 2024 की अवधि के लिए राज्य, चयनित जिला अथवा विकास खण्ड स्तरों पर कोई सू शि और प्र योजना तैयार नहीं की गई थी। चयनित विकास खण्ड के का अ ने स्वीकार किया कि सू शि और प्र योजना को औपचारिक रूप नहीं दिया गया था, यद्यपि रोजगार दिवस और सरकारी कार्यालयों/पंचायत भवनों में वाल पेंटिंग जैसे कुछ सू शि और प्र कार्यकलाप आयोजित किए गए थे। एक संरचित सू शि और प्र योजना के अभाव में 200 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में जागरूकता से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गई:

- 147 लाभार्थी (73.5 *प्रतिशत*) मजदूरी के भुगतान की समय-सीमा के संबंध में अनभिज्ञ थे।
- 46 लाभार्थियों (23 *प्रतिशत*) को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में सूचित नहीं किया गया था।
- 21 लाभार्थी (10.5 *प्रतिशत*) मजदूरी के अपने अधिकार से अनभिज्ञ थे।
- 184 लाभार्थी (92 *प्रतिशत*) बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के संबंध में अनभिज्ञ थे।
- 194 लाभार्थी (97 *प्रतिशत*) लोकपाल के संबंध में अनभिज्ञ थे।

औपचारिक सू शि और प्र योजना के अभाव के कारण कई हितधारकों को कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे योजना की प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव ग्रा वि वि ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

6.6 रोजगार दिवस के आयोजन में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का प्रस्तर 3.3 (i) अधिदेशित करता है कि प्रत्येक ग्रा पं को कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित करने, इन आवेदनों को संसाधित करने और कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान जैसे संबंधित कार्यों को संभालने के लिए मासिक रूप से रोजगार दिवस आयोजित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र के प्रस्तर 4.5.1 में जि का स द्वारा नियमित आधार पर राज्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने 2019-24 से कई मुद्दों की पहचान की:

- चयनित ग्रा पं[2] में रोजगार दिवस के आयोजन में काफी कमी थी जिसमें 73 *प्रतिशत* से 92 *प्रतिशत* तक की कमियां थीं।
- जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी अक्सर रोजगार दिवस के आयोजनों से अनभिज्ञ थे, तथा दोनों स्तरों पर अपर्याप्त डेटा प्रबंधन था।
- जि का स नियमित रूप से राज्य को अपेक्षित रिपोर्टें प्रेषित करने में असफल रही।

उपर्युक्त रोजगार दिवस के कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग में चूक को प्रकाशित करता है, जो प्रभावी रोजगार सृजन और मजदूरी भुगतान प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर जागरूकता, डेटा प्रबंधन, दिशानिर्देशों के अनुपालन और लगातार रिपोर्टिंग की आवश्यकता को दर्शाता है।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रोजगार दिवस आयोजित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

6.7 निष्कर्ष

रा रो ग प के अनुचित कामकाज और अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन ने निरीक्षण और परिचालन दक्षता को बाधित किया। जि स्त त स की अनुपस्थिति ने तकनीकी मूल्यांकन और परिसंपत्ति गुणवत्ता से समझौता किया, जबकि अपर्याप्त क्षमता निर्माण और सू शि और प्र योजना की कमी ने प्रमुख हितधारकों को कम प्रशिक्षित और अनभिज्ञ छोड़ दिया। उक्त के अतिरिक्त, रोजगार दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण चूक परिचालन दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी दर्शाती है।

6.8 अनुशंसा

विभाग को कार्यप्रणाली में कमियों को रोकने के लिए रा रो ग प और जि स्त त स की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। निर्धारित त्रैमासिक बैठकों के अनुपालन एवं जागरूकता और क्षमता निर्माण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

[2] भिलांगना विकास खण्ड की चयनित ग्राम पंचायतों ने रोजगार दिवस के आयोजन के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

अध्याय-7
शिकायत निवारण, निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

अध्याय - 7

शिकायत निवारण, निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

किसी भी योजना की सफलता के लिए प्रभावी निगरानी आवश्यक है, क्योंकि यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि संचालन प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार योजना का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के साथ-साथ नियमित आधार पर क्षेत्र दौरे एवं नमूना जाँच भी की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों का उचित रख-रखाव भी विशेष रूप से पारदर्शिता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

हालाँकि, योजना के प्रावधानों के विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत (ग्रा पं) स्तर पर निगरानी प्रणाली अनुचित एवं अपर्याप्त थी। योजना की लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियाँ पाई गईं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

7.1 राज्य एवं जिला गुणवत्ता निरीक्षक

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तरों 14.8 (vi) एवं 14.10.4 के संदर्भ में राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (रा गु नि) कम से कम पाँच *प्रतिशत* कार्य, जो प्रगति पर हैं तथा पाँच *प्रतिशत* कार्य जो एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो चुके हैं, का निरीक्षण करेगा ताकि प्रक्रिया गुणवत्ता पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र के प्रस्तर 7.12.1 के अनुसार, एक जिला गुणवत्ता निगरानी (जि गु नि) प्रकोष्ठ होगा जिसमें 10 से 15 तकनीकी कर्मचारियों का पैनल होगा। ये कर्मचारी योजना के अंतर्गत निष्पादित कम से कम ₹ तीन लाख एवं उससे अधिक के व्यय के कच्चे कार्यों तथा ₹ पाँच लाख एवं उससे अधिक व्यय के पक्के कार्यों के कम से कम 10 *प्रतिशत* कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन करेंगे।

राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों एवं सूचना की जाँच से ज्ञात हुआ कि 2019-24 की अवधि के दौरान रा गु नि की नियुक्ति नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों की अवधि के लिए कुल 13 जिलों में से मात्र तीन जिलों[1] में जि गु नि नियुक्त किए गए थे। चयनित जिलों में रा गु नि/ जि गु नि की नियुक्ति न किए जाने के कारण कार्य की प्रगति अथवा पूर्ण होने के दौरान कार्य की गुणवत्ता अथवा प्रामाणिकता हेतु किसी कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया था।

[1] देहरादून, हरिद्वार एवं उत्तरकाशी जनपद (02/2020 से 02/2023)।

रा गु नि द्वारा निरीक्षण की कमी एवं अपर्याप्त जि गु नि निगरानी के कारण परियोजना निष्पादन के दौरान तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता मापदंडों के पालन को सुनिश्चित करने में विफलता हुई। इससे मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अधोमानक होने का जोखिम बढ़ गया जैसा कि ***अध्याय-5*** के ***प्रस्तर-5.3.3, 5.3.4, 5.4.2.1 एवं 5.4.2.2*** में चर्चा की गई है।

विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान प्रस्तुत अपने उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

7.2 शिकायत निवारण तंत्र का अस्तित्व

पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से यह अपेक्षा थी कि वह मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी शिकायत के निपटान के लिए जिला एवं विकास खण्ड स्तरों पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करे एवं ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करे।

शिकायत निवारण तंत्र के अस्तित्व से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

7.2.1 लोकपाल की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 13.14 में प्रावधान है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल का कार्यालय स्थापित करेगी। आवश्यकता के आधार पर, कार्यभार पर निगरानी के लिए प्रारंभ में दो जिलों के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जा सकता है। लोकपाल के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- मुख्य सचिव एवं मनरेगा के प्रभारी सचिव को मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा कार्यादेशों की सूची प्रेषित करना।
- मनरेगा के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को उजागर करना।
- लोकपाल द्वारा निस्तारित किए गए प्रकरणों की सारांश रिपोर्ट रा रो ग प को प्रेषित करना तथा यह राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाने वाली रा रो ग प द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि (2019-24) के दौरान टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा जिलों की नमूना जाँच में लोकपाल की नियुक्ति के मध्य अंतराल पाया गया। टिहरी गढ़वाल में लोकपाल का पद 01 अप्रैल 2019 से 10 फरवरी 2020 के मध्य रिक्त रहा एवं लोकपाल के कार्यकाल के दौरान प्राप्त 32 शिकायतों में से मात्र 13 का निपटान किया गया। हालाँकि, उप जिला परियोजना समन्वयक (उप जि प स) ने इन शिकायतों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये।

अल्मोड़ा जिले में, लोकपाल की रिक्तियों के लिए 02 अप्रैल 2020 से 24 फरवरी 2021 के मध्य एवं 25 फरवरी 2023 से 21 मई 2023 के मध्य के दो अंतराल थे। कुछ निश्चित अवधि (01 अप्रैल 2019 से 01 अप्रैल 2020 एवं 25 फरवरी 2021 से 24 फरवरी 2023) के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों के अभिलेख भी नमूना जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन मुद्दों के बावजूद, लोकपाल ने जून 2023 से मार्च 2024 तक प्राप्त सभी 19 शिकायतों का निपटान किया।

शिकायतों से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता ने शिकायत निपटान की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अनुशंसित कार्यवाही के अनुपालन को सीमित कर दिया।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

7.2.2 शिकायत पंजिका का रख-रखाव न करना

मनरेगा की धारा 23 (6) के अनुसार, कार्यक्रम अधिकारी (का अ) को शिकायत पंजिका का रख-रखाव करना एवं सात दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करना अपेक्षित है। अन्य प्राधिकरणों द्वारा समाधान की आवश्यकता वाली शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए तदनुसार अग्रेषित किया जाना चाहिए। परिचालन दिशानिर्देश, 2013 (प्रस्तर 10.3.9) में निगरानी प्रयोजनों के लिए ग्रा पं, विकास खण्ड एवं जिला स्तरों पर शिकायत पंजिका के रख-रखाव हेतु अधिदेश है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि टिहरी गढ़वाल जिले में, उप जि का स ने 2019-24 के दौरान शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया था तथा जिले के सभी चयनित विकास खण्डों में भी शिकायत पंजिका उपलब्ध नहीं थी। अल्मोड़ा जिले में, 2022-24 की अवधि के लिए जिला स्तर पर एक शिकायत पंजिका का रख-रखाव किया गया था, जिसमें 65 शिकायतें दर्ज की गई थीं। इनमें से 55 सामान्य प्रकृति की थी, जबकि 10 विलंबित मजदूरी भुगतान से संबंधित थी, जिनमें से सभी को शीघ्रता से निस्तारित किया गया था। हालाँकि, किसी भी चयनित विकास खण्ड में किसी भी शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था।

उप जि का स कार्यालयों एवं चयनित विकास खण्डों में शिकायत पंजिका का रख-रखाव न होने के कारण लेखापरीक्षा प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं उनके निपटान की पुष्टि करने में असमर्थ रहा, जिससे जवाबदेही एवं शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता से समझौता हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया कि शिकायत पंजिका तैयार करने एवं रख-रखाव के लिए जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.3 सतर्कता तंत्र का अनुपालन न करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तरों 13.6.2, 13.6.3 तथा 13.6.4 में मनरेगा कार्यान्वयन के प्रभावी निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता तंत्र स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (मु स अ) की अध्यक्षता में एक **राज्य-स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ**।
- जिला प्राधिकरण के अधीन एक **जिला स्तरीय सतर्कता प्रकोष्ठ**।
- ग्राम सभा के अनुमोदन से गठित स्थानीय स्तर पर **सतर्कता एवं निगरानी समितियां (स एवं नि स)**।

इन निकायों को शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं की पहचान करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरा करने, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने एवं कार्यस्थलों पर श्रमिकों के साथ संपर्क करने का कार्य सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य एवं चयनित जिला स्तरों पर, 2019-24 के दौरान कोई सतर्कता प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। ग्राम स्तर पर, टिहरी गढ़वाल जिले की चयनित ग्रा पं में स एवं नि स का गठन किया गया था, हालाँकि, अल्मोड़ा जिले की चयनित ग्रा पं में इसका गठन नहीं किया गया था।

राज्य, चयनित जिला एवं ग्राम स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप निगरानी में महत्वपूर्ण चूक हुई। कार्यस्थलों की निगरानी करने एवं अनियमितताओं को दूर करने में विफलता ने 2019-24 की अवधि के दौरान मनरेगा कार्यों के निष्पादन में हुई विभिन्न कमियों में योगदान दिया (जैसा कि ***अध्याय-5*** के ***प्रस्तरों-5.3.1*** से ***5.3.4*** में चर्चा की गई है)। यह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शासन एवं जवाबदेही तंत्र में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

इंगित किए जाने पर परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून, नमूना जाँच किए गए जिलों के उप जि प स एवं चयनित विकास खण्डों के का अ द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया।

7.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा की एक नवीन विशेषता यह है कि इसने सतत जन सतर्कता के साधन के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप दिया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल उद्देश्य परियोजनाओं, कानूनों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।

उत्तराखण्ड सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता एजेंसी (उ सा ले ज पा ए), देहरादून राज्य में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के सम्पादन के लिए जिम्मेदार थी।

7.4.1 अपेक्षित सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तरों 13.1.1 एवं 13.2.2 में यह प्रावधान है कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (सा ले इ) ग्राम सभा में सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों की उपयुक्त संख्या की पहचान करेगी। सामाजिक लेखापरीक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं:

- एक सतत एवं प्रगतिशील प्रक्रिया जिसमें लोक सतर्कता एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन सम्मिलित हो; एवं
- एक प्रक्रिया जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा सम्मिलित करते हुए प्रत्येक ग्रा पं में छः महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सा ले इ ने अपेक्षित छमाही के सापेक्ष एक वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जिसमें परिचालन दिशानिर्देशों से विचलन था।

राज्य में 2019-24 के दौरान संपादित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे **तालिका-7.1** में दी गई है:

तालिका-7.1: राज्य में संपादित सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	राज्य में कुल ग्राम पंचायतें	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी प्रतिशतता
2019-20	7,831	7,791	2,333	5,498	70
2020-21	7,823	936	595	7,228	92

वर्ष	राज्य में कुल ग्राम पंचायतें	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्राम पंचायतों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी प्रतिशतता
2021-22	7,823	7,791	1,239	6,584	84
2022-23	7,804	7,795	1,475	6,329	81
2023-24	7,799	7,795	1,956	5,843	75

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में 70 *प्रतिशत* से 92 *प्रतिशत* के मध्य ग्रा पं की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

चयनित जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन में कमी 79 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत के मध्य थी* ***(परिशिष्ट-7.1)***। चयनित विकास खण्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन में कमी 76 *प्रतिशत* एवं 100 *प्रतिशत* के मध्य थी ***(परिशिष्ट-7.1 क)***। उक्त के अतिरिक्त, चयनित ग्रा पं में यह 80 *प्रतिशत* एवं 100 प्रतिशत के मध्य थी ***(परिशिष्ट-7.1 ख)***।

नमूना जाँच किए गए जिलों की चयनित 16 ग्रा पं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2019-24 के दौरान चार ग्रा पं में एक बार भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जबकि 12 ग्रा पं में यह आंशिक रूप से संपादित की गई थी। चयनित ग्रा पं में निम्नलिखित प्रकार की आपत्तियाँ पाई गईं:

- रोजगार दिवस का आयोजन न करना,
- कार्य प्राप्त करने में असमर्थता, कार्य स्थल सुविधाओं का प्रावधान न करना एवं शिकायत निवारण,
- कार्य अभिलेखों जैसे प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, संपत्ति पंजिका, मस्टर रोल, एमबी एवं वाउचर्स प्रस्तुत न किया जाना,
- कार्य अभिलेखों का रख-रखाव न करना,
- जॉब कार्ड से संबंधित मुद्दे,
- कार्यों की मांग के लिए आवेदनों का संग्रहण न करना,

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्ष लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए निष्कर्षों के साथ संरेखित हैं। यह इंगित करता है कि विभाग इच्छित लाभार्थियों के लाभ के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को उपयोग करने के अवसर से चूक गया। एक विस्तारित अवधि में सतत अनियमितताएं योजना में आश्रित आबादी के विश्वास को क्षीण कर सकती हैं।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 100 *प्रतिशत* ग्रा पं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की योजना तैयार की है। हालाँकि, इसकी प्राप्ति पर्याप्त बजट की उपलब्धता पर निर्भर थी। दुर्भाग्यवश, उ सा ले ज पा ए को समय पर आवश्यक बजट प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार तथ्य यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्य के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अनिवार्य समीक्षा का उद्देश्य अधूरा रह गया।

7.4.2 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण में भारी लंबितता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.4.2 में प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक (जि का स) यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

यह पाया गया कि सा ले इ ने पूरे राज्य के लिए 2019-24 के दौरान 88,915 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निर्गत की थी। तथापि, सुधारात्मक उपाय मात्र 52,173 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में ही किए गए थे। राज्य स्तर पर की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा एवं टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका-7.2** में दी गई है:

तालिका-7.2: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबितता

वर्ष	निर्गत की गई सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियाँ	सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान	अनिस्तारित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	अनिस्तारित टिप्पणियों का *प्रतिशत*
2019-20	27,391	26,738	653	2
2020-21	10,283	9,079	1,204	12
2021-22	12,631	8,309	4,322	34
2022-23	16,428	5,569	10,859	66
2023-24	22,182	2,478	19,704	89
कुल	***88,915***	***52,173***	***36,742***	***41***

स्रोत: विभागीय आँकड़े एवं नरेगासॉफ्ट आँकड़ें।

उपर्युक्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि दो *प्रतिशत* से 89 *प्रतिशत* के मध्य की सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सुधारात्मक उपायों के अभाव में लंबित थीं।

इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रा पं में, 2019-24 के दौरान निर्गत की गयी 152 टिप्पणियों के सापेक्ष 118 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों में सुधारात्मक उपाय किए गए। जबकि शेष टिप्पणियाँ एक से पाँच वर्ष तक लंबित रहीं ***(परिशिष्ट-7.2)।***

विभाग ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि लंबित टिप्पणियों के निपटान के लिए विभिन्न स्तरों से जनपदों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

7.4.3 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित राशि की कम वसूली

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के पैरा 13.4.2 में प्रावधान है कि जि का स यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत वसूल की गई राशि की नियमित निगरानी के लिए एम आई एस में एक अलग प्रतिवेदन "प्रतिवेदन आर.9.2.6" वित्तीय दुर्विनियोजन वसूली रिपोर्ट सम्मिलित की गयी है ताकि राज्यों एवं केंद्रीय शासित प्रदेशों को निर्णित प्रकरणों और उनकी वसूली की प्रगति की निगरानी को सरल बनाया जा सके। सामाजिक लेखापरीक्षा में जारी किए गए प्रकरणों एवं उनके विरुद्ध की गई वसूली की स्थिति नीचे **तालिका-7.3** में दी गई है:

तालिका-7.3: राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा में जारी किए गए प्रकरणों पर राशि की वसूली

वर्ष	सूचित किए गए प्रकरणों की कुल संख्या	सा ले इ द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय एम आई एस दुर्विनियोग राशि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें वसूली की गयी है	वसूली गई राशि	लंबित वसूली राशि (*प्रतिशत में*)
					(लाख रुपये में)
2019-20	588	71.32	61	5.97	65.35 (92)
2020-21	549	155.25	100	10.84	144.41 (93)
2021-22	204	18.27	24	0.70	17.57 (96)
2022-23	443	89.44	40	2.70	86.74 (97)
2023-24	411	55.95	8	15.09	40.86 (73)
कुल	***2,195***	***390.23***	***233***	***35.30***	***354.93 (91)***

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

यह पाया गया कि सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2019-24 के दौरान सा ले इ द्वारा ₹ 390.23 लाख के वित्तीय दुर्विनियोजन से संबंधित 2195 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निर्गत की गयी। हालाँकि, मात्र 233 सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसकी राशि ₹ 35.30 लाख थी। परिणामस्वरूप, राज्य में ₹ 354.93 लाख की एक बड़ी राशि वसूली हेतु लंबित है।

चयनित जिलों में सूचित वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए वसूली की दक्षता अपर्याप्त पाई गई। टिहरी गढ़वाल जिले में, भिलांगना विकास खण्ड में ₹ 15.07 लाख के सूचित दुर्विनियोजन की तुलना में मात्र ₹ 0.31 लाख की वसूली की गई और वसूल की गई

राशि के जमा कराने से संबंधित भी कोई विवरण नहीं दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त, नरेन्द्र नगर विकास खण्ड में ₹ 0.69 लाख के सूचित वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए कोई वसूली नहीं की गई। इसी प्रकार, अल्मोड़ा जनपद में हवलबाग विकास खण्ड में ₹ 0.04 लाख एवं ताकुला विकास खण्ड में ₹ 0.55 लाख के सूचित दुर्विनियोजन के लिए कोई वसूली नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर उ सा ले ज पा ए ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं वसूली जाने वाली वास्तविक राशि के संबंध में अवगत कराया की धनराशि ₹ 354.93 लाख के स्थान पर ₹ 245.01 लाख है। उक्त के अतिरिक्त, उ सा ले ज पा ए ने अवगत कराया कि नरेगासॉफ्ट में दर्ज वित्तीय दुर्विनियोजन के निर्णीत प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों में अंतर है। यदपि, प्रकरण को निदेशक, मनरेगा, ग्रामीण विकास, भारत सरकार को (अप्रैल 2024) समाधान हेतु प्रेषित किया गया है।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि लंबित टिप्पणियों के निपटान के लिए विभिन्न स्तरों से जनपदों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

7.4.4 सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 13.2.2 के अनुसार सा ले इ उपयुक्त संख्या में राज्य संसाधन व्यक्तियों (रा सं व्य), जिला संसाधन व्यक्तियों (जि सं व्य), विकास खण्ड संसाधन व्यक्तियों (वि ख सं व्य) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (ग्रा सं व्य) की पहचान करेगा ताकि ग्राम सभा को सामाजिक लेखापरीक्षा करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

सा ले इ में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता **तालिका-7.4** में दी गई है:

तालिका-7.4: विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	(+) आधिक्य / (-) कमी (*प्रतिशत* में)
निदेशक	01	01	-
वित्त नियंत्रक	01	01	-
राज्य समन्वयक	01	01	-
राज्य संसाधन व्यक्ति	02	02	-
लेखाकार	01	01	-
डाटा एंट्री ऑपरेटर	05	05	-
जिला संसाधन व्यक्ति	13	9	(-) 31
विकास खण्ड संसाधन व्यक्ति	95	63	(-) 34
ग्राम संसाधन व्यक्ति	5 प्रति ग्रा पं	231	सभी निधियों की उपलब्धता के अनुसार पैनलबद्ध आधार/कार्यदिवस के आधार पर हैं

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	(+) आधिक्य / (-) कमी (*प्रतिशत* में)
बहुद्देशीय कार्मिक	02	02	-
सफाई कर्मी	01	01	-
सुरक्षा गार्ड	01	01	-

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

जिला, विकास खण्ड एवं ग्रा पं स्तर पर महत्वपूर्ण पदों की कमी थी, जो वास्तविक वाह्य लेखापरीक्षा निष्पादन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कार्मिक कमी के परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया जैसा कि इस ***अध्याय*** के ***प्रस्तर-7.4.1*** में चर्चा की गई है।

विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा अपने उत्तर में अवगत कराया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण, पर्याप्त मानव संसाधन तैनात नहीं किए जा सके।

7.5 अनिवार्य अभिलेख एवं उनका रख-रखाव

भारत सरकार ने क्षेत्रीय स्तर के कार्मिकों के कार्यकरण को सरल बनाने एवं सूचना की गुणवत्ता, विशेषकर कामगारों की हकदारी से संबंधित सूचना की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य की पुनरावृत्ति को कम करने की दृष्टि से सात पंजिका निर्धारित किए हैं। (पंजिका-I: जॉब कार्ड के लिए पंजिका (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने के लिए) एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट, पंजिका-II ग्राम सभा पंजिका, पंजिका-III कार्य की मांग, कार्य का आवंटन एवं मजदूरी की भुगतान पंजिका, पंजिका-IV: कार्य पंजिका, पंजिका-V: स्थायी संपत्ति पंजिका, पंजिका-VI शिकायत पंजिका एवं पंजिका-VII सामग्री पंजिका)। पंजिका-I, IV, VI एवं VII को एम आई एस से ही प्रिंट एवं पेस्ट किया जाना था जबकि पंजिका II, III एवं V को मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाना था।

जाँच की गई ग्रा पं में आवश्यक पंजिका बनाए रखने की स्थिति नीचे **तालिका-7.5** में दी गई है:

तालिका-7.5: जाँच की गई ग्राम पंचायतों में आवश्यक पंजिका बनाए रखने की स्थिति

क्र. सं.	पंजिका का नाम	पंजिका का उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	जॉब कार्ड के लिए पंजिका (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी) एवं परिवार रोजगार रिपोर्ट	इस पंजिका में आवेदक का नाम, आवेदन प्राप्त होने की तिथि एवं जारी किए गए जॉब कार्ड का विवरण दर्ज होगा। इसमें जॉब कार्ड जारी न किए जाने के कारणों/औचित्यों, यदि कोई हों, को भी दर्ज करने का प्रावधान है।	यह पंजिका सभी नमूना जाँच ग्रा पं द्वारा नरेगासाफ्ट में रखा गया था। तथापि, नरेगासॉफ्ट में जॉब कार्ड (जॉ का) जारी करने के लिए आवेदन की तिथि उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन, लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर पाया कि क्या जा का के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी पंजीकरण

क्र. सं.	पंजिका का नाम	पंजिका का उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
			करने के लिए सक्षम थे या यदि मनरेगा के लिए आवश्यक 15 दिनों के भीतर पात्र परिवारों को जा का जारी किया गया था।
2.	ग्राम सभा पंजिका	इस पंजिका में ग्राम सभा की बैठक एवं परियोजनाओं का चयन दर्ज होगा।	सभी जांची गई ग्रा पं द्वारा ग्राम सभा पंजिका का रख-रखाव किया गया था।
3.	कार्य की मांग, कार्य का आवंटन एवं मजदूरी भुगतान पंजिका।	इस पंजिका में कार्य के लिए आवेदन, कार्य का आवंटन, कार्य का प्रदर्शन एवं श्रमिक को भुगतान की जाने वाली मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते के विवरण की जानकारी होगी। यह पंजिका ग्रा पं स्तर पर पंचायत सचिव द्वारा तथा विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रखा जाएगा।	यह पंजिका किसी भी जांची गई ग्रा पं द्वारा नहीं रखी गयी थी।
4.	कार्य पंजिका	इस पंजिका में प्रत्येक कार्य का विवरण होता है जैसे क्रमांक एवं अनुमोदित कार्यों की सूची में प्राथमिकता, का क्रि इ का नाम एवं पता, जिस तिथि को कार्य शुरू किया गया था, इसकी लागत, स्थान, कार्य पूर्ण होने की तिथि, किया गया व्यय, जारी पूर्णता प्रमाणपत्र दर्ज किया जाएगा।	यह पंजिका नरेगासॉफ्ट में सभी नमूना जाँच ग्राम पंचायतों द्वारा रखी गयी थी।
5	स्थायी सम्पत्ति पंजिका	इस पंजिका में परिसंपत्ति, इसकी लागत, स्थान, वर्तमान स्थिति, व्युत्पन्न लाभ एवं कार्यों का विवरण शामिल है।	यह पंजिका पाँच चयनित ग्रा पं: अखोड़ी, बांचुरी, एसलना, मटेना एवं थानुल द्वारा नहीं बनायी गयी थी।
6	शिकायत पंजिका	इस पंजिका में शिकायत प्राप्त होने की तारीख, शिकायतकर्ता का ब्यौरा, शिकायत पर की गई कार्रवाई, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पर शिकायतकर्ता का जवाब एवं अंतिम निपटान की तिथि दर्ज की जाएगी।	यह पंजिका सभी चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित थी। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायतों में 2019-24 के दौरान कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
7	सामग्री पंजिका।	इस पंजिका में क्रय की गई सामग्रियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।	यह पंजिका नरेगासॉफ्ट में सभी नमूना जाँच ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित थी।

विभाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया कि अपेक्षित पंजिका बनाए रखने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

7.6 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में राज्य एवं जिला गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं, सतर्कता प्रकोष्ठों एवं लोकपाल सहित आवश्यक निगरानी प्रणालियों के अभाव को उजागर किया गया है। इसके

अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियाँ, अनिस्तारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, एवं वित्तीय दुर्विनियोजन की अपर्याप्त वसूली निरीक्षण में चिंताजनक प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित करती है। ये सतत अनियमितताएं योजना की अखंडता एवं सफलता को जोखिम में डालती है, इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं एवं योजना में आश्रित आबादी के विश्वास को क्षीण करती है।

7.7 अनुशंसाएँ

1. ***निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतता का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी जनपदों में राज्य रा गु नि एवं जि गु नि प्रकोष्ठों की नियुक्ति एवं संचालन करना।***
2. ***सभी ग्रा पं में अधिदेशानुसार कम से कम द्विवार्षिक रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा संपादित करना एवं दिशानिर्देशों से विचलन का समाधान करना। लंबित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं वसूलियों का निपटान शीघ्रता से किया जाना चाहिए एवं वित्तीय दुर्विनियोजन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।***

अध्याय-8
उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव

अध्याय - 8

उत्तराखण्ड में योजना का प्रभाव

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण आबादी की आजीविका में सुधार करना है। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिवर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर, इस योजना में ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर के उत्थान की क्षमता है। हालांकि, मनरेगा का पूरा लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इस योजना का प्रभावी और दक्षता पूर्ण क्रियान्वयन किया जाय तथा विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाय।

लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा प्रकाश में लाये गए प्रमुख निष्कर्ष

उत्तराखण्ड में, 2019-24 के दौरान मनरेगा के अधीन जल संरक्षण, जलागम वाटरशेड प्रबंधन, सिंचाई, वनीकरण, भूमि विकास, ग्रामीण सम्पर्क और आपदा तैयारी/बहाली आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों में 3.41 लाख परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया। 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका-8.1** में दिया गया है:

तालिका-8.1: 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य में सृजित परिसंपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	पूर्ण किए गए कार्य
1	जल संरक्षण	27,225
2	वाटरशेड प्रबंधन	15,374
3	सिंचाई	46,161
4	पारंपरिक जल निकाय	10,013
5	वनरोपण	17,487
6	भूमि विकास	42,346
7	भूमि की उत्पादकता में सुधार	6,382
8	आजीविका सुधार से संबंधित कार्य	2,626
9	अनुपजाऊ/बंजर भूमि का विकास	1,857
10	आवास निर्माण	25,872
11	पशुधन संवर्द्धन	63,412
12	मत्स्य पालन संवर्द्धन	2,566
13	कृषि उत्पादकता	44
14	स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए सामान्य कार्य-शेड	69
15	ग्रामीण स्वच्छता	16,355
16	सड़क संपर्क/आंतरिक सड़कें/गलियां	32,192
17	खेल के मैदान	186
18	आपदा तैयारी/पुनरोद्धार	29,661
19	भवन निर्माण	1,346
20	खाद्यान्न भंडारण संरचनाएं	194

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	पूर्ण किए गए कार्य
21	निर्माण हेतु सामग्री उत्पादन	49
22	अनुरक्षण	19
23	अन्य कार्य	171
कुल		***3,41,607***

सृजित सामुदायिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, इस योजना ने लाभार्थियों की आय में वृद्धि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं लिंग आधारित मजदूरी असमानता को कम करने के साथ ग्रामीण महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी मदद की।

8.1 सामाजिक सुरक्षा

मनरेगा योजना ने वार्षिक न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करके ग्रामीण परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आय के इस विश्वसनीय स्रोत ने जीवन स्तर में सुधार किया है, विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में जहां मैदानी जिलों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है, जो आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में आजीविका का समर्थन करने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

सर्वेक्षण के दौरान 200 लाभार्थियों में से 193 लाभार्थियों (97 *प्रतिशत*) द्वारा आजीविका में सुधार होना बताया गया, जो ग्रामीण आजीविका को स्थिर करने और बढ़ाने में इसकी भूमिका पर जोर देता है।

8.2 मनरेगा एवं कोविड-19 महामारी

मनरेगा योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान की। सरकार द्वारा वित्तपोषण में वृद्धि की गयी और नियमों में छूट दी गयी, परिणामस्वरूप अधिक परिवारों को रोजगार मिला। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में, उत्तराखण्ड सरकार ने 2020-21 में 100 दिनों का काम पूरा करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार की अनुमति दी।

मनरेगा योजना का व्यय 2019-20 में ₹ 509.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 945.16 करोड़ हो गया। इस योजना के अंतर्गत रोजगार 5.04 करोड़ परिवारों से बढ़कर 6.54 करोड़ हो गया, जो महामारी के दौरान उच्च माँग को दर्शाता है। उत्तराखण्ड द्वारा 2020-21 में 303.60 लाख रोजगार दिवस का सृजन किया, जो कि पिछले वर्ष में 206.10 लाख था। इस प्रकार, मनरेगा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, साथ ही रोजगार प्राप्त वाले परिवारों और सृजित रोजगार दिवसों की संख्या में वृद्धि, महामारी के दौरान ग्रामीण रोजगार माँगों को पूरा करने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

8.3 महिलाओं का सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान (श्रम रोजगार का कम से कम एक तिहाई महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए) किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, राज्य में महिलाओं के लिये समग्र ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर (श्र ब भा द) 32.4 *प्रतिशत* है, वहीं मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी दर 56 *प्रतिशत* से अधिक है।

यह उल्लेखनीय अंतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में योजना की भूमिका को रेखांकित करता है। यह योजना एक जैसे कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान मजदूरी प्रदान करती है, जिससे मजदूरी पक्षपात की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है। पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के प्रावधान ने भी कार्यबल में उनकी भागीदारी में सुधार किया है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों के प्रावधान ने स्थानीय निकाय के ढाँचे में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार किया है और उन्हें अपने जनसमूह के विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है।

8.4 व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन

मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के सृजन का ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है।

चयनित ग्रा पं समुदाय के साथ-साथ व्यक्तिगत परिसम्पत्ति निर्माण पर केंद्रित थे। चयनित ग्रा पं द्वारा 2019-24 के दौरान बनाई गई 378 संपत्तियों में से, अधिकांश परिसंपत्तियाँ (91 परिसंपत्तियाँ) जैसे घर का निर्माण, भूमि विकास, *मुर्गीबाड़ा, पशुबाड़ा,* इत्यादि, निजी स्वामित्व की भूमि पर बनाई गई थीं, जैसा कि नीचे **तालिका-8.1** में दिया गया है:

तालिका-8.2: नमूना जाँच ग्रा पं द्वारा 2019-24 के दौरान सृजित परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	कार्य की श्रेणी	नमूना जाँच ग्रा पं में वर्ष 2019-24 के दौरान सृजित परिसंपत्तियों की संख्या
1.	आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचा	2
2.	सूखा रोधी प्रणाली	36
3.	बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण	13
4.	भूमि विकास	103
5.	सूक्ष्म सिंचाई कार्य	23
6.	पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार	6
7.	ग्रामीण संपर्क	33
8.	ग्रामीण स्वच्छता	3
9.	जल संरक्षण और जल संचयन	68
10.	निजी स्वामित्व भूमि पर कार्य	91
योग		***378***

चयनित परिसंपत्तियों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि निजी स्वामित्व भूमि पर बनाई गई परिसंपत्तियाँ लाभार्थी के जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

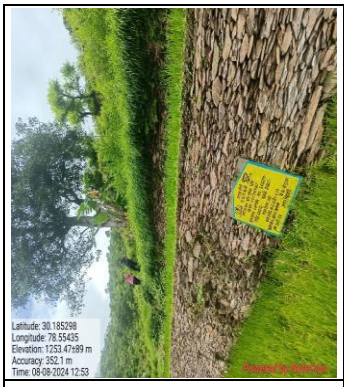		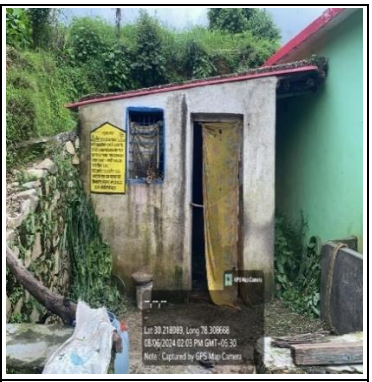
कार्य का नाम: ग्रा पं खनाना में भूमि सुधार (कार्य कोड: 3513007062/एल डी/2008165017)	*कार्य का नाम: ग्रा पं फर्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का निर्माण। जिसमें अकुशल श्रम का भुगतान मनरेगा के अंतर्गत किया गया था। (कार्य कोड: 3513007020/आई एफ/आई ए वाई/44618)*	*कार्य का नाम: ग्रा पं फर्त में पशुबाड़ा का निर्माण। (कार्य कोड: 513007020/एल डी/2008147527)*

8.5 सतत चुनौतियों पर नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने मनरेगा के सुचारू कार्यान्वयन को बाधित करने वाले कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की, जिनका इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए समाधान किया जाना आवश्यक है।

- **मज़दूरी भुगतान में विलम्ब:** मनरेगा की सफलता में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधाओं में से एक श्रमिकों को मज़दूरी के भुगतान में देरी है। विलंबित भुगतान न केवल श्रमिकों के वित्तीय संकट का कारण बनता है, बल्कि प्रणाली में उनका विश्वास भी घटता है।
- **अपर्याप्त रोज़गार सृजन:** यद्यपि मनरेगा का लक्ष्य 100 दिनों का वार्षिक रोज़गार प्रदान करना है, परन्तु कई क्षेत्रों में वास्तविक रोज़गार सृजन कम है। यह अक्सर खराब योजना, कार्य में पर्याप्त अवसरों की कमी और परियोजना कार्यान्वयन में देरी के कारण होता है।
- **लाभार्थियों में जागरूकता की कमी:** कई ग्रामीण परिवार, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, मनरेगा के अंतर्गत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। जागरूकता की कमी के कारण योजना का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और पात्र लाभार्थी इससे वंचित रह जाते हैं।

मनरेगा की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए, इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और रोजगार के अवसरों की सीमा का विस्तार करना ग्रामीण आबादी को और सशक्त बना सकता है और उनके आर्थिक उत्थान को मजबूत कर सकता है।

8.6 अनुशंसाएँ

1. ***स्थानीय नियोजन को मजबूत करने, परियोजनाओं का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने एवं योजना के अंतर्गत गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने से रोजगार सृजन के मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है।***
2. ***जनसम्पर्क प्रयास को बढ़ाने, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और सूचना के सुलभ माध्यमों से योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।***

देहरादून **(संजीव कुमार)**
दिनांक: 14 नवम्बर 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 20 नवम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.3; पृष्ठ 08)

चयनित जिलों, विकास खण्डों तथा ग्राम पंचायतों का विवरण

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	चयनित ग्राम पंचायतों का नाम
अल्मोड़ा	हवालबाग	1. कसून
		2. मटेना
		3. ओडला
		4. टटीक
	ताकुला	1. बूंगा
		2. धौलारा
		3. इसलना
		4. जीतप
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	1. अखोड़ी
		2. बनचुरी
		3. धारगाँव
		4. मेहरगाँव
	नरेंद्र नगर	1. दंदेली
		2. खनाना
		3. फर्त
		4. थन्यूल

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.1.2; पृष्ठ 14)

ग्रा पं द्वारा प्रस्तावित और खण्ड विकास योजना में शामिल कार्यों की संख्या

जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रा पं का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ग्रा पं द्वारा प्रस्तावित कार्यों की संख्या							
अल्मोड़ा	हवालबाग	कसून	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	71	34	26	69
		मटेना	57	41	43	53	47
		ओडला	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	03	17	12	04
		टटीक		08	10	13	16
	ताकुला	बूंगा	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
		धौलारा	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
		इसलना	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	19	32	44	20
		जीतप	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	अखोड़ी	16	33	14	24	21
		बनचुरी	18	33	33	11	0
		धारगाँव	35	-	44	26	24
		मेहरगाँव	6	7	14	16	12
	नरेंद्र नगर	दंदेली	7	75	10	18	29
		खनाना	16	11	14	11	14
		फर्त	25	20	20	14	9
		थन्यूल	7	22	28	19	14
		योग	***187***	***343***	***313***	***287***	***279***
खण्ड के श्र ब में शामिल कार्यों की संख्या							
अल्मोड़ा	हवालबाग	कसून	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	46	31	27	25
		मटेना	22	57	58	96	30
		ओडला	जानकारी उपलब्ध नहीं है।	06	16	10	08
		टटीक		11	10	16	16
	ताकुला	बूंगा	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
		धौलारा	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
		इसलना	जानकारी उपलब्ध नहीं है।		35	46	20

जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रा पं का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		जीतप	जानकारी उपलब्ध नहीं है।				
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	अखोड़ी	7	8	20	33	20
		बनचुरी	10	7	19	24	10
		धारगाँव	35	21	25	23	24
		मेहरगाँव	5	12	13	22	17
	नरेंद्र नगर	दंदेली	5	47	7	9	36
		खनाना	5	7	26	8	18
		फर्त	24	28	18	14	16
		थन्यूल	7	26	17	15	4
		योग	***120***	***276***	***295***	***343***	***244***

स्रोतः चयनित ग्रा पं की कार्यवाही पंजिका और चयनित विकास खण्ड की वार्षिक योजनाएं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 21)

राज्य द्वारा केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब

वर्ष	केंद्र का हिस्सा			राज्य का हिस्सा		राज्य द्वारा भा स के हिस्से को जारी करने में विलंब (दिनों में)	राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब (दिनों में)	भा स के हिस्से को जारी करने में विलंब हेतु ब्याज की देनदारी	राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब हेतु ब्याज की देनदारी	कुल ब्याज की देनदारी
	धनराशि	भा स द्वारा जारी करने की तिथि	रा रो गा नि को जारी करने की तिथि	राज्यान्श	जारी करने की तिथि					
										(₹ लाख में)
2019-20	813.31	09.04.19	23.04.19	271.10	02.08.19	11	111	2.94	9.89	**12.83**
	8055.83	05.08.19	22.08.19	2,685.28	16.09.19	14	39	37.08	34.43	**71.51**
	2340.02	22.10.19	08.11.19	780.01	26.11.19	14	32	10.77	8.21	**18.98**
	212.31	30.12.19	08.01.20	70.77	27.01.20	06	25	0.42	0.58	**1.00**
	70.94	05.02.20	29.02.20	23.65	20.03.20	21	41	0.49	0.32	**0.81**
	3402.69	23.03.20	28.03.20	1,134.23	29.05.20	**02**	64	2.24	23.86	**26.10**
2020-21	3862.64	07.04.20	30.04.20	1,287.55	05.05.20	20	25	25.40	10.58	**35.98**
	5164.04	28.08.20	14.09.20	1,721.35	22.09.20	14	22	23.77	12.45	**36.22**
	1535.99	06.11.20	*	512.00	07.12.20		16			
	1715.30	11.12.20	31.12.20	571.77	13.01.21	05	18			
	5031.52	12.01.21	*	1,576.59	29.01.21		02			
				100.57	23.03.21		55			
2021-22	9667.15	27.05.21	*	3,082.63	02.06.21					
				139.75	27.09.21		108			
	4600.80	31.03.22	11.04.22	1,533.60	11.04.22					
2022-23	21253.57	15.06.22	01.07.22 (17,482.23)	6,167.58	01.07.22					
			20.09.22 (3,771.34)	916.94	20.09.22	82	82			

वर्ष	केंद्र का हिस्सा			राज्य का हिस्सा		राज्य द्वारा भा स के हिस्से को जारी करने में विलंब (दिनों में)	राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब (दिनों में)	भा स के हिस्से को जारी करने में विलंब हेतु ब्याज की देनदारी	राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब हेतु ब्याज की देनदारी	कुल ब्याज की देनदारी
	धनराशि	भा स द्वारा जारी करने की तिथि	रा रो गा नि को जारी करने की तिथि	राज्यान्श	जारी करने की तिथि					
										(₹ लाख में)
	4816.54	04.10.22	27.12.22 (4,347.26)	1,376.89	27.12.22	69	69			
			12.01.23 (469.28)			85				
	6138.48	09.02.23	24.02.23 (5,134.19)	1,734.77	24.02.23					
			25.03.23 (1,004.29)	27.14	25.03.23	29	29			
	3508.49	25.03.23	30.03.23 (3,003.90)	717.05	30.03.23					
			31.03.23 (504.59)	168.20	31.03.23					
2023-24	7022.34	25.07.23	04.08.23	2,204.33	04.08.23					
	2600.18	27.10.23	08.11.23	780.51	08.11.23					
	5446.67	12.02.24	26.02.24	1,815.56	26.02.24					
योग								*103.11*	*100.32*	*203.43*

**सूचना प्रदान नहीं की गई।*

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 25)

राज्य स्तर पर मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति

वर्ष	विलंबित क्षतिपूर्ति					अस्वीकृत क्षतिपूर्ति (दिनों में)			विलंबित क्षतिपूर्ति का भुगतान	क्षतिपूर्ति का भुगतान जोकि अभी तक लंबित है
	देय (दिनों में)	देय राशि	स्वीकृत (दिनों में)	स्वीकृत राशि	सत्यापन हेतु लंबित राशि	प्राकृतिक आपदाएं	अदेय क्षतिपूर्ति	कुल अस्वीकृत क्षतिपूर्ति		
										(धनराशि ₹ में)
2019-20	45,886	54,146	1,529	1,442	434	21,571	22,404	43,975	1367	75
2020-21	1,86,374	1,93,009	23,191	27,559	1,59,717	2,084	4,612	6,696	25,934	1,625
2021-22	86,126	74,715	4,058	2,086	59,921	3,203	8,353	11,556	1,504	582
2022-23	81,081	89,433	2,897	2,990	65,449	454	18,671	19,125	2,209	781
2023-24	20,012	15,780	3,231	2,389	4,347	1,160	9,368	10,528	0	2,389
कुल	***4,19,479***	***4,27,083***	***34,906***	***36,466***	***2,89,868***	***28,472***	***63,408***	***91,880***	***31,014***	***5,452***

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 26)

चयनित विकास खण्डों में मजदूरी के विलंबित भुगतान के लिए लंबित क्षतिपूर्ति

वर्ष	विलंबित क्षतिपूर्ति					अस्वीकृत क्षतिपूर्ति (दिनों में)			भुगतान किए गए विलंबित क्षतिपूर्ति की धनराशि	लंबित क्षतिपूर्ति की धनराशि
	देय (दिनों में)	देय धनराशि	स्वीकृत (दिनों में)	स्वीकृत धनराशि	सत्यापन हेतु लंबित	प्राकृतिक आपदाएं	क्षतिपूर्ति अदेय	कुल अस्वीकृत क्षतिपूर्ति		
										(धनराशि ₹ में)
विकास खण्ड का नाम: हवालबाग										
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-21	2,426	1,482	0	0	102	0	2,283	2,283	0	0
2021-22	750	599	0	0	146	0	510	510	0	0
2022-23	64	83	0	0	0	04	60	64	0	0
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	***3,240***	***2,164***	***0***	***0***	***248***	***04***	***2,853***	***2,857***	***0***	***0***
विकास खण्ड का नाम: ताकुला										
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-21	2,670	2,535	0	0	2,535	0	0	0	0	0
2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-23	1,806	2,076	0	0	1,595	0	437	437	0	0
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	***4,476***	***4,611***	***0***	***0***	***4,130***	***0***	***437***	***437***	***0***	***0***
विकास खण्ड का नाम: भिलंगना										
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-21	10	14	0	0	14	0	0	0	0	0
2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-23	6,272	8,000	70	60	7,940	0	0	0	0	60
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	***6,282***	***8,014***	***70***	***60***	***7,954***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60***

वर्ष	विलंबित क्षतिपूर्ति					अस्वीकृत क्षतिपूर्ति (दिनों में)			भुगतान किए गए विलंबित क्षतिपूर्ति की धनराशि	लंबित क्षतिपूर्ति की धनराशि
	देय (दिनों में)	देय धनराशि	स्वीकृत (दिनों में)	स्वीकृत धनराशि	सत्यापन हेतु लंबित	प्राकृतिक आपदाएं	क्षतिपूर्ति अदेय	कुल अस्वीकृत क्षतिपूर्ति		
विकास खण्ड का नाम: नरेंद्र नगर										
2019-20	10	5	0	0	0	0	10	10	0	0
2020-21	1,617	1,610	0	0	1,610	0	0	0	0	0
2021-22	905	1,108	0	0	1,108	0	0	0	0	0
2022-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	***2,532***	***2,723***	***0***	***0***	***2,718***	***0***	***10***	***10***	***0***	***0***
कुल योग	***16,530***	***17,512***	***70***	***60***	***15,050***	***04***	***3,300***	***3,304***	***0***	***60***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-3.4 (क)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 27)

कार्य की माँग हेतु आवेदन जिनमें तिथि दर्ज नहीं की गई थी

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
ग्राम पंचायत का नाम: अखोड़ी			
1.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008121281	उपलब्ध नहीं है	11
2.	3513002004/एलडी/2008111695	उपलब्ध नहीं है	11
3.		उपलब्ध नहीं है	10
4.	3513002004/डीपी/2008061872	उपलब्ध नहीं है	2
5.		उपलब्ध नहीं है	14
6.		उपलब्ध नहीं है	15
7.		उपलब्ध नहीं है	7
8.		उपलब्ध नहीं है	15
9.		उपलब्ध नहीं है	16
10.		उपलब्ध नहीं है	14
11.		उपलब्ध नहीं है	9
12.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008071952	उपलब्ध नहीं है	14
13.	3513002/एफपी/2008052532	उपलब्ध नहीं है	8
14.		उपलब्ध नहीं है	15
15.		उपलब्ध नहीं है	15
16.		उपलब्ध नहीं है	15
17.		उपलब्ध नहीं है	15
18.		उपलब्ध नहीं है	10
19.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008128613	उपलब्ध नहीं है	13
ग्राम पंचायत का नाम: बनचुरी			
20.	3513007075/डब्ल्यूसी/2008111042	उपलब्ध नहीं है	16

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
21.		उपलब्ध नहीं है	17
22.		उपलब्ध नहीं है	10
23.		उपलब्ध नहीं है	14
24.	3513002195/एलडी/2008151779	उपलब्ध नहीं है	20
25.	3513002195/आरसी/2008079195	उपलब्ध नहीं है	9
26.		उपलब्ध नहीं है	12
27.		उपलब्ध नहीं है	15
28.		उपलब्ध नहीं है	18
29.		उपलब्ध नहीं है	18
30.		उपलब्ध नहीं है	12
31.	3513002195/आरसी/2008079196	उपलब्ध नहीं है	11
32.		उपलब्ध नहीं है	6
33.		उपलब्ध नहीं है	15
34.		उपलब्ध नहीं है	15
35.		उपलब्ध नहीं है	25
36.	3513002195/आरसी/2008079197	उपलब्ध नहीं है	6
37.		उपलब्ध नहीं है	15
38.		उपलब्ध नहीं है	15
39.	3513002195/डब्ल्यूसी/2008089732	उपलब्ध नहीं है	11
40.		उपलब्ध नहीं है	14
ग्राम पंचायत का नाम: दंदेली			
41.	3513007075/डीपी/2008060472	उपलब्ध नहीं है	20
42.	3513007075/आरसी/2008050564	उपलब्ध नहीं है	32
43.	3513007075/एलडी/2008181899	उपलब्ध नहीं है	20
44.	3513007075/आरसी/2008042853	उपलब्ध नहीं है	26

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
45.	3513007075/डब्ल्यूसी/2008065671	उपलब्ध नहीं है	23
46.	3513007075/एलडी/2008116142	उपलब्ध नहीं है	20
47.	3513007075/डब्ल्यूसी/2008087161	उपलब्ध नहीं है	33
48.	3513007075/डब्ल्यूसी/2008087164	उपलब्ध नहीं है	17
49.	3513007075/एफपी/2008068498	उपलब्ध नहीं है	20
50.	3513007075/डब्ल्यूसी/2008118202	उपलब्ध नहीं है	6
ग्राम पंचायत का नाम: धारगाँव			
51.	3513002046/आरसी/2008077085	उपलब्ध नहीं है	9
52.		उपलब्ध नहीं है	9
53.		उपलब्ध नहीं है	9
54.	3513002046/आरसी/2008077426	उपलब्ध नहीं है	5
55.		उपलब्ध नहीं है	7
56.		उपलब्ध नहीं है	8
57.		उपलब्ध नहीं है	8
58.	3513002046/एलडी/2008161023	उपलब्ध नहीं है	13
59.	3513002046/एफपी/2008058549	उपलब्ध नहीं है	3
60.		उपलब्ध नहीं है	20
61.		उपलब्ध नहीं है	3
62.		उपलब्ध नहीं है	21
63.	3513002046/डब्ल्यूसी/2008120493	उपलब्ध नहीं है	19
64.		उपलब्ध नहीं है	20
65.	3513002046/एफपी/2008048664	उपलब्ध नहीं है	44
66.	3513002046/आरसी/2008049642	उपलब्ध नहीं है	36
67.		उपलब्ध नहीं है	15

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
ग्राम पंचायत का नाम: कसून			
68.	3507009057/आरसी/2008084545	उपलब्ध नहीं है	14
69.		उपलब्ध नहीं है	09
ग्राम पंचायत का नाम: मेहरगाँव			
70.	3513002103/एलडी/2008109982	उपलब्ध नहीं है	31
71.	3513002103/एलडी/2008145728	उपलब्ध नहीं है	20
72.	3513002103/आरसी/2008087252	उपलब्ध नहीं है	13
73.		उपलब्ध नहीं है	15
74.	3513002103/एलडी/2008138008	उपलब्ध नहीं है	12
75.		उपलब्ध नहीं है	15
76.	3513002103/एलडी/2008158106	उपलब्ध नहीं है	9
77.		उपलब्ध नहीं है	15
ग्राम पंचायत का नाम: मटेना			
78.	3507009080/डब्ल्यूसी/2008093449	उपलब्ध नहीं है	17
79.		उपलब्ध नहीं है	5
80.	3507009080/एलडी/2008090062	उपलब्ध नहीं है	13
81.		उपलब्ध नहीं है	4
82.		उपलब्ध नहीं है	12
83.	3507009080/आईएफ़/2008183534	उपलब्ध नहीं है	5
84.	3507009080/आईएफ़/2008183531	उपलब्ध नहीं है	9
85.	3507009080/आईएफ़/2008157109	उपलब्ध नहीं है	2
86.		उपलब्ध नहीं है	2
87.	3507009080/एलडी/2008135341	उपलब्ध नहीं है	10
88.		उपलब्ध नहीं है	15
89.		उपलब्ध नहीं है	9

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
90.		उपलब्ध नहीं है	11
91.		उपलब्ध नहीं है	10
92.	3507009080/डीपी/2008134886	उपलब्ध नहीं है	1
93.	3507009080/एलडी/2008122591	उपलब्ध नहीं है	12
94.		उपलब्ध नहीं है	17
95.	3507009080/डब्ल्यूसी/2008112515	उपलब्ध नहीं है	6
96.	3507009080/एलडी/2008105988	उपलब्ध नहीं है	10
97.		उपलब्ध नहीं है	11
98.		उपलब्ध नहीं है	9
99.	3507009080/डब्ल्यूसी/2008114539	उपलब्ध नहीं है	30
100.		उपलब्ध नहीं है	10
101.		उपलब्ध नहीं है	7
102.		उपलब्ध नहीं है	12
103.		उपलब्ध नहीं है	17
104.		उपलब्ध नहीं है	11
ग्राम पंचायत का नाम: टटीक			
105.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008089222	उपलब्ध नहीं है	6
106.		उपलब्ध नहीं है	14
107.	3507009121/आरसी/2008084759	उपलब्ध नहीं है	9
108.		उपलब्ध नहीं है	14
109.		उपलब्ध नहीं है	8
110.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008077699	उपलब्ध नहीं है	13
111.		उपलब्ध नहीं है	9
112.		उपलब्ध नहीं है	4
113.	3507009121/एलडी/2008160753	उपलब्ध नहीं है	15

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
114.	3507009121/डीपी/2008134923	उपलब्ध नहीं है	1
115.		उपलब्ध नहीं है	6
116.	3507009121/एलडी/2008131131	उपलब्ध नहीं है	15
117.		उपलब्ध नहीं है	9
118.		उपलब्ध नहीं है	8
119.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008102466	उपलब्ध नहीं है	12
ग्राम पंचायत का नाम: थन्यूल			
120.	3513007085/डीपी/2008133837	उपलब्ध नहीं है	2

परिशिष्ट-3.4 (ख)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 28)

हस्ताक्षर दर्ज नहीं

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
ग्राम पंचायत का नाम: बनचुरी			
1.	3513002195/एलडी/2008151779	उपलब्ध नहीं है	20
ग्राम पंचायत का नाम: बुंगा			
2.	3507007024/एलडी/2008108855	10.01.22	2
3.	3507007024/एलडी/2008138436	05.04.22	10
4.	3507007024/आईएफ/आईएवाई/43234	28.05.23	5
5.		02.07.23	2
6.		16.08.23	1
7.	3507007024/आईएफ़ /2008166234	04.09.23	4
8.	3507007024/आईएफ़/2008166242	03.08.23	3
9.		17.08.23	1
ग्राम पंचायत का नाम: धौलारा			
10.	3507007030/आईएफ़/2008160509	12.04.23	4
11.		14.06.23	2
12.		07.02.24	1
13.	3507007030/डब्ल्यूएच/2008166383	14.03.24	5
14.		25.04.24	3
15.	3507007030/आरसी/2008104030	14.03.24	3
16.		04.04.24	14
17.		25.04.24	3
18.	3507007030/आईएफ़/2008162103	17.07.23	6
19.		12.04.23	10

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
20.		19.12.23	4
21.		05.02.24	3
22.	3507007030/आईएफ़/2008137119	20.03.22	4
23.		01.04.22	4
24.		21.12.22	1
25.		19.06.23	1
ग्राम पंचायत का नाम: इसलना			
26.	3507007034/एलडी/2008111872	21.08.21	6
27.		01.10.21	11
28.	3507007034/आईएफ़/2008183658	11.01.24	4
29.		03.03.24	3
30.	3507007034/आईएफ़/2008186945	22.02.24	3
31.		25.04.24	3
32.		04.10.24	2
33.	3507007034/आईएफ़/2008141713	01.06.22	6
34.		01.02.23	2
35.	3507007034/आईएफ़/2008122641	13.01.22	4
36.		09.03.22	3
37.	3507007034/आईएफ़/2008134048	21.04.22	5
38.		09.05.22	4
39.	3507007034/आईएफ़/2008172783	03.03.24	4
40.		03.04.24	2
41.	3507007034/एलडी/2008175998	23.05.23	16
42.		05.08.23	10

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
43.	3507007034/डीपी/2008060258	20.07.20	9
44.		06.08.20	14
45.		26.10.20	4
ग्राम पंचायत का नाम: जीतप			
46.	3507007042/डीपी/2008066041	10.07.21	11
47.	3507007042/आईसी/2008167453	05.12.23	18
48.		19.12.23	20
49.	3507007042/एलडी/2008165940	11.01.23	9
50.		27.02.23	10
51.		18.09.23	2
52.		20.10.23	2
53.	3507007042/आरसी/2008097716	27.11.23	19
54.	3507007042/एवी/2008054367	11.03.24	6
55.		11.03.24	15
56.		28.05.24	4
57.	3507007042/आईसी/2008094159	14.04.22	17
58.	3507007042/आईसी/2008167454	31.12.23	15
59.		31.12.23	12
60.		15.01.24	16
61.	3507007042/एलडी/2008139829	01.04.22	9
62.	3507007042/आरसी/2008060507	14.11.21	14
63.		14.11.21	15
64.		28.11.21	11
65.	3507007042/आरसी/2008087167	27.02.23	11

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	कार्य की माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या
66.		11.01.23	9
67.		18.09.23	2
68.		06.10.23	2
ग्राम पंचायत का नाम: मटेना			
69.	3507009080/एलडी/2008194510	25.07.24	6
70.	3507009080/आईएफ़/2008183531	उपलब्ध नहीं है	9
ग्राम पंचायत का नाम: टटीक			
71.	3507009121/आरसी/2008084759	उपलब्ध नहीं है	9

परिशिष्ट-3.4 (ग)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 28)

बेरोजगारी भत्ता प्रदान न किए जाने का विवरण

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार प्रदान करने की तिथि
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद			
ग्राम पंचायत का नाम: फर्त								
1.	3513007020/एलडी/2008064708	12.01.20	50	0	10	1,818		30.01.20
					10	1,819		30.01.20
					10	1,820		30.01.20
2.					01	1,821		30.01.20
3.					02	1,828		30.01.20
4.					07	1,827		13.02.20
5.					10	3,138		05.03.20
6.	3513007020/एलडी/2008064709	12.01.20	56		14	161		01.05.20
7.					14	162		01.05.20
8.					9	163		01.05.20
9.	3513007020/डब्ल्यूसी/2008122549	25.01.23	54	10		3,692		03.02.23
				10		3,692		03.02.23
				02		3,693		03.02.23
					10	3,996		02.03.23
					10	3,997		03.02.23
					5	3,998		03.02.23

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार प्रदान करने की तिथि
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद			
10.	3513007020/आईसी/2008049352	10.01.20	39		6	3,170		05.03.20
					14	719		10.06.20
					14	720		10.06.20
					4	721		10.06.20
11.	3513007020/एलडी/2008147527	30.11.22	14	8		2,868		07.12.22
					8	3,702		03.02.23
12.	3513007020/एलडी/2008147528	25.10.22	16	8		2,354		02.11.22
					8	4,229		19.03.23
ग्राम पंचायत का नाम: खनाना								
13.	3513007062/डब्ल्यूसी/2008131051	05.11.23	14	0	14	2,625		26.11.23
14.	3513007062/डब्ल्यूसी/2008102906	10.03.24	43	0	43	184-188		17.04.24
15.	3513007062/डब्ल्यूसी/2008102909	09.03.24	70	0	70	189-195		18.04.24
16.	3513007062/डीसी/2008133265	05.09.23	1	0	1	2,120		07.10.23
17.	3513007062/एलसी/2008165017	01.12.22	52	19		3,021-3,022		10.12.22
					33	4,257-4,261		20.03.23
18.	3513007062/एलसी/2008115989	12.05.22	8	0	8	1,068		24.06.22
ग्राम पंचायत का नाम: थन्यूल								
19.	3513007085/एलडी/2008103631	17.03.21	15	9		4,649		19.03.21
					6	636		26.07.21

क्र. सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार प्रदान करने की तिथि
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद			
20.	3513007085/एलडी/2008103633	17.03.21	17	8		4,650		21.03.21
					9	638		26.07.21
21.	3513007085/आरसी/2008042042	27.12.19	20		10	1,452		13.01.20
22.	3513007085/डीपी/2008060471	12.09.20	16	02		2,001		15.09.20
23.					14	2,411		09.10.20
ग्राम पंचायत का नाम: अखोड़ी								
24.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008121280	03.12.22	4		4	5,523		31.12.22

परिशिष्ट-3.4 (घ)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5; पृष्ठ 28)

रोजगार की माँग करने वाले मजदूरों का विवरण जिन्हे संबंधित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मस्टर रोल में शामिल नहीं किया

क्र.सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद		
ग्राम पंचायत का नाम: फर्त							
1.	3513007020/आरसी/2008071844	16.07.22	35	28		7	23.07.22
2.	3513007020/डब्ल्यूएच/2008048220	12.04.22	39	18		21	27.04.22
ग्राम पंचायत का नाम: बनचुरी							
3.	3513002195/एलडी/2008065069	12.02.20	24	22		2	22.02.20
4.		10.03.20	38	28		10	12.03.20
5.	3513002195/एलडी/2008087279	26.10.20	45	41		4	04.11.20
6.		28.11.20	42	40		2	
7.		22.01.21	39	35		4	30.01.21
8.	3513002195/एलडी/2008087280	26.10.20	71	69		2	04.11.20
9.		01.12.20	51	46		5	11.12.20
10.		10.01.21	23	21		2	19.01.21
11.	3513002195/डब्ल्यूसी/2008089732	10.04.21	156	149		7	15.04.21
12.		01.07.21	75	68		7	06.07.21
13.		04.10.21	106	98		8	06.10.21
14.		18.11.21	71	57		14	20.11.21
ग्राम पंचायत का नाम: अखोड़ी							
15.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008121281	05.05.23	6	5		1	05.05.23
16.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008071952	15.02.21	15	10		5	18.02.21

क्र.सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद		
17.	3513002004/डब्ल्यूएच/2008043819	12.01.20	13	10		3	17.01.20
18.	3513002004/डब्ल्यूसी/2008128613	20.01.24	19	15		4	20.01.24
ग्राम पंचायत का नाम: मेहरगांव							
19.	3513002103/एलडी/2008051510	10.11.19	13	17			15.11.19
20.		10.11.19	15			11	
21.	3513002103/एलडी/2008069698	19.02.20	40	36		4	03.03.20
ग्राम पंचायत का नाम: धारगांव							
22.	3513002046/एलडी/2008140235	21.11.23	11	10		1	23.11.23
ग्राम पंचायत का नाम: टटीक							
23.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008089222	उपलब्ध नहीं है	6	4		2	16.06.21
24.	3507009121/आरसी/2008084759	उपलब्ध नहीं है	14	13		1	22.11.22
25.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008077699	उपलब्ध नहीं है	13	12		1	09.09.20
26.		उपलब्ध नहीं है	9	7		2	25.11.20
27.	3507009121/एलडी/2008131131	उपलब्ध नहीं है	15	12		3	13.12.21
28.	3507009121/डब्ल्यूसी/2008102466	उपलब्ध नहीं है	12	11		1	16.10.21
ग्राम पंचायत का नाम: ओडला							
29.	3507009085/आरसी/2008071749	06.01.23	11	7		4	07.01.23
30.	3507009085/आईएफ/आईएवाई/42823	05.05.23	3	2		1	06.05.23
ग्राम पंचायत का नाम: मटेना							
31.	3507009080/एलडी/2008090062	उपलब्ध नहीं है	13	12		1	09.11.20
32.	3507009080/आईएफ़/2008183534	उपलब्ध नहीं है	5	4		1	09.07.24
33.	3507009080/आईएफ़/2008183531	उपलब्ध नहीं है	9	7		2	24.07.24

क्र.सं.	कार्य कोड	कार्य की माँग की तिथि	रोजगार माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या	रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या		मस्टर रोल संख्या	रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
				15 दिनों के भीतर	15 दिनों के बाद		
34.	3507009080/एलडी/2008135341	उपलब्ध नहीं है	10	6		4	10.01.22
35.		उपलब्ध नहीं है	11	10		2	28.02.23
36.		04.08.23	15	14		1	08.08.23
37.	3507009080/एलडी/2008122591	उपलब्ध नहीं है	17	16		1	11.04.22
38.	3507009080/डब्ल्यूसी/2008112515	उपलब्ध नहीं है	6	5		1	30.04.22
39.	3507009080/एलडी/2008105988	उपलब्ध नहीं है	10	9		2	16.12.21
40.		उपलब्ध नहीं है	11	0		11	उपलब्ध नहीं है
41.	3507009080/डब्ल्यूसी/2008114539	उपलब्ध नहीं है	7	0		7	उपलब्ध नहीं है
42.		उपलब्ध नहीं है	17	11		6	16.03.23
43.		उपलब्ध नहीं है	11	10		6	16.03.23
ग्राम पंचायत का नाम: कसुन							
44.	3507009057/आरसी/2008084545	उपलब्ध नहीं है	14	13		1	14.10.22
45.	3507009057/आरसी/2008070932	14.06.22	8	4		4	15.06.22
46.	3507009057/आईएफ़/2008166910	09.01.24	3	2		1	10.01.24
ग्राम पंचायत का नाम: जीतप							
47.	3507007042/आईसी/2008167453	05.12.23	18	9		9	06.12.23
48.	3507007042/एलडी/2008165940	18.09.23	2	0	0	2	उपलब्ध नहीं है
ग्राम पंचायत का नाम: बुंगा							
49.	3507007024/डब्ल्यूसी/2008071264	19.01.20	19	18		1	20.01.20
ग्राम पंचायत का नाम: धौलारा							
50.	3507007030/आईएफ़/2008160509	07.02.24	1	उपलब्ध नहीं है		1	-
कुल						***203***	

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.1; पृष्ठ 35)

माँग के बावजूद रोजगार नहीं दिया गया

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	रोजगार की माँग करने वाले व्यक्ति का जाब कार्ड संख्या	मस्टर रोल जारी करने से पूर्व प्रदान किया गया रोजगार (दिनों में)	दिनों की संख्या जिसके लिए म रो जारी किया गया
1	अखोडी	351300/एफपी/2008052532	6241	यूटी-13-002-193-001/50	26	04
2				यूटी-13-002-193-001/66	95	03
3			6240	यूटी-13-002-193-001/16	26	04
4			6239	यूटी-13-002-169-001/51	93	03
5	जीतप	3507007042/आरसी/2008087167	1043	यूटी-07-007-042-001/115	06	07
6	मटेना	3507009080/एलडी/2008122591	5402	यूटी-07-009-080-001/190	84	02
7		3507009080/डब्ल्यूसी/2008112515	2516	यूटी-07-009-080-001/21	30	10
8		3507009080/एलडी/2008090062	3862	यूटी-07-009-080-001/133	93	04
9		3507009080/एलडी/2008135341	5136	यूटी-07-009-080-001/13	78	08
10				यूटी-07-009-080-001/15	0	11
11	दंदेली	3513007075/डीपी/2008060472	3108	यूटी-13-007-075-001/59	12	04
12				यूटी-13-007-075-001/63	12	04
13				यूटी-13-007-075-003/119	18	03
14				यूटी-13-007-075-003/116	12	03
15			3107	यूटी-13-007-075-001/27	24	03
16				यूटी-13-007-075-001/149	12	03
17			3410	यूटी-13-007-075-001/54	24	03
18				यूटी-13-007-075-001/46	30	04
19				यूटी-13-007-075-001/46	12	03
20				यूटी-13-007-075-001/27	25	04

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	रोजगार की माँग करने वाले व्यक्ति का जाब कार्ड संख्या	मस्टर रोल जारी करने से पूर्व प्रदान किया गया रोजगार (दिनों में)	दिनों की संख्या जिसके लिए म रो जारी किया गया
21				यूटी-13-007-075-001/49	24	03
22				यूटी-13-007-075-001/2923	18	03
23				यूटी-13-007-075-001/149	15	04
24			3411	यूटी-13-007-075-001/59	16	03
25				यूटी-13-007-075-001/63	16	03
26				यूटी-13-007-075-001/58	30	03
27				यूटी-13-007-075-003/119	21	04
28				यूटी-13-007-075-003/116	15	03
29				यूटी-13-007-075-001/67	24	03
30		3513007075/आरसी/2008050564	2813	यूटी-13-007-075-001/139	0	07
31				यूटी-13-007-075-001/142	0	07
32				यूटी-13-007-075-001/154	0	10
33				यूटी-13-007-075-001/136	0	07
34			2814	यूटी-13-007-075-001/2922	0	05
35				यूटी-13-007-075-001/19	0	03
36				यूटी-13-007-075-001/22	0	07
37				यूटी-13-007-075-001/135	0	07
38				यूटी-13-007-075-001/2854	0	19
39			2815	यूटी-13-007-075-001/15	0	06
40				यूटी-13-007-075-001/37	0	12
41				यूटी-13-007-075-003/122	0	07
42				यूटी-13-007-075-003/132	0	07
43				यूटी-13-007-075-001/08	0	07

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	रोजगार की माँग करने वाले व्यक्ति का जाब कार्ड संख्या	मस्टर रोल जारी करने से पूर्व प्रदान किया गया रोजगार (दिनों में)	दिनों की संख्या जिसके लिए म रो जारी किया गया
44				यूटी-13-007-075-001/44	0	09
45				यूटी-13-007-075-003/129	0	11
46			2816	यूटी-13-007-075-003/138	0	10
47		3513007075/आरसी/2008050564	3283	यूटी-13-007-075-001/139	18	04
48				यूटी-13-007-075-001/142	18	04
49				यूटी-13-007-075-001/154	09	04
50				यूटी-13-007-075-001/136	06	04
51			3284	यूटी-13-007-075-001/2922	05	03
52				यूटी-13-007-075-001/34	12	07
53				यूटी-13-007-075-001/36	12	04
54				यूटी-13-007-075-001/44	08	03
55				यूटी-13-007-075-001/2854	09	03
56				यूटी-13-007-075-001/43	12	07
57	बनचुरी	3513002195/डब्ल्यूसी/2008089732	3960	यूटी-13-002-195-001/136	90	08
58			6804	यूटी-13-002-195-001/17	93	06
59		3513002195/आरसी/2008079195	1666	यूटी-13-002-195-001/117	0	07
60				यूटी-13-002-195-001/49	0	03
61		3513002195/आरसी/2008086782	3779	यूटी-13-002-195-001/55	97	02
62				यूटी-13-002-195-001/107	85	02
63	धारगांव	3513002046/आरसी/2008049642	6127	यूटी-13-002-046-001/50	82	10
64				यूटी-13-002-046-001/278	82	10
65			6126	यूटी-13-002-046-001/218	82	10

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	रोजगार की माँग करने वाले व्यक्ति का जाब कार्ड संख्या	मस्टर रोल जारी करने से पूर्व प्रदान किया गया रोजगार (दिनों में)	दिनों की संख्या जिसके लिए म रो जारी किया गया
66				यूटी-13-002-046-001/45	85	14
67		3513002/एफपी/2008058549	6230	यूटी-13-002-046-001/67	97	2
68			6914	यूटी-13-002-046-001/246	81	5
69				टी-13-002-046-001/25	96	4
70				यूटी-13-002-046-001/218	79	5
71				यूटी-13-002-046-001/241	67	5
72				यूटी-13-002-046-001/217	39	5
73		3513002046/आरसी/2008077426	3351	यूटी-13-002-046-001/209	38	6
74		3513002046/डब्ल्यूसी/2008120493	3423	यूटी-13-002-046-001/44	96	4
75				यूटी-13-002-046-001/68	82	13
76				यूटी-13-002-046-001/72	68	6
77			4923	यूटी-13-002-046-001/104	90	9
78				यूटी-13-002-046-001/85	91	8
79				यूटी-13-002-046-001/192	90	9
80			5366	यूटी-13-002-046-001/199	93	6
81				यूटी-13-002-046-001/93	92	7
82		3513002046/एलडी/2008140235	6017	यूटी-13-002-046-001/283	91	8
83			5413	यूटी-13-002-046-001/12	98	1
84			4954	यूटी-13-002-046-001/121	86	10
85			4608	यूटी-13-002-046-001/122	91	8
86			3908	यूटी-13-002-046-001/173	87	10

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3; पृष्ठ 37)

सृजित कुल रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वर्ष	वर्ष के दौरान सृजित कुल मानव दिवस	वर्ष के दौरान सृजित रोजगार में महिला श्रम दिवस	सृजित कुल मानव दिवसों में से महिला मानव दिवसों का प्रतिनिधित्व (*प्रतिशत में*)
			(आँकड़े लाख में)
राज्य स्तर			
2019-20	206.10	116.71	57
2020-21	303.60	167.39	55
2021-22	243.18	134.98	56
2022-23	206.46	117.18	57
2023-24	196.92	111.95	57
योग	***1156.26***	***648.21***	***56***
चयनित जनपद: अल्मोड़ा			
2019-20	10.56	5.97	57
2020-21	20.88	11.11	53
2021-22	16.95	9.36	55
2022-23	13.98	7.73	55
2023-24	9.80	5.57	57
योग	***72.17***	***39.74***	***55***
चयनित जनपद: टिहरी गढ़वाल			
2019-20	28.49	20.87	73
2020-21	47.77	33.72	71
2021-22	33.16	23.66	71
2022-23	29.91	21.89	73
2023-24	30.19	22.32	74

वर्ष	वर्ष के दौरान सृजित कुल मानव दिवस	वर्ष के दौरान सृजित रोजगार में महिला श्रम दिवस	सृजित कुल मानव दिवसों में से महिला मानव दिवसों का प्रतिनिधित्व (*प्रतिशत में*)
योग	***169.52***	***122.46***	***72***
चयनित विकास खण्ड: भिलंगना			
2019-20	5.12	3.98	78
2020-21	8.33	6.07	73
2021-22	5.76	4.22	73
2022-23	4.62	3.54	77
2023-24	4.82	3.75	78
योग	***28.65***	***21.56***	***75***
चयनित विकास खण्ड: नरेंद्र नगर			
2019-20	2.30	1.49	65
2020-21	3.76	2.33	62
2021-22	2.49	1.58	63
2022-23	2.31	1.49	65
2023-24	2.13	1.38	65
योग	***12.99***	***8.27***	***64***
चयनित विकास खण्ड: हवालबाग			
2019-20	1.37	0.61	45
2020-21	2.61	1.15	44
2021-22	1.85	0.88	48
2022-23	1.52	0.75	**49**
2023-24	1.20	0.63	53
योग	***8.55***	***4.02***	***47***
चयनित विकास खण्ड: ताकुला			
2019-20	0.88	0.48	55

वर्ष	वर्ष के दौरान सृजित कुल मानव दिवस	वर्ष के दौरान सृजित रोजगार में महिला श्रम दिवस	सृजित कुल मानव दिवसों में से महिला मानव दिवसों का प्रतिनिधित्व (*प्रतिशत में*)
2020-21	1.44	0.75	52
2021-22	1.02	0.57	56
2022-23	0.90	0.51	57
2023-24	0.71	0.42	**59**
योग	***4.95***	***2.73***	***55***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: प्रस्तर 4.4; पृष्ठ 38)

राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए रोजगार सृजन

वर्ष	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान कार्य	प्रतिशतता
2019-20	4,657	1,506	32
2020-21	5,223	2,085	40
2021-22	5,230	1,783	34
2022-23	3,558	1,487	42
2023-24	3,434	1,442	42

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-4.3 (क)

(संदर्भ: प्रस्तर 4.4; पृष्ठ 38)

नमूना जाँच जिलों में दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार

वर्ष	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशतता	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशतता
	अल्मोड़ा			टिहरी गढ़वाल		
2019-20	297	48	16	505	154	30
2020-21	310	92	30	515	247	48
2021-22	320	90	28	528	184	35
2022-23	224	92	41	364	159	44
2023-24	218	66	30	323	143	44

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-4.3 (ख)

(संदर्भ: प्रस्तर 4.4; पृष्ठ 38)

नमूना जाँच विकास खण्डों में दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया रोजगार

वर्ष	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशतता	पंजीकृत दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशतता
	विकास खण्ड- हवलबाग			विकास खण्ड- ताकुला		
2019-20	20	1	5	14	02	14
2020-21	27	4	15	14	06	43
2021-22	27	9	33	18	05	28
2022-23	14	7	50	12	07	58
2023-24	13	4	31	12	02	17
योग	***101***	***25***	***25***	***70***	***22***	***31***
	विकास खण्ड- भिलंगना			विकास खण्ड- नरेंद्र नगर		
2019-20	99	24	24	128	41	32
2020-21	107	42	39	128	70	55
2021-22	109	39	36	132	41	31
2022-23	81	30	37	85	43	51
2023-24	70	25	36	77	36	47
योग	***466***	***160***	***34***	***550***	***231***	***42***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1; पृष्ठ 42)

चयनित जनपदों में कार्यों की निष्पादन स्थिति

वर्ष	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या (*प्रतिशत* में)	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण / निलंबित कार्यों की संख्या (*प्रतिशत* में)	अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रारंभ न किए गए कार्यों की संख्या (*प्रतिशत* में)
						(₹ करोड़ में)
जनपद का नाम: अल्मोड़ा						
2019-20	7,679	2,598 (34)	30.85	3,036 (40)	0.47	2,045 (27)
2020-21	11,358	2,523 (22)	56.79	6,085 (54)	1.36	2,750 (24)
2021-22	16,066	3,003 (19)	42.80	8,383 (52)	2.28	4,680 (29)
2022-23	21,112	5,502 (26)	57.12	9,401 (45)	7.15	6,209 (29)
2023-24	23,700	6,684 (28)	27.74	8,675 (37)	14.79	8,341 (35)
योग	***79,915***	***20,310*** *(25)*	***215.30***	***35,580*** *(45)*	***26.05***	***24,025*** *(30)*
जनपद का नाम: टिहरी गढ़वाल						
2019-20	10,130	2,610	74.24	4,956 (49)	1.86	2,564(26)
2020-21	15,342	3,504	124.36	7,731 (50)	4.55	4,107(27)
2021-22	19,557	2,916	83.00	10,580 (54)	3.39	6,061(31)
2022-23	23,851	6,621	110.60	9,354 (39)	10.60	7,876(33)
2023-24	27,528	5,067	71.52	11,471 (42)	38.81	10,990(40)
योग	***96,408***	***20,718***	***463.72***	***44,092 (46)***	***59.21***	***31,598(33)***
कुल योग	***1,76,323***	***41,028***	***679.02***	***79,672 (45)***	***85.26***	***55,623(32)***

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1; पृष्ठ 42)

चयनित विकास खण्ड स्तर पर कार्यों की निष्पादन स्थिति

वर्ष	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय	अपूर्ण / निलंबित कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय	प्रारंभ न किए गए कार्यों की संख्या
						(₹ लाख में)
विकास खण्ड का नाम: हवालबाग						
2019-20	797	263	424.01	371	7.38	163
2020-21	1,225	302	803.72	662	7.69	261
2021-22	1,689	264	463.88	937	15.61	488
2022-23	2,129	642	797.91	769	56.71	718
2023-24	2,453	750	464.37	733	158.45	970
योग	***8,293***	***2,221***	***2,953.89***	***3472***	***245.84***	***2,600***
विकास खण्ड का नाम: ताकुला						
2019-20	682	238	**208.40**	**273**	**4.93**	**171**
2020-21	885	203	**370.77**	**450**	**4.71**	**232**
2021-22	1,203	214	**257.98**	**640**	**8.16**	**349**
2022-23	1,520	378	**366.22**	**680**	**44.25**	**462**
2023-24	1,909	541	**202.57**	**710**	**87.35**	**658**
योग	***6,199***	***1,574***	***1,405.94***	***2,753***	***149.40***	***1,872***
विकास खण्ड का नाम: भिलंगना						
2019-20	1,530	280	1,451.79	890	45.79	360
2020-21	2,032	330	2,339.15	1,166	79.30	536
2021-22	2,742	503	1,538.71	1,420	82.85	819
2022-23	3,109	809	1,694.64	1,206	256.60	1,094

वर्ष	निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय	अपूर्ण / निलंबित कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय	प्रारंभ न किए गए कार्यों की संख्या
2023-24	3,400	511	1,040.63	1,320	714.27	1,569
योग	**12,813**	**2,433**	**8,064.92**	**6,002**	**1,178.81**	**4,378**
विकास खण्ड का नाम: नरेंद्र नगर						
2019-20	769	106	455.03	470	8.63	193
2020-21	1,519	450	906.80	660	3.95	409
2021-22	2,249	324	563.08	1051	5.00	874
2022-23	2,629	645	740.40	859	38.58	1,125
2023-24	2,837	532	436.16	836	244.70	1,469
योग	***10,003***	***2,057***	***3,101.47***	***3,876***	***300.86***	***4,070***
कुल योग	***37,308***	***8,285***	***15,526.22***	***16,103***	***1,874.91***	***12,920***

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1; पृष्ठ 43)

चयनित ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निष्पादन स्थिति

ग्रा पं का नाम	वर्ष	जिन कार्यों के लिए कार्य कोड तैयार किया गया है उनकी संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण / गतिमान कार्यों की संख्या	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
कसुन	2019-20	12	09	0	03
	2020-21	20	06	0	14
	2021-22	30	21	0	09
	2022-23	20	11	0	09
	2023-24	20	03	07	10
मटेना	2019-20	15	11	0	04
	2020-21	43	23	0	20
	2021-22	31	08	01	22
	2022-23	26	06	04	16
	2023-24	24	02	04	18
ओडला	2019-20	04	01	0	03
	2020-21	03	02	0	01
	2021-22	02	01	0	01
	2022-23	02	01	0	01
	2023-24	04	02	01	01
टटीक	2019-20	06	02	0	04
	2020-21	06	03	0	03
	2021-22	09	04	01	04
	2022-23	03	0	02	01
	2023-24	07	01	01	05

ग्रा पं का नाम	वर्ष	जिन कार्यों के लिए कार्य कोड तैयार किया गया है उनकी संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण / गतिमान कार्यों की संख्या	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
बुंगा	2019-20	07	04	0	03
	2020-21	15	10	0	05
	2021-22	09	05	01	03
	2022-23	01	01	0	0
	2023-24	13	04	0	09
धौलारा	2019-20	07	05	0	02
	2020-21	27	12	0	15
	2021-22	12	12	0	0
	2022-23	10	07	01	02
	2023-24	17	06	05	06
इसलना	2019-20	04	02	0	02
	2020-21	09	03	0	06
	2021-22	13	06	0	07
	2022-23	05	04	0	01
	2023-24	07	02	05	0
जीतप	2019-20	08	04	0	04
	2020-21	12	09	0	03
	2021-22	23	17	0	06
	2022-23	17	12	0	05
	2023-24	23	12	08	03
अखोडी	2019-20	04	02	0	02
	2020-21	14	04	0	10
	2021-22	16	01	0	15

ग्रा पं का नाम	वर्ष	जिन कार्यों के लिए कार्य कोड तैयार किया गया है उनकी संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण / गतिमान कार्यों की संख्या	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
	2022-23	11	01	02	08
	2023-24	33	02	02	29
बनचुरी	2019-20	07	03	0	04
	2020-21	08	04	0	04
	2021-22	06	05	0	01
	2022-23	08	02	01	05
	2023-24	06	02	01	03
धारगांव	2019-20	13	05	0	08
	2020-21	14	08	0	06
	2021-22	28	05	0	23
	2022-23	20	09	0	11
	2023-24	25	04	05	16
मेहरगाँव	2019-20	09	06	0	03
	2020-21	07	04	0	03
	2021-22	10	04	0	06
	2022-23	19	01	02	16
	2023-24	15	01	03	11
दंदेली	2019-20	05	02	0	03
	2020-21	07	06	0	01
	2021-22	07	02	0	05
	2022-23	09	02	02	05
	2023-24	07	02	04	01
खनाना	2019-20	06	03	0	03

ग्रा पं का नाम	वर्ष	जिन कार्यों के लिए कार्य कोड तैयार किया गया है उनकी संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण / गतिमान कार्यों की संख्या	शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या
	2020-21	08	03	0	05
	2021-22	05	03	0	02
	2022-23	04	01	02	01
	2023-24	07	02	03	02
फर्त	2019-20	06	05	0	01
	2020-21	10	05	0	05
	2021-22	13	02	0	11
	2022-23	07	05	0	02
	2023-24	08	03	02	03
थन्यूल	2019-20	03	01	0	02
	2020-21	07	04	0	03
	2021-22	03	0	0	03
	2022-23	04	01	0	03
	2023-24	05	01	0	04
योग		***930***	***380***	***70***	***480***

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: प्रस्तर 5.7; पृष्ठ 60)

रॉयल्टी की कटौती न किया जाना

क्र. सं.	ग्रा पं का नाम	कार्य का नाम	कार्य कोड	एम बी के अनुसार कटौती की जाने वाली रॉयल्टी
1	अखोड़ी	चैक डैम निर्माण	3513002004/WC/2008121280	30,250.22
2		चैक डैम निर्माण	3513002004/WC/2008121281	17,548.00
3		चैक डैम निर्माण	3513002004/WC/2008121287	28,066.50
4		भूमि सुधार	3513002004/WC/2008111695	13,154.68
5		चहल निर्माण	3513002004/WH/2008043819	9,333.00
6		सीसी मार्ग निर्माण	3513002004/RC/2008089937	39,508.00
7	बनचुरी	भूमि सुधार	3513002195/LD/2008111042	19,357.80
8		भूमि सुधार	3513002195/LD/2008065069	30,086.00
9		सीसी मार्ग	3513002195/RC/2008086782	30,605.96
10		भूमि सुधार	3513002195/LD/2008087279	30,330.30
11		भूमि सुधार	3513002195/LD/2008087280	32,875.92
12		सीसी मार्ग	3513002195/RC/2008079195	26,411.00
13		सीसी मार्ग	3513002195/RC/2008079196	14,791.70
14		सीसी मार्ग	3513002195/RC/2008079197	16,402.54
15	दंदेली	भूमि सुधार	3513007075/LD/2008181899	11,306.82
16	धारगाँव	गूल निर्माण कार्य	3513002046/IC/2008047237	25,029.00
17		बाढ़ सुरक्षा कार्य	3513002/FP/2008048549	36,960.00
18		चैक डैम निर्माण	3513002046/WC/2008120493	18,480.00
19		बाढ़ सुरक्षा कार्य	3513002046/FP/2008048664	59,698.00
20	मेहरगाँव	भूमि सुधार	3513002103/LD/2008109982	11,474.54
21		भूमि सुधार	3513002103/LD/2008051510	14,784.00
22		भूमि सुधार	3513002103/LD/2008135879	3,277.12
23		भूमि सुधार	3513002103/LD/2008145728	25,718.00
24		सीसी मार्ग निर्माण	3513002103/RC/2008087252	7,392.00

क्र. सं.	ग्रा पं का नाम	कार्य का नाम	कार्य कोड	एम बी के अनुसार कटौती की जाने वाली रॉयल्टी
25		भूमि सुधार	3513002103/LD/2008138008	43,274.00
26		चैक डैम	3513002103/LD/2008158106	7,963.39
27		गूल निर्माण कार्य	3513002103/IC/2008047400	6,237.00
28		भूमि सुधार	3513002103/LD/2008109980	14,519.00
29		चारदीवारी	3513002103/LD/2008069698	13,558.16
योग				***6,38,392.65***

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: प्रस्तर 5.8; पृष्ठ 61)

मस्टर रोल में उपस्थिति में विसंगतियों के कारण मजदूरों को कम भुगतान किये जाने का विवरण

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	परिणाम	श्रमिक	कुल दिवस	मजदूरी दर	आपत्ति की धनराशि
1	अखोड़ी	3513002/FP/2008052532	4629	सहदेई की 11 दिनों कि उपस्थिति को काटकर और उसे "शून्य" के रूप में चिह्नित करके कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	11	201	2,211
2		3513002004/RC/2008048474	658	शेर सिंह की 14 दिनों कि उपस्थिति रद्द की गयी एवं कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	14	204	2,856
3		3513002004/RC/2008048474	659	बुद्धि सिंह और करिश्मा देवी की 14-14 दिनों की उपस्थिति काटी गई एवं कोई भुगतान नहीं किया गया।	2	28	204	5,712
4		3513002/FP/2008052532	5756	उत्तम सिंह की 14 दिन कि उपस्थिति को काट दिया गया तथा उसे "शून्य" अंकित कर दिया गया एवं कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	14	201	2,814
5		3513002/FP/2008052532	5757	जमना देवी की 14 दिन कि उपस्थिति को काटकर उसे "शून्य" अंकित कर कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	14	201	2,814
6	बनचुरी	3513002195/WC/2008089732	228	सुशीला देवी द्वारा 10 दिन कार्य किया गया है लेकिन नरेगा सॉफ्ट में उन्हें सभी दिन अनुपस्थित दिखाया गया और कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	10	204	2,040
7		3513002195/WC/2008089732	830	साब सिंह की 14 दिन कि उपस्थिति रद्द कर दी गई एवं टिप्पणी की गई है कि *"बैंक खाता उपलब्ध न होने के कारण उपस्थिति शून्य कर दी गयी"* तथा कोई भुगतान नहीं किया गया है।	1	14	204	2,856
8		3513002195/LD/2008087279	6915	शंकर सिंह की 14 दिन कि उपस्थिति रद्द कर दी गई है, तथा टिप्पणी की गई है कि *"बैंक खाता उपलब्ध न होने के कारण उपस्थिति शून्य हो गई, कोई भुगतान नहीं किया गया है।"*	1	14	201	2,814

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल संख्या	परिणाम	श्रमिक	कुल दिवस	मजदूरी दर	आपत्ति की धनराशि
9	इसलना	3507007034/DP/2008057933	327	गिरीश चंद्र पंत द्वारा 12 दिन कार्य किया गया है, लेकिन नरेगासॉफ्ट में उन्हें सभी दिन अनुपस्थित दिखाया गया एवं कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	12	201	2,412
10		3507007034/DP/2008057933	972	कुंती देवी की 12 दिन की उपस्थिति काट दी गई एवं कोई भुगतान नहीं किया गया।	1	12	182	2,184
11	मटेना	3507009080/WC/2008112515	581	एम आई एस में एम आर अपलोड नहीं किया गया, इसलिए कोई भुगतान नहीं किया गया। दिनों की गलत गणना एवं गलत उपस्थिति दर्ज की गई ।	3	27	230	6,210
12		3507009080/IF/2008183534	1016	चार श्रमिकों का एक दिन का वेतन काटा गया	4	4	237	948
13		3507009080/LD/2008135341	2525	मुकेश कुमार के 12 दिनों की उपस्थिति में से पांच दिन ओवर राइटिंग करके अनुपस्थित दिखाया गया तथा केवल सात दिनों का भुगतान किया गया।	1	5	213	1,065
14		3507009080/WC/2008112515	3865	पांच श्रमिकों की चार दिन की उपस्थिति काट दी गई एवं उसका कोई भुगतान नहीं किया गया ।	5	20	213	4,260
15	ओडला	3507009085/WC/2008066065	2986	दो श्रमिकों के एक दिन के श्रम को ओवरराइटिंग कर अनुपस्थित दर्शाया गया है।	2	2	182	364
16	टटीक	3507009121/LD/2008131131	3914	जगदीश लाल की 12 दिन की उपस्थिति रद्द कर दी गई एवं कोई भुगतान नहीं किया गया है।	1	12	204	2,448
17		3507009121/WC/2008102466	5424	विशन सिंह द्वारा 10 दिन काम किया गया लेकिन केवल 09 दिनों का भुगतान किया गया।	1	1	219	219
18	थन्यूल	3513007085/DP/2008060471	2412	युद्धबीर की दस दिन की उपस्थिति को ओवरराइटिंग करके अनुपस्थिति में बदल दिया गया एवं कोई भुगतान नहीं किया गया है।	1	10	201	2,010
योग					***29***	***224***		***46,237***

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: प्रस्तर 5.8; पृष्ठ 61)

पत्रावली में मूल म रो का न पाया जाना

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	म रो सं.	मजदूरी दर	मजदूरों की सं.	म रो के कुल दिवस	भुगतान की गयी मजदूरी की धनराशि
1	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	424	213	2	4	852
2		3513002004/DP/2008061872	2,185	213	3	18	3,834
3	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	72	204	5	30	6,120
4	धौलारा	3507007030/IF/2008160509	2,314	230	1	1	230
5	इसलना	3507007034/DP/2008056794	844	182	11	55	10,010
6	जीतप	3507007042/LD/2008139829	2,045	204	2	24	4,896
7		3507007042/RC/2008060507	1,217	204	14	168	34,272
8	मटेना	3507009080/IF/2008157109	1,386	230	2	20	4,600
9		3507009080/IF/2008183531	2,259	237	6	50	11,850
10	मेहरगाँव	3513002103/IC/2008047400	4,608	182	10	140	25,480
11		3513002103/IC/2008047400	4,609	182	9	126	22,932
12		3513002103/LD/2008051510	3,018	182	9	126	22,932
13		3513002103/LD/2008145728	3,724	213	9	117	24,921
योग					***83***	***879***	***1,72,929***

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भ: प्रस्तर 5.8; पृष्ठ 62)

संदिग्ध उपस्थिति

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल के प्रारंभ/समापन की तिथि	मस्टर रोल सं.	मस्टर रोल प्रिंट करने की तिथि	मजदूरी दर	सम्मलित व्यक्तियों की संख	संदिग्ध उपस्थिति (मानव दिवस में)	कुल भुगतान
1	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	02-02-21 to 17-02-21	9,158	11-02-21	201	8	72	14,472
2			02-02-21 to 17-02-21	9,159	11-02-21	201	6	48	9,648
3		3513002004/WC/2008071952	02-07-20 to 17-07-20	2,227	10-07-20	201	10	70	14,070
4			02-07-20 to 17-07-20	2,228	10-07-20	201	5	35	7,035
5		3513002/FP/2008052532	16-09-20 to 01-10-20	4,629	21-09-20	201	7	7	1,407
6			16-09-20 to 01-10-20	4,630	21-09-20	201	4	4	804
7	दंदेली	3513007075/IF/IAY/52754	13-10-23 to 28-10-23	2,207	02-11-23	230	2	28	6,440
8		3513007075/RC/2008042853	13-03-20 to 19-03-20	3,375	19-03-20	182	1	6	1,092
9			13-03-20 to 19-03-20	3,374	19-03-20	182	10	60	10,920
10		3513007075/WC/2008065671	13-01-20 to 26-01-20	1,443	16-01-20	182	7	21	3,822
11			13-01-20 to 26-01-20	1,444	16-01-20	182	6	18	3,276
12			13-01-20 to 26-01-20	1,445	16-01-20	182	4	12	2,184
13			05-02-20 to 18-02-20	2,123	18-02-20	182	4	33	6,006
14		3513007075/LD/2008116142	02-07-22 to 15-07-22	1,139	16-07-22	213	10	120	25,560
15			02-07-22 to 15-07-22	1,140	16-07-22	213	10	42	8,946
16		3513007075/WC/2008087161	24-04-21 to 30-04-21	71	28-04-21	204	5	20	4,080
17		3513007075/FP/2008068498	09-12-22 to 15-12-22	2,944	12-12-22	213	10	30	6,390
18			09-12-22 to 15-12-22	2,945	12-12-22	213	9	27	5,751

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल के प्रारंभ/समापन की तिथि	मस्टर रोल सं.	मस्टर रोल प्रिंट करने की तिथि	मजदूरी दर	सम्मलित व्यक्तियों की संख	संदिग्ध उपस्थिति (मानव दिवस में)	कुल भुगतान
19	धारगाँव	3513002046/RC/2008077426	27-07-22 to 11-08-22	2,488	30-07-22	213	8	24	5,112
20			20-06-22 to 05-07-22	1,907	06-07-22	213	4	56	11,928
21		3513002046/RC/2008049642	10-09-20 to 25-09-20	4,259	15-09-20	201	5	25	5,025
22			10-09-20 to 25-09-20	4,258	15-09-20	201	10	50	10,050
23			10-09-20 to 25-09-20	4,257	15-09-20	201	10	50	10,050
24			10-09-20 to 25-09-20	4,256	15-09-20	201	10	50	10,050
25		3513002/FP/2008058549	09-12-21 to 24-12-21	4,380	10-12-21	204	3	3	612
26			09-12-21 to 24-12-21	4,379	10-12-21	204	10	10	2,040
27			09-12-21 to 24-12-21	4,378	10-12-21	204	10	10	2,040
28	खनाना	3513007062/LD/2008165017	10-12-22 to 22-12-22	3,021	16-12-22	213	10	60	12,780
29			10-12-22 to 22-12-22	3,022	16-12-22	213	9	54	11,502
30			23-04-23 to 06-05-23	253	27-04-23	230	5	20	4,600
31			23-04-23 to 06-05-23	252	27-04-23	230	10	40	9,200
32			23-04-23 to 06-05-23	251	27-04-23	230	10	40	9,200
33			23-04-23 to 06-05-23	250	27-04-23	230	10	40	9,200
34			23-04-23 to 06-05-23	249	27-04-23	230	10	40	9,200
35			23-04-23 to 06-05-23	248	27-04-23	230	9	36	8,280
36		3513007062/LC/2008115989	19-09-22 to 25-09-22	2,028	28-09-22	213	10	58	12,354
37			19-09-22 to 25-09-22	2,029	28-09-22	213	6	34	7,242
38			15-12-22 to 27-12-22	3,138	16-12-22	213	10	10	2,130
39			15-12-22 to 27-12-22	3,139	16-12-22	213	9	9	1,917
40			15-05-23 to 27-05-23	550	19-05-23	230	10	40	9,200

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल के प्रारंभ/समापन की तिथि	मस्टर रोल सं.	मस्टर रोल प्रिंट करने की तिथि	मजदूरी दर	सम्मलित व्यक्तियों की संख	संदिग्ध उपस्थिति (मानव दिवस में)	कुल भुगतान
41			15-05-23 to 27-05-23	551	19-05-23	230	10	40	9,200
42			15-05-23 to 27-05-23	552	19-05-23	230	10	40	9,200
43			15-05-23 to 27-05-23	561	19-05-23	230	3	9	2,070
44		3513007062/WC/2008119739	10-12-22 to 22-12-22	3,023	16-12-22	213	10	60	12,780
45			10-12-22 to 22-12-22	3,024	16-12-22	213	8	48	10,224
46		3513002103/LD/2008138008	19-09-22 to 04-10-22	3,267	20-09-22	213	9	9	1,917
47			19-09-22 to 04-10-22	3,266	20-09-22	213	10	10	2,130
48			29-12-22 to 13-01-23	5,353	09-01-23	213	8	80	17,040
49			29-12-22 to 13-01-23	5,352	09-01-23	213	10	100	21,300
50		3513002103/LD/2008109980	19-08-21 to 03-09-21	2,356	03-09-21	204	5	65	13,260
51			19-08-21 to 03-09-21	2,355	03-09-21	204	2	26	5,304
52			19-08-21 to 03-09-21	2,354	03-09-21	204	8	104	21,216
53	मेहरगाँव		19-08-21 to 03-09-21	2,353	03-09-21	204	7	91	18,564
54			19-08-21 to 03-09-21	2,352	03-09-21	204	7	91	18,564
55			19-08-21 to 03-09-21	2,351	03-09-21	204	5	65	13,260
56			19-08-21 to 03-09-21	2,350	03-09-21	204	6	78	15,912
57		3513002103/LD/2008069698	30-04-20 to 15-05-20	93	05-05-20	201	5	25	5,025
58			30-04-20 to 15-05-20	94	05-05-20	201	5	25	5,025
59			30-04-20 to 15-05-20	95	05-05-20	201	7	35	7,035
60			30-04-20 to 15-05-20	96	05-05-20	291	4	20	5,820

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	मस्टर रोल के प्रारंभ/समापन की तिथि	मस्टर रोल सं.	मस्टर रोल प्रिंट करने की तिथि	मजदूरी दर	सम्मलित व्यक्तियों की संख	संदिग्ध उपस्थिति (मानव दिवस में)	कुल भुगतान
61	थन्यूल	3513007085/LD/2008103633	21-03-21 to 29-03-21	4,650	25-03-21	201	8	32	6,432
62			19-09-22 to 25-09-22	1,994	26-09-22	213	8	48	10,224
63		3513007085/LD/2008103631	19-03-21 to 29-03-21	4,649	25-03-21	201	8	36	7,236
64		3513007085/RC/2008042042	13-10-20 to 25-01-20	1,452	16-01-20	182	7	21	3,822
65			22-02-20 to 28-02-20	2,749	25-02-20	182	5	15	2,730
66			22-02-20 to 28-02-20	2,750	25-02-20	182	8	24	4,368
योग							***489***	***2,609***	***5,45,273***

परिशिष्ट-5.8

(संदर्भ: प्रस्तर 5.8; पृष्ठ 62)

कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए विलंबित भुगतान

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	म रो सं.	एफ टी ओ सं.	म रो के अंतिम दिन की तिथि	एफ टी ओ तिथि	बैंक खाते में जमा करने की तिथि	एफ टी ओ जेनेरेट करने में लगने वाले दिन	बैंक खाते में जमा करने में देरी	व्यक्तियों की संख्या
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आइ=जी-एफ़	जे=एच-एफ़-15	के
1	अखोड़ी	3513002/FP/2008052532	6715	UT3513002_090221FTO_178647	07-12-20	09-02-21	28-06-21	64	188	5
2	अखोड़ी	3513002/FP/2008052532	6714	UT3513002_090221FTO_178647	07-12-20	09-02-21	28-06-21	64	188	5
3	बनचुरी	3513002195/LD/2008065069	7178	UT3513002_220520FTO_18011	27-03-20	22-05-20	29-05-20	56	48	5
4	बूंगा	3507007024/IF/2008108015	1951	0121EATPAYREQ1801202435260	12-01-24	18-01-24	11-03-24	6	44	1
5	बूंगा	3507007024/LD/2008138436	2772	0121EATPAYREQ2903202335556	28-03-23	29-03-23	03-06-23	1	52	1
6	बूंगा	3507007024/LD/2008087698	1314	UT3507007_061020FTO_104090	02-10-20	06-10-20	11-02-21	4	117	1
7	धारगाँव	3513002046/IC/2008047237	6322	UT3513002_150520FTO_13284	28-03-20	15-05-20	29-05-20	48	47	1
8	धारगाँव	3513002046/IC/2008047237	6321	UT3513002_150520FTO_13284	12-03-20	15-05-20	29-05-20	64	63	1
9	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	8218	UT3513002_040221FTO_174009	29-01-21	04-02-21	28-06-21	6	135	2
10	धारगाँव	3513002046/RC/2008077426	3355	0121EATPAYREQ0205202335201	06-10-22	02-05-23	03-05-23	208	194	2
11	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	6129	UT3513002_040221FTO_174009	18-11-20	04-02-21	28-06-21	78	207	2
12	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	5352	UT3513002_040221FTO_174009	29-10-20	04-02-21	28-06-21	98	227	2
13	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	5001	UT3513002_040221FTO_174009	13-10-20	04-02-21	28-06-21	114	243	2
14	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	1760	0121EATPAYREQ2308202335150	30-06-22	23-08-23	28-08-23	419	409	1
15	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	1280	0121EATPAYREQ2308202335150	07-06-22	23-08-23	28-08-23	442	432	1
16	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	879	0121EATPAYREQ2308202335150	19-05-22	23-08-23	28-08-23	461	451	1
17	धारगाँव	3513002046/FP/2008048664	6658	0121EATPAYREQ1107202235835	05-12-20	11-07-22	12-07-22	583	569	1

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	म रो सं.	एफ टी ओ सं.	म रो के अंतिम दिन की तिथि	एफ टी ओ तिथि	बैंक खाते में जमा करने की तिथि	एफ टी ओ जेनेरेट करने में लगने वाले दिन	बैंक खाते में जमा करने में देरी	व्यक्तियों की संख्या
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आइ=जी-एफ़	जे=एच-एफ़-15	के
18	धौलारा	3507007030/IC/2008095174	297	0121EATPAYREQ1807202235647	27-04-22	18-07-22	19-07-22	82	68	1
19	धौलारा	3507007030/IC/2008095174	296	0121EATPAYREQ1807202235650	20-04-22	18-07-22	19-07-22	89	75	3
20	धौलारा	3507007030/IF/2008091261	797	0121EATPAYREQ1807202235606	05-09-21	18-07-22	19-07-22	316	302	1
21	धौलारा	3507007030/IF/2008137119	10	0121EATPAYREQ150920233523	16-04-22	15-09-23	06-10-23	517	523	1
22	जीतप	3507007042/LD/2008165940	2082	0121EATPAYREQ2802202335106	24-01-23	28-02-23	14-03-23	34	33	2
23	जीतप	3507007042/RC/2008087167	2085	0121EATPAYREQ2802202335102	25-01-23	28-02-23	14-03-23	34	33	2
24	जीतप	3507007042/IC/2008167454	1752	0121EATPAYREQ1801202435258	14-01-24	18-01-24	11-03-24	4	42	2
25	जीतप	3507007042/IC/2008167453	1369	0121EATPAYREQ17022024352	19-12-23	17-02-24	11-03-24	60	68	5
26	जीतप	3507007042/RC/2008087167	1111	0121EATPAYREQ201120233574	20-10-23	20-11-23	11-03-24	31	128	1
27	जीतप	3507007042/IC/2008094159	238	0121EATPAYREQ261220223516	28-04-22	26-12-22	17-01-23	242	249	1
28	जीतप	3507007042/DP/2008066041	506	0121EATPAYREQ1807202235601	25-07-21	18-07-22	19-07-22	358	344	2
29	कसून	3507009057/RC/2008084545	3526	0121EATPAYREQ291220223552	27-10-22	29-12-22	17-01-23	63	67	1
30	कसून	3507009057/RC/2008084545	3892	0121EATPAYREQ0312202235114	28-11-22	03-12-22	14-03-23	5	91	1
31	मटेना	3507009080/WC/2008125597	693	0121EATPAYREQ12082024359	25-07-24	12-08-24	20-09-24	18	42	1
32	मटेना	3507009080/LD/2008122591	306	0121EATPAYREQ050520223544	24-04-22	05-05-22	19-07-22	11	71	1
33	मटेना	3507009080/LD/2008090062	3864	0121EATPAYREQ13102023351	24-11-22	13-10-23	16-11-23	323	342	1
34	मटेना	3507009080/LD/2008090062	3649	0121EATPAYREQ1003202335166	10-11-22	10-03-23	14-03-23	120	109	4
35	मटेना	3507009080/LD/2008090062	5809	UT3507009_200221FTO_186223	25-01-21	20-02-21	23-06-21	26	134	2
36	मटेना	3507009080/WC/2008066513	3302	UT3507009_290920FTO_98759	05-09-20	29-09-20	04-02-21	24	137	1
37	मटेना	3507009080/LD/2008122591	3758	0121EATPAYREQ110320223544	10-01-22	11-03-22	19-07-22	60	175	3
38	मटेना	3507009080/LD/2008090062	5184	UT3507009_200221FTO_186223	11-12-20	20-02-21	23-06-21	71	179	2

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	म रो सं.	एफ टी ओ सं.	म रो के अंतिम दिन की तिथि	एफ टी ओ तिथि	बैंक खाते में जमा करने की तिथि	एफ टी ओ जेनेरेट करने में लगने वाले दिन	बैंक खाते में जमा करने में देरी	व्यक्तियों की संख्या
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आइ=जी-एफ़	जे=एच-एफ़-15	के
39	मटेना	3507009080/WC/2008093449	3323	0121EATPAYREQ240820223523	27-12-21	24-08-22	24-08-22	240	225	3
40	मटेना	3507009080/LD/2008122591	3220	0121EATPAYREQ0607202235171	23-12-21	06-07-22	19-07-22	195	193	3
41	मटेना	3507009080/WC/2008093449	5195	0121EATPAYREQ101020223517	15-03-22	10-10-22	12-10-22	209	196	1
42	मटेना	3507009080/LD/2008090062	4931	UT3507009_200221FTO_186223	22-11-20	20-02-21	23-06-21	90	198	2
43	मटेना	3507009080/LD/2008122591	2904	0121EATPAYREQ0607202235171	09-12-21	06-07-22	19-07-22	209	207	3
44	मटेना	3507009080/WC/2008093449	2731	0121EATPAYREQ0607202235167	29-11-21	06-07-22	19-07-22	219	217	3
45	मटेना	3507009080/LD/2008122591	2663	0121EATPAYREQ0607202235171	24-11-21	06-07-22	19-07-22	224	222	2
46	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008069698	6582	UT3513002_120520FTO_10760	18-03-20	12-05-20	13-05-20	55	41	4
47	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008051510	5927	UT3513002_120520FTO_10760	02-03-20	12-05-20	13-05-20	71	57	5
48	मेहरगाँव	3513002103/IC/2008047400	5509	UT3513002_120520FTO_10760	23-02-20	12-05-20	13-05-20	79	65	5
49	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008135879	5306	0121EATPAYREQ1107202235835	20-01-22	11-07-22	11-07-22	172	157	3
50	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008069698	703	UT3513002_081020FTO_106656	31-05-20	08-10-20	24-12-20	130	192	5
51	ओडला	3507009085/LD/2008074764	2256	UT3507009_300720FTO_59094	27-07-20	30-07-20	07-10-20	2	56	2
52	ओडला	3507009085/RC/2008071749	4484	0121EATPAYREQ050420233565	20-01-23	05-04-23	01-05-23	75	86	1
53	ओडला	3507009085/LD/2008074764	1208	UT3507009_230620FTO_37018	21-06-20	23-06-20	07-10-20	2	93	2
54	ओडला	3507009085/LD/2008074764	6415	UT3507009_070321FTO_194519	03-03-21	07-03-21	23-06-21	4	97	1
55	ओडला	3507009085/WC/2008076661	6414	UT3507009_070321FTO_194519	01-03-21	07-03-21	23-06-21	6	99	1
56	ओडला	3507009085/LD/2008074764	1671	UT3507009_280820FTO_75899	07-07-20	28-08-20	16-12-20	52	147	2
57	ओडला	3507009085/DP/2008060734	1620	0121EATPAYREQ0607202235170	07-09-21	06-07-22	19-07-22	302	300	2
58	टटीक	3507009121/RC/2008084759	3811	0121EATPAYREQ291220223552	21-11-22	29-12-22	17-01-23	38	42	4
59	टटीक	3507009121/LD/2008131131	272	0121EATPAYREQ210620223514	22-04-22	21-06-22	19-07-22	60	73	2

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	म रो सं.	एफ टी ओ सं.	म रो के अंतिम दिन की तिथि	एफ टी ओ तिथि	बैंक खाते में जमा करने की तिथि	एफ टी ओ जेनेरेट करने में लगने वाले दिन	बैंक खाते में जमा करने में देरी	व्यक्तियों की संख्या
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आइ=जी-एफ़	जे=एच-एफ़-15	के
60	टटीक	3507009121/LD/2008131131	5291	0121EATPAYREQ1704202235344	24-03-22	17-04-22	19-07-22	24	102	2
61	टटीक	3507009121/LD/2008131131	4435	0121EATPAYREQ050220223517	02-02-22	05-02-22	19-07-22	3	152	2
62	टटीक	3507009121/LD/2008160753	5423	0121EATPAYREQ15092023357	31-03-23	15-09-23	03-10-23	168	171	3
63	टटीक	3507009121/LD/2008131131	3915	0121EATPAYREQ050220223517	14-01-22	05-02-22	19-07-22	22	171	2
64	टटीक	3507009121/WC/2008102466	2549	0121EATPAYREQ0607202235169	15-11-21	06-07-22	19-07-22	233	231	2
65	टटीक	3507009121/WC/2008102466	2298	0121EATPAYREQ0607202235169	29-10-21	06-07-22	19-07-22	250	248	2
66	टटीक	3507009121/WC/2008089222	1490	0121EATPAYREQ0607202235169	30-08-21	06-07-22	19-07-22	310	308	2
67	टटीक	3507009121/WC/2008089222	1310	0121EATPAYREQ0607202235169	13-08-21	06-07-22	19-07-22	327	325	2
68	टटीक	3507009121/WC/2008077699	5158	0121EATPAYREQ1704202235146	08-12-20	17-04-22	20-04-22	495	483	2
योग										***147***

परिशिष्ट-5.9

(संदर्भ: प्रस्तर 5.8; पृष्ठ 62)

सामग्री के भुगतान में देरी

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
1	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	245	03-10-20	UT3513002_081020FTO_106856	08-10-20	14-10-20	समय से	11
2	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	247	27-09-20	UT3513002_081020FTO_106856	08-10-20	14-10-20	3	17
3	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	246	27-09-20	UT3513002_081020FTO_106856	08-10-20	14-10-20	3	17
4	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	249	16-09-20	UT3513002_081020FTO_106856	08-10-20	14-10-20	14	28
5	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	248	16-09-20	UT3513002_081020FTO_106856	08-10-20	14-10-20	14	28
6	अखोड़ी	3513002/FP/2008052532	107	11-12-20	UT3513002_080121FTO_156884	08-01-21	11-01-21	20	31
7	अखोड़ी	3513002004/DP/2008061872	151	11-07-22	0121EATPAYREQ1810202235216	18-10-22	21-10-22	91	102
8	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121280	391	03-01-23	0121EATPAYREQ1105202335170	11-05-23	12-05-23	120	129
9	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121280	387	02-01-23	0121EATPAYREQ1105202335170	11-05-23	12-05-23	121	130
10	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121280	383	01-01-23	0121EATPAYREQ1105202335170	11-05-23	12-05-23	122	131
11	अखोड़ी	3513002004/RC/2008089937	208	18-09-23	0121EATPAYREQ0712202335110	07-12-23	12-03-24	72	176
12	अखोड़ी	3513002004/RC/2008089937	203	13-09-23	0121EATPAYREQ0712202335110	07-12-23	12-03-24	77	181
13	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121281	392	03-01-23	0121EATPAYREQ2508202335131	25-08-23	28-08-23	226	237
14	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121281	388	02-01-23	0121EATPAYREQ2508202335131	25-08-23	28-08-23	227	238
15	अखोड़ी	3513002004/WC/2008121281	384	01-01-23	0121EATPAYREQ2508202335131	25-08-23	28-08-23	228	239
16	अखोड़ी	3513002004/WC/2008128613	125	05-01-24	0121EATPAYREQ090320243537	09-03-24	18-09-24	56	257
17	अखोड़ी	3513002004/WC/2008128613	122	04-01-24	0121EATPAYREQ090320243537	09-03-24	18-09-24	57	258
18	अखोड़ी	3513002004/WC/2008128613	119	03-01-24	0121EATPAYREQ090320243537	09-03-24	18-09-24	58	259
19	अखोड़ी	3513002004/RC/2008089937	308	08-10-23	0121EATPAYREQ1709202435254	17-09-24	18-09-24	337	346

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
20	अखोड़ी	3513002004/RC/2008089937	140	20-09-23	0121EATPAYREQ1709202435254	17-09-24	18-09-24	355	364
21	अखोड़ी	3513002004/DP/2008132539	298	18-08-23	0121EATPAYREQ170920243566	17-09-24	18-09-24	388	397
22	बनचुरी	3513002195/RC/2008079197	2335	09-03-21	UT3513002_180621FTO_23993	18-06-21	28-06-21	93	111
23	बनचुरी	3513002195/WC/2008089732	2278	20-02-21	UT3513002_180621FTO_23993	18-06-21	28-06-21	110	128
24	बनचुरी	3513002195/RC/2008086782	147	20-09-23	0121EATPAYREQ0712202335174	07-12-23	12-03-24	70	174
25	बनचुरी	3513002195/RC/2008086782	141	15-09-23	0121EATPAYREQ0712202335174	07-12-23	12-03-24	75	179
26	बनचुरी	3513002195/RC/2008079196	271	05-11-23	0121EATPAYREQ030320243532	03-03-24	17-07-24	111	255
27	बनचुरी	3513002195/RC/2008079196	740	28-10-23	0121EATPAYREQ030320243532	03-03-24	17-07-24	119	263
28	बनचुरी	3513002195/RC/2008079197	142	15-09-23	0121EATPAYREQ0712202335172	07-12-23	17-07-24	75	306
29	बनचुरी	3513002195/RC/2008079195	693	04-04-23	0121EATPAYREQ2608202335264	26-08-23	12-03-24	136	343
30	बनचुरी	3513002195/LD/2008065069	777	20-05-20	UT3513002_180621FTO_24118	18-06-21	28-06-21	386	404
31	बुंगा	3507007024/IF/2008108015	477	30-12-23	0121EATPAYREQ1103202435157	11-03-24	11-03-24	64	72
32	बुंगा	3507007024/LD/2008087698	325	04-03-21	UT3507007_170621FTO_22976	17-06-21	23-06-21	97	111
33	दंदेली	3513007075/RC/2008050564	544	23-01-21	UT3513007_040221FTO_174320	04-02-21	06-02-21	4	14
34	दंदेली	3513007075/DP/2008060472	543	23-01-21	UT3513007_040221FTO_174325	03-02-21	06-02-21	3	14
35	दंदेली	3513007075/DP/2008060472	47	22-09-20	UT3513007_030221FTO_173443	03-02-21	06-02-21	126	137
36	दंदेली	3513007075/DP/2008060472	546	22-09-20	UT3513007_030221FTO_173443	03-02-21	06-02-21	126	137
37	दंदेली	3513007075/WC/2008087161	586	06-12-21	0121EATPAYREQ1904202235357	19-04-22	19-05-22	126	164
38	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	587	06-12-21	0121EATPAYREQ1904202235335	19-04-22	19-05-22	126	164
39	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	24	02-09-21	0121EATPAYREQ1904202235339	19-04-22	19-05-22	221	259
40	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	28	02-09-21	0121EATPAYREQ1904202235339	19-04-22	19-05-22	221	259
41	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	30	02-09-21	0121EATPAYREQ1904202235339	19-04-22	19-05-22	221	259

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
42	दंदेली	3513007075/WC/2008087164	26	02-09-21	0121EATPAYREQ1904202235339	19-04-22	19-05-22	221	259
43	दंदेली	3513007075/WC/2008087161	31	01-09-21	0121EATPAYREQ1904202235352	19-04-22	19-05-22	222	260
44	दंदेली	3513007075/WC/2008087161	29	01-09-21	0121EATPAYREQ1904202235352	19-04-22	19-05-22	222	260
45	दंदेली	3513007075/WC/2008087161	25	01-09-21	0121EATPAYREQ1904202235352	19-04-22	19-05-22	222	260
46	दंदेली	3513007075/FP/2008068498	181	10-12-22	0121EATPAYREQ2608202335398	26-08-23	28-08-23	251	261
47	दंदेली	3513007075/FP/2008068498	182	10-12-22	0121EATPAYREQ2608202335398	26-08-23	28-08-23	251	261
48	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	2686	23-04-22	0121EATPAYREQ120720223576	12-07-22	12-07-22	72	80
49	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	27	20-04-22	0121EATPAYREQ120720223576	12-07-22	12-07-22	75	83
50	धारगाँव	3513002046/FP/2008041953	665	02-06-20	UT3513002_081020FTO_106707	08-10-20	13-10-20	120	133
51	धारगाँव	3513002046/IC/2008047237	195	30-05-20	UT3513002_081020FTO_106606	08-10-20	13-10-20	123	136
52	धारगाँव	3513002046/IC/2008047237	722	30-05-20	UT3513002_081020FTO_106606	08-10-20	13-10-20	123	136
53	धारगाँव	3513002046/IC/2008047237	721	28-05-20	UT3513002_081020FTO_106606	08-10-20	13-10-20	125	138
54	धारगाँव	3513002046/FP/2008041953	303	13-05-20	UT3513002_081020FTO_106707	08-10-20	13-10-20	140	153
55	धारगाँव	3513002046/LD/2008140235	751	09-10-23	0121EATPAYREQ0712202335344	07-12-23	12-03-24	51	155
56	धारगाँव	3513002046/LD/2008140235	275	21-09-23	0121EATPAYREQ0712202335344	07-12-23	12-03-24	69	173
57	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	239	27-12-20	UT3513002_040221FTO_173991	04-02-21	28-06-21	31	183
58	धारगाँव	3513002046/LD/2008140235	749	08-09-23	0121EATPAYREQ0712202335344	07-12-23	12-03-24	82	186
59	धारगाँव	3513002046/FP/2008058549	140	06-01-22	0121EATPAYREQ1107202235966	11-07-22	12-07-22	178	187
60	धारगाँव	3513002046/FP/2008058549	735	26-12-21	0121EATPAYREQ1107202235966	11-07-22	12-07-22	189	198
61	धारगाँव	3513002046/FP/2008058549	139	26-12-21	0121EATPAYREQ1107202235966	11-07-22	12-07-22	189	198
62	धारगाँव	3513002046/FP/2008048664	534	01-12-20	UT3513002_190621FTO_24967	19-06-21	28-06-21	192	209
63	धारगाँव	3513002046/FP/2008048664	509	23-10-20	UT3513002_190621FTO_24967	19-06-21	28-06-21	231	248

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
64	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	510	23-10-20	UT3513002_040221FTO_173991	04-02-21	28-06-21	96	248
65	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	2244	07-10-20	UT3513002_040221FTO_173991	04-02-21	28-06-21	112	264
66	धारगाँव	3513002046/RC/2008049642	2243	01-10-20	UT3513002_040221FTO_173991	04-02-21	28-06-21	118	270
67	धारगाँव	3513002046/WC/2008120493	377	23-11-23	0121EATPAYREQ09032024357	09-03-24	18-09-24	99	300
68	धारगाँव	3513002046/WC/2008120493	910	02-11-23	0121EATPAYREQ09032024357	09-03-24	18-09-24	120	321
69	धारगाँव	3513002046/RC/2008077426	122	01-09-22	0121EATPAYREQ2508202335156	25-08-23	28-08-23	350	361
70	धारगाँव	3513002046/WC/2008120493	905	22-09-23	0121EATPAYREQ09032024357	09-03-24	18-09-24	161	362
71	धारगाँव	3513002046/RC/2008077426	2885	12-07-22	0121EATPAYREQ2508202335156	25-08-23	28-08-23	401	412
72	धारगाँव	3513002046/RC/2008077085	2960	01-04-23	0121EATPAYREQ1509202435731	15-09-24	18-09-24	525	536
73	धौलारा	3507007030/LD/2008093937	162	15-11-20	UT3507007_090221FTO_178798	09-02-21	11-02-21	78	88
74	धौलारा	3507007030/LD/2008093937	156	01-11-20	UT3507007_090221FTO_178798	09-02-21	11-02-21	92	102
75	धौलारा	3507007030/IF/2008137119	1220	01-05-23	0121EATPAYREQ12102023354	12-10-23	16-11-23	156	199
76	धौलारा	3507007030/IF/2008137119	1087	16-04-23	0121EATPAYREQ12102023354	12-10-23	16-11-23	171	214
77	धौलारा	3507007030/IF/2008091261	294	04-09-21	0121EATPAYREQ111020223573	11-10-22	11-10-22	394	402
78	धौलारा	3507007030/IC/2008095174	384	20-04-22	0121EATPAYREQ270320233566	27-03-23	03-06-23	333	409
79	इसलना	3507007034/DP/2008056794	19	17-04-20	UT3507007_070520FTO_6765	07-05-20	08-05-20	12	21
80	इसलना	3507007034/IF/2008122641	410	17-02-23	0121EATPAYREQ14032023351108	14-03-23	23-03-23	17	34
81	इसलना	3507007034/IF/2008122641	409	16-02-23	0121EATPAYREQ14032023351108	14-03-23	23-03-23	18	35
82	इसलना	3507007034/IF/2008134048	431	06-03-23	0121EATPAYREQ010420233534	01-04-23	03-06-23	18	89
83	इसलना	3507007034/IF/2008117377	149	20-11-22	0121EATPAYREQ1503202335550	15-03-23	23-03-23	107	123
84	इसलना	3507007034/IF/2008117377	148	17-11-22	0121EATPAYREQ1503202335550	15-03-23	23-03-23	110	126
85	इसलना	3507007034/DP/2008060258	564	01-08-20	UT3507007_131120FTO_129385	13-11-20	04-02-21	96	187

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
86	जीतप	3507007042/IC/2008063520	1604	28-06-22	0121EATPAYREQ1807202235618	18-07-22	19-07-22	12	21
87	जीतप	3507007042/IC/2008063520	1130	10-12-21	0121EATPAYREQ0705202235133	07-05-22	03-06-22	140	175
88	जीतप	3507007042/IC/2008167454	60	16-01-24	0121EATPAYREQ240520243543	24-05-24	20-09-24	121	248
89	जीतप	3507007042/IC/2008167454	40	14-01-24	0121EATPAYREQ240520243543	24-05-24	20-09-24	123	250
90	जीतप	3507007042/IC/2008167453	353	12-12-23	0121EATPAYREQ1909202435463	19-09-24	20-09-24	274	283
91	जीतप	3507007042/IC/2008167453	346	06-12-23	0121EATPAYREQ240520243558	24-05-24	20-09-24	162	289
92	जीतप	3507007042/RC/2008097716	354	28-11-23	0121EATPAYREQ290320243578	29-03-24	20-09-24	114	297
93	जीतप	3507007042/DP/2008066041	1103	20-07-21	0121EATPAYREQ0705202235104	07-05-22	03-06-22	283	318
94	जीतप	3507007042/LD/2008165940	96	06-11-23	0121EATPAYREQ290320243584	29-03-24	20-09-24	136	319
95	जीतप	3507007042/IC/2008094159	1287	25-04-22	0121EATPAYREQ280220233542	28-02-23	14-03-23	301	323
96	जीतप	3507007042/LD/2008165940	92	27-10-23	0121EATPAYREQ290320243584	29-03-24	20-09-24	146	329
97	जीतप	3507007042/RC/2008087167	85	25-10-23	0121EATPAYREQ290320243587	29-03-24	20-09-24	148	331
98	जीतप	3507007042/RC/2008087167	79	15-10-23	0121EATPAYREQ290320243587	29-03-24	20-09-24	158	341
99	कसुन	3507009057/RC/2008070932	163	01-07-22	0121EATPAYREQ1807202235625	18-07-22	19-07-22	9	18
100	कसुन	3507009057/IF/2008168417	875	16-07-23	0121EATPAYREQ13082023351	13-08-23	29-08-23	20	44
101	कसुन	3507009057/DP/2008135554	526	10-09-23	0121EATPAYREQ261020233563	26-10-23	16-11-23	38	67
102	कसुन	3507009057/RC/2008084545	180	18-12-22	0121EATPAYREQ2303202335161	23-03-23	25-03-23	87	97
103	कसुन	3507009057/RC/2008099766	187	14-05-24	0121EATPAYREQ040820243528	04-08-24	20-09-24	74	129
104	कसुन	3507009057/IF/2008155786	142	15-04-23	0121EATPAYREQ070920233520	07-09-23	03-10-23	137	171
105	कसुन	3507009057/IF/2008155792	145	15-04-23	0121EATPAYREQ070920233520	07-09-23	03-10-23	137	171
106	कसुन	3507009057/IF/2008070593	346	10-04-20	UT3507009_020920FTO_79500	02-09-20	11-01-21	137	276
107	खनाना	3513007062/WC/2008133628	27	17-01-24	0121EATPAYREQ110320243526	11-03-24	12-03-24	46	55

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
108	खनाना	3513007062/WC/2008131051	26	07-01-24	0121EATPAYREQ110320243527	11-03-24	12-03-24	56	65
109	खनाना	3513007062/WC/2008133628	216	06-12-23	0121EATPAYREQ110320243526	11-03-24	12-03-24	88	97
110	खनाना	3513007062/WC/2008133628	215	06-12-23	0121EATPAYREQ110320243526	11-03-24	12-03-24	88	97
111	खनाना	3513007062/WC/2008131051	214	05-12-23	0121EATPAYREQ110320243527	11-03-24	12-03-24	89	98
112	खनाना	3513007062/WC/2008131051	213	02-12-23	0121EATPAYREQ110320243527	11-03-24	12-03-24	92	101
113	खनाना	3513007062/WC/2008119739	179	10-12-22	0121EATPAYREQ0305202335220	03-05-23	03-05-23	136	144
114	खनाना	3513007062/WC/2008119739	180	10-12-22	0121EATPAYREQ0305202335220	03-05-23	03-05-23	136	144
115	खनाना	3513007062/WC/2008119739	208	02-04-23	0121EATPAYREQ2408202335419	24-08-23	28-08-23	136	148
116	खनाना	3513007062/WH/2008048241	133	28-11-21	0121EATPAYREQ310320223565	31-03-22	02-06-22	115	186
117	खनाना	3513007062/WH/2008048241	134	28-11-21	0121EATPAYREQ310320223566	31-03-22	02-06-22	115	186
118	खनाना	3513007062/WH/2008048243	136	30-11-21	0121EATPAYREQ310320223554	31-03-22	12-07-22	113	224
119	खनाना	3513007062/WH/2008048243	135	30-11-21	0121EATPAYREQ310320223553	31-03-22	12-07-22	113	224
120	खनाना	3513007062/WH/2008048241	129	17-01-22	0121EATPAYREQ181020223592	18-10-22	21-10-22	266	277
121	खनाना	3513007062/WH/2008048243	141	13-01-22	0121EATPAYREQ1810202235100	18-10-22	21-10-22	270	281
122	मटेना	3507009080/DP/2008134886	1093	22-09-23	0121EATPAYREQ01102023351	01-10-23	03-10-23	1	11
123	मटेना	3507009080/WC/2008066513	423	07-08-20	UT3507009_280820FTO_76080	28-08-20	11-01-21	13	157
124	मटेना	3507009080/LD/2008122591	144	17-08-22	0121EATPAYREQ270820223562	27-08-22	14-03-23	2	209
125	मटेना	3507009080/WC/2008093449	359	03-01-22	0121EATPAYREQ260820223514	26-08-22	27-08-22	227	236
126	मटेना	3507009080/DP/2008134886	87	28-09-23	0121EATPAYREQ1703202435103	17-03-24	12-07-24	163	288
127	मटेना	3507009080/WC/2008093449	149	01-04-22	0121EATPAYREQ220920223536	22-09-22	14-03-23	166	347
128	मटेना	3507009080/WC/2008112515	117	10-08-22	0121EATPAYREQ25052023351	25-05-23	30-08-23	280	385
129	मटेना	3507009080/WC/2008093449	336	04-05-21	0121EATPAYREQ260820223514	26-08-22	27-08-22	471	480

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
130	मटेना	3507009080/IF/2008157109	339	20-04-23	0121EATPAYREQ2703202435108	27-03-24	20-09-24	334	519
131	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008069698	4	19-09-20	UT3513002_080121FTO_156538	08-01-21	11-01-21	103	114
132	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008138008	152	25-02-23	0121EATPAYREQ2508202335190	25-08-23	28-08-23	173	184
133	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008138008	758	16-01-23	0121EATPAYREQ2508202335190	25-08-23	28-08-23	213	224
134	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008138008	742	25-12-22	0121EATPAYREQ2508202335190	25-08-23	28-08-23	235	246
135	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008069698	360	08-05-20	UT3513002_080121FTO_156538	08-01-21	11-01-21	237	248
136	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008109982	62	30-10-21	0121EATPAYREQ1107202235869	11-07-22	12-07-22	246	255
137	मेहरगाँव	3513002103/RC/2008087252	849	05-10-23	0121EATPAYREQ030320243593	03-03-24	18-09-24	142	349
138	मेहरगाँव	3513002103/LD/2008109980	67	12-06-21	0121EATPAYREQ1107202235966	11-07-22	12-07-22	386	395
139	ओडला	3507009085/DP/2008135693	206	08-09-23	0121EATPAYREQ0610202335197	06-10-23	07-10-23	20	29
140	ओडला	3507009085/WC/2008066065	426	15-05-20	UT3507009_010920FTO_78696	01-09-20	11-01-21	101	241
141	फर्त	3513007020/WH/2008048220	122	02-07-22	0121EATPAYREQ1107202235826	11-07-22	12-07-22	1	10
142	फर्त	3513007020/RC/2008071844	995	25-11-22	0121EATPAYREQ1603202335611	16-03-23	17-03-23	103	112
143	फर्त	3513007020/RC/2008071844	996	25-11-22	0121EATPAYREQ1603202335611	16-03-23	17-03-23	103	112
144	फर्त	3513007020/RC/2008071844	997	25-11-22	0121EATPAYREQ1603202335611	16-03-23	17-03-23	103	112
145	फर्त	3513007020/LD/2008147527	2043	11-04-23	0121EATPAYREQ1908202335747	19-08-23	28-08-23	122	139
146	फर्त	3513007020/IC/2008049352	1034	20-05-20	UT3513007_091020FTO_108244	09-10-20	13-10-20	134	146
147	फर्त	3513007020/IC/2008049352	1036	20-05-20	UT3513007_091020FTO_108244	09-10-20	13-10-20	134	146
148	फर्त	3513007020/LD/2008147528	2042	11-03-23	0121EATPAYREQ2108202335288	21-08-23	28-08-23	155	170
149	फर्त	3513007020/IC/2008049352	914	02-04-20	UT3513007_091020FTO_108244	09-10-20	13-10-20	182	194
150	फर्त	3513007020/WH/2008048220	1682	02-07-22	0121EATPAYREQ1701202335107	17-01-23	30-01-23	191	212
151	फर्त	3513007020/WC/2008122549	2036	11-03-23	0121EATPAYREQ2108202335395	21-08-23	12-03-24	155	367

क्र. सं.	ग्रा पं	कार्य कोड	बिल सं.	बिल कि तिथि	एफ टी ओ सं.	एफ टी ओ सं. तिथि	खाते में जमा कि तिथि	एफ टी ओ जनरेट करने में देरी	बिल की तिथि से बैंक खाते में क्रेडिट होने में वाले दिन
ए	बी	सी	डी	ई	एफ़	जी	एच	आई= (जी-ई)-8	जे=एच-ई
152	फर्त	3513007020/WC/2008122549	69	16-02-23	0121EATPAYREQ2108202335395	21-08-23	12-03-24	178	390
153	फर्त	3513007020/WC/2008122549	70	16-02-23	0121EATPAYREQ2108202335395	21-08-23	12-03-24	178	390
154	फर्त	3513007020/WC/2008122549	67	15-02-23	0121EATPAYREQ2108202335395	21-08-23	12-03-24	179	391
155	फर्त	3513007020/WC/2008122549	68	15-02-23	0121EATPAYREQ2108202335395	21-08-23	12-03-24	179	391
156	टटीक	3507009121/DP/2008134923	1107	23-09-23	0121EATPAYREQ01102023351	01-10-23	03-10-23	समय पर	10
157	थन्यूल	3513007085/DP/2008060471	507	21-10-20	UT3513007_040221FTO_174289	04-02-21	06-02-21	98	108
158	थन्यूल	3513007085/LD/2008103633	598	05-09-22	0121EATPAYREQ151020223510	15-10-22	07-01-23	32	124
159	थन्यूल	3513007085/DP/2008060471	23	04-09-20	UT3513007_030221FTO_173446	03-02-21	06-02-21	144	155
160	थन्यूल	3513007085/DP/2008060471	516	04-09-20	UT3513007_030221FTO_173446	03-02-21	06-02-21	144	155
161	थन्यूल	3513007085/DP/2008133837	289	01-04-24	0121EATPAYREQ17092024351039	17-09-24	18-09-24	161	170
162	थन्यूल	3513007085/DP/2008133837	140	15-09-23	0121EATPAYREQ1609202435623	16-09-24	18-09-24	359	369

परिशिष्ट-6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 6.2; पृष्ठ 69)

चयनित जनपद स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ अभियंता की कमी

पद का नाम	जनपद	कुल ग्रा पं	कुल आवश्यक	कुल उपलब्ध	कमी	कमी का *प्रतिशत*
ग्राम रोजगार सहायक	अल्मोड़ा	1160	286	50	236	83
	टिहरी गढ़वाल	1035	259	128	131	51
योग		***2195***	***545***	***178***	***367***	***67***
कनिष्ठ अभियंता	अल्मोड़ा	1160	95	31	64	67
	टिहरी गढ़वाल	1035	70	43	27	39
योग		***2195***	***165***	***74***	***91***	***55***

परिशिष्ट-6.2

(संदर्भ: प्रस्तर 6.2; पृष्ठ 69)

चयनित विकास खण्ड स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ अभियंता की कमी

विकास खण्ड का नाम	पद	स्वीकृत पद	उपलब्ध मानव शक्ति	कमी	*प्रतिशत* में कमी	कुल ग्रा पं	ग्रा रो स और क अभि प्रति ग्राम पंचायत का बोझ
भिलंगना	क अभि	11	8	3	27	183	23
	ग्रा रो स	44	24	20	45	183	8
नरेंद्र नगर	क अभि	10	5	5	50	117	23
	ग्रा रो स	11	11	-	-	117	11
ताकुला	क अभि	5	3	2	40	89	30
	ग्रा रो स	10	5	5	50	89	18
हवालबाग	क अभि	10	3	7	70	126	42
	ग्रा रो स	30	5	25	83	126	25

परिशिष्ट-7.1

(संदर्भ: प्रस्तर 7.4.1; पृष्ठ 80)

चयनित जनपद में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति

जनपद का नाम	वर्ष	ग्रा पं की संख्या	निर्धारित लेखापरीक्षा की संख्या[1]	संपादित लेखापरीक्षा	कमी	कमी *प्रतिशत* में
टिहरी गढ़वाल	2019-20	1,036	2,072	215	1,857	89.62
	2020-21	1,036	2,072	64	2,008	96.91
	2021-22	1,036	2,072	429	1,643	79.30
	2022-23	1,034	2,068	56	2,012	97.29
	2023-24	1,034	2,068	90	1,978	95.65
अल्मोड़ा	2019-20	1,166	2,332	248	2,084	89.37
	2020-21	1,160	2,320	59	2,261	97.46
	2021-22	1,160	2,320	183	2,137	92.11
	2022-23	1,160	2,320	25	2,295	98.92
	2023-24	1,160	2,320	279	2,041	87.97

[1] सोशल ऑडिट कम से कम छः महीने में एक बार किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-7.1 (क)

(संदर्भ: प्रस्तर 7.4.1; पृष्ठ 80)

चयनित विकास खण्डों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति

विकास खण्ड का नाम	वर्ष	विकास खण्ड में कुल ग्राम पंचायतें	सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित ग्रा पं की संख्या	निर्धारित लेखापरीक्षा की संख्या	संपादित लेखापरीक्षा	सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी	कमी *प्रतिशत* में
भिलंगना	2019-20	183	183	366	16	350	96
	2020-21	183	183	366	20	346	95
	2021-22	183	183	366	51	315	86
	2022-23	183	183	366	1	365	100
	2023-24	183	183	366	0	366	100
नरेंद्र नगर	2019-20	119	119	238	18	220	92
	2020-21	119	119	238	0	238	100
	2021-22	119	119	238	58	180	76
	2022-23	117	117	234	31	203	87
	2023-24	117	117	234	0	234	100
ताकुला	2019-20	89	89	178	10	168	94
	2020-21	89	89	178	0	178	100
	2021-22	89	89	178	32	146	82
	2022-23	89	89	178	0	178	100
	2023-24	89	89	178	0	178	100
हवालबाग	2019-20	126	126	252	0	252	100
	2020-21	126	126	252	12	240	95
	2021-22	126	126	252	10	242	96
	2022-23	126	126	252	0	252	100
	2023-24	126	126	252	0	252	100

परिशिष्ट-7.1 (ख)

(संदर्भ: प्रस्तर 7.4.1; पृष्ठ 80)

चयनित ग्रा पं में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति

जनपद	विकास खण्ड	ग्रा पं का नाम	वर्ष	निर्धारित लेखापरीक्षा की संख्या	संपादित लेखापरीक्षा	कमी	कमी *प्रतिशत* में
अल्मोड़ा	ताकुला	जीतप	2019-24	10	1	9	90.00
		धौलारा	2019-24	10	2	8	80.00
		बुंगा	2019-24	10	1	9	90.00
		इसलना	2019-24	10	2	8	80.00
	हवालबाग	मटेना	2019-24	10	1	9	90.00
		कसुन	2019-24	10	0	10	100.00
		टटीक	2019-24	10	0	10	100.00
		ओडला	2019-24	10	0	10	100.00
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	अखोडी	2019-24	10	1	9	90.00
		बनचुरी	2019-24	10	1	9	90.00
		धारगांव	2019-24	10	0	10	100.00
		मेहरगांव	2019-24	10	1	9	90.00
	नरेंद्र नगर	दंदेली	2019-24	10	1	9	90.00
		खनाना	2019-24	10	1	9	90.00
		फर्त	2019-24	10	1	9	90.00
		थन्यूल	2019-24	10	1	9	90.00

स्रोत: नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़े।

परिशिष्ट-7.2

(संदर्भ: प्रस्तर 7.4.2; पृष्ठ 81)

चयनित ग्रा पं में सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की लंबित स्थिति

जनपद	विकास खण्ड	ग्रा पं का नाम	वर्ष	रिपोर्ट किए गए मुद्दों की कुल संख्या	बंद किए गए मुद्दों की कुल संख्या	बकाया मुद्दे	बकाया मुद्दों का *प्रतिशत*
अल्मोड़ा	तकुला	जीतप	2019-24	7	4	3	43
		धौलारा	2019-24	15	12	3	20
		बुंगा	2019-24	8	6	2	25
		इसलना	2019-24	17	13	4	24
	हवालबैग	मटेना	2019-24	20	9	11	55
		कसुन	2019-24	0	0	0	0
		टटीक	2019-24	0	0	0	0
		ओडला	2019-24	0	0	0	0
टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	अखोडी	2019-24	15	14	1	7
		बनचुरी	2019-24	9	8	1	11
		धारगांव	2019-24	0	0	0	0
		मेहरगांव	2019-24	13	8	5	38
	नरेंद्र नगर	दंदेली	2019-24	16	16	0	0
		खनाना	2019-24	16	16	0	0
		फर्त	2019-24	7	7	0	0
		थन्यूल	2019-24	9	5	4	44
कुल				***152***	***118***	***34***	***22***

शब्दावली

शब्दावली

क्रम संख्या	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
1.	वा यो	वार्षिक योजना
2.	का रि	कार्यवाही रिपोर्ट
3.	आं कें	आंगनबाड़ी केंद्र
4.	खं सं स	खंड संसाधन समूह
5.	खं सं व्य	खंड संसाधन व्यक्ति
6.	क क्षे वि और ज प्र	कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन
7.	मु वि अधि	मुख्य विकास अधिकारी
8.	कें अं	केंद्रीय अंश
9.	मु स अ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
10.	जि वि अ	जिला विकास अधिकारी
11.	जि का स	जिला कार्यक्रम समन्वयक
12.	जि प यो	जिला परिप्रेक्ष्य योजना
13.	जि गु नि	जिला गुणवत्ता निगरानी
14.	जि सं स	जिला संसाधन समूह
15.	जि सं व्य	जिला संसाधन व्यक्ति
16.	जि स्त त स	जिला स्तरीय तकनीकी समिति
17.	उप जि का स	उप जिला कार्यक्रम समन्वयक
18.	नि अं आ	निधि अंतरण आदेश
19.	भा स	भारत सरकार
20.	शा आ	शासनादेश
21.	उ स	उत्तराखंड सरकार
22.	ग्रा पं	ग्राम पंचायत
23.	ग्रा रो स	ग्राम रोज़गार सहायक
24.	परिवार	परिवार
25.	मा सं वि और क्ष नि प्र	मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग
26.	सू शि और सं	सूचना, शिक्षा और संचार
27.	ए वा प्र का	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
28.	जॉ का	जॉब कार्ड
29.	क अ	कनिष्ठ अभियंता
30.	श्र ब	श्रम बजट
31.	श्र ब भा द	श्रम बल भागीदारी दर
32.	मा पु	माप पुस्तिका
33.	मनरेगा अधिनियम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
34.	मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
35.	प्र सू प्र	प्रबंधन सूचना प्रणाली
36.	ग्रा वि मं	ग्रामीण विकास मंत्रालय

क्रम संख्या	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
37.	म एवं बा वि मं	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
38.	म रो	मस्टर रोल
39.	रा बा मि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
40.	रा मो नि प्र	राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली
41.	नरेगा अधिनियम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
42.	रा न स का	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
43.	नि ले प	निष्पादन लेखापरीक्षा
44.	मा दि	मानव दिवस
45.	का का ए	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां
46.	का अ	कार्यक्रम अधिकारी
47.	पी पी एस डब्ल्यू ओ आर	प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिप्लेसमेंट
48.	पं रा सं	पंचायती राज संस्थान
49.	ग्रा वि वि	ग्रामीण विकास विभाग
50.	रा कृ वि यो	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
51.	सा ले इ	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई
52.	रा रो गा प	राज्य रोजगार गारंटी परिषद
53.	रा रो गा को	राज्य रोजगार गारंटी कोष
54.	दर अनु	दरों की अनुसूची
55.	रा गु प	राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक
56.	रा सं व	राज्य संसाधन व्यक्ति
57.	टीडीएस	टीडीएस
58.	उ ग्रा वि और प रा सं	उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
59.	उ सा ले ज पा ए	उत्तराखंड सामाजिक लेखापरीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता एजेंसी
60.	ग्रा वि अ	ग्राम विकास अधिकारी
61.	स नि स	सतर्कता और निगरानी समितियाँ
62.	ग्रा सं स	ग्राम संसाधन समूह
63.	ग्रा सं व	ग्राम संसाधन व्यक्ति

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi